खण्ड-102, अंक-2
मंगलवार, 6 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(27 मई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
ख्यालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगन्नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धरमसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवत दीन, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुनासिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री

राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकुब्ज बंसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल पंवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास गंगिदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तेवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुंडा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर नाथ पांडेय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
बजभूषण मिश्र, श्री
बजविहारी मिश्र, श्री
बजविहारी मेहरोत्रा, श्री
बजरानी मिश्र, श्रीमती
बजबासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिव राम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री

शिवसरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याम मनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगावाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती आदि क्षेत्रों में भुखमरी से मृत्यु

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले महीनों में भुखमरी से देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती आदि क्षेत्रों में अकालवश कोई मृत्यु हुई है ?

माननीय श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)--पिछले महीनों में देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती या अन्य किसी दूसरे जिले में भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्यगण, आपको मतदान पत्र अभी इसी भवन में दिये जायेंगे। जब आपको वे प्राप्त हो जायेंगे तो यहां जो दो बैलेट बाक्सेज रखे हुये हैं उनमें से किसी में आप मतदान पत्र पर निशान लगा कर डाल दें। यह निशान तारे का या गुणा का होगा।

दोनों बैलेट बाक्सेज को खोलकर दिखा दिया जाय। जो साहब उनको देखना चाहें देख सकते हैं।

(बैलेट बाक्सेज खोलकर दिखाये गये और तत्पश्चात् कुछ समय तक माननीय सदस्यगण मत प्रदान करते रहे।)

माननीय अध्यक्ष--जिन माननीय सदस्यों को मतदान पत्र नहीं मिला है वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं उनको मतदान पत्र दे दिया जायगा।

(जो सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुये उनको मतदान पत्र दिये गये।)

माननीय अध्यक्ष--अब मैं आशा करता हूं कि सब माननीय सदस्यों को मतदान पत्र मिल चुका है और उन्होंने मत दे दिया है। अगर यह सही नहीं है तो माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो कर मुझे बता सकते हैं।

(कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में फल यह है। कुल ३०८ मतदान पत्र दिये गये, जिनमें से एक वापस हुआ। श्री हर गोविन्द पन्त जी को २८४ मत मिले। श्री विष्णु दयाल जी को २१ मिले। २ इनवैलिड (अवैध) हुये। इस प्रकार श्री हरगोविन्द पन्त उपाध्यक्ष चुने गये।

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मन्त्री)--मैं यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)---मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०, की, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१६ पर)

उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चरण सिंह---मैं उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

*खंड ४ (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में मैंने एक संशोधन पेश किया था। वह छपा नहीं है। पता नहीं उसके बारे में क्या हुआ? अगर आप की आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ दूं।

इसके खंड २ में निम्नलिखित उपखंड (ग) बढ़ा दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष---यह खंड २ के संबंध में है और जिस वक्त खंड २ इस भवन के सामने उपस्थित किया गया था उस वक्त माननीय सदस्य ने इस के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। इसलिये मैं इस वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता हूं कि जो चीज निकल गयी है उसके संबंध में कोई जिक्र किया जाय। लेकिन जब यह प्रश्न उठाया गया है तो मैं भवन को बता देना चाहता हूं कि मैंने उस संशोधन को अवैधानिक क्यों क़रार दिया, इसलिये कि उसके द्वारा जो विजातीय प्रश्न उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया था उससे इस बिल का जो दायरा है उस को विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया था। विधेयक के जो उद्देश्य हैं और उसमें जो विषय है उसको अधिक बढ़ाने का उसमें जिक्र था। इसलिये उसको मैंने अवैधानिक करार दिया।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)---वह संशोधन पढ़ तो दिया जाय कि वह क्या था।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य अगर चाहें तो उस संशोधन को पढ़ कर इस भवन को सुना दें।

---

* २६ मई, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अब इस वक्त हम नहीं चाहते, बाद में ठीक से रखेंगे, इसलिये सुनाना नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य शायद उचित नहीं समझते कि भवन सुने।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा द्वारा मैं श्री राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा द्वारा मैं इस खंड ४ में जो *संशोधन प्रस्तावित है इसमें तीन बातें भवन के सामने रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह भवन उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा और हमारे सदन के आदरणीय सदस्य भी इस पर विचार करेंगे।

पहली वैधानिक आपत्ति यह है कि खंड ४ पर इसी प्रकार की चीजें पहले भी आई हैं। मेरे पास दोनों पुस्तकें मौजूद हैं। सन् १९३७ का जो सैलरी ऐक्ट (वेतन अधिनियम) है वह भी और सन् १९४६ का संशोधन बिल भी मेरे पास मौजूद है। उनमें देखने से पता चलता है कि उन में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो खंड ४ में है। इसके अलावा सन् १९३७ में जब इस पर वादविवाद हुआ था तो एक सदस्य ने पूछा था कि इस प्रकार के एलाउन्स (भत्ते) की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। शेख मोहम्मद हबीबुल्ला साहब ने पूछा था कि--

"But why have you not included the car allowance in the Bill?"

[आपने विधेयक में मोटरभत्ता क्यों नहीं सम्मिलित किया?]

उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि--

"I will tell you, we had included the car allowance in the Bill, but the Finance Department told us that it was unnecessary and it was undesirable and in the circumstances we did not include that allowance. But if the House thinks that we should not have a car we will not have it."

[मैं आपको बताता हूं मोटर भत्ते को हमने विधेयक में सम्मिलित किया था, किन्तु वित्त विभाग ने हमको बताया कि यह अनावश्यक और यह अनुचित है और ऐसी परिस्थिति में हमने उस भत्ते को सम्मिलित नहीं किया। यदि सदन का यह विचार हो कि हमें मोटर न मिलनी चाहिये तो हम मोटर न लेंगे।]

इस प्रकार कोई आवश्यकता मंत्रिमंडल ने नहीं समझी कि इस चीज को बिल में रखा जाय और फाइनेंस विभाग ने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सन् १९४६ में भी हम इतना ही देखते हैं कि सैलरी अमेंडमेंट बिल में दिया हुआ है कि "In section 2 of the U. P. Minister's Salary Act, 1937 for the words '500 the words '1,500 shall be substituted" [संयुक्त प्रान्त मंत्री वेतन अधिनियम, १९३७ की धारा २ में अंक '५००' के स्थान पर अंक '१,५००' रख दिया जायेगा] कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट या दैनिक भत्ते के बारे में कोई प्रस्ताव आज तक नहीं आया है। मैं समझता हूं कि यह भी वैधानिक प्रश्न है और मंत्रिमंडल और भवन के सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये कि यह सन् १९३७ में और सन् १९४६ में भी बेकार था और इसलिये आज भी यह अननेसेसरी (अनावश्यक) है।

इसके अलावा दूसरी आपत्ति यह है कि आप देखेंगे कि इस में है कि प्रत्येक मंत्री के लिये उपयुक्त परिवहन या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जायगी। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या है कोई क्या नतीजा निकाल सकता है और न विधेयक के शुरू में लिखा गया है कि इस "ट्रांसपोर्ट" शब्द का क्या मतलब है। पता नहीं इसका मतलब कार होगा, हवाई जहाज होगा, स्पेशल ट्रेन होगा या रायलसराइस होगा या फोर्ड कार होगा। यह जितनी चीजें हैं सभी हो सकती हैं कहीं भी इसका मतलब नहीं दिया गया है। मैं आदरणीय मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि ट्रांसपोर्ट

*२६ मई, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

का मतलब स्पष्ट होना चाहिये। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि मंत्री लोग कार रखें, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिये कि कौन सा वाहन होगा वह कार होगी या क्या होगा। अगर नियमों में भी इसका जिक्र आ जाता तो हमें कुछ समझने का रास्ता मिल जाता, लेकिन कुछ स्पष्ट वहां पर भी नहीं है। इसलिये भवन और मंत्री लोग इस पर विचार करें कि परिवहन का अर्थ क्या होगा।

तीसरी आपत्ति जो है मैं समझता हूं कि भवन उस पर भी विचार करेगा और ध्यान देगा कि पहली धारा व तीसरी धारा में परस्पर विरोध मालूम होता है। एक जगह सार्वजनिक व्यय से व्यवस्था की जाती है और तीसरे खंड में कहा जाता है कि सार्वजनिक कार्य के लिये व्यय करने का अधिकार होगा। चाहे माननीय मंत्रीगण को लगे या न लगे लेकिन मुझ को ऐसा लगता है कि इस तरह से कहीं पर डुएल (दुहरा) खर्च हो जायगा। एक तरफ तो स्टेट ट्रांसपोर्ट (सरकारी यान) दी जायगी और दूसरी तरफ दैनिक भत्ता और यात्रा का व्यय दिया जायगा। आप एक चीज दीजिये या तो आप ट्रांस्पोर्ट दें या और सार्वजनिक व्यय से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दें या आप उनको डेली एलाउन्स (दैनिक भत्ता) और भत्ता दें। जिस प्रकार आप अपने अफसरों को देते हैं उसी प्रकार दें। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों धाराओं में परस्पर विरोध है। और इस परस्पर विरोध के ऊपर मैं समझता हूं कि आदरणीय मंत्रिमंडल गौर करेगा और भवन के सभी सदस्य इसको देखेंगे क्योंकि यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। मुझे आशा है कि सभी सदस्य देखने की कृपा करेंगे कि आया यह चीज वैधानिक है या व्यावहारिक है या इसमें पारस्परिक विरोध है या नहीं। इसके बाद मैं आपकी आज्ञा द्वारा श्री राज नारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं इस प्रस्ताव के ऊपर बोलना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसे एक ऐसा विषय समझता हूं कि जिस पर अधिक बोलना उचित नहीं मालूम पड़ता है किन्तु कल जो बहस इस सदन में की गई उसको सुनने के बाद चुप रहना भी मुमकिन नहीं मालूम पड़ता है। कल सदन के उस कक्ष के जिन सज्जन ने यह संशोधन रखा था उन्होंने इसको रखते समय स्वयं ही कहा था कि वह उसे रखना तो नहीं चाहते थे लेकिन वह मजबूर थे सिद्धांत के कारण और मजबूर थे इस वजह से कि लखनऊ के बाजारों में या उसकी सड़कों पर उनसे लोगों ने कुछ बातें कहीं जिसके सुनने के बाद मजबूर हुये कि इस तरह का कोई संशोधन वह यहां रखते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के उस कक्ष में बैठने वाले मान्यवर सदस्य से पूछ सकता हूं कि सिद्धांत कोई पंसारी की दुकान है जिसमें टूटी फूटी चीजें रख लेने के बाद या मास्को या लन्दन से कुछ चीजें मंगा लेने के बाद ही यह दुकान खोली जाती है। क्या सिद्धांत किसी संशोधन के रखने पर या न रखने पर बना करता है और बिगड़ जाया करता है ? अगर ऐसी बात है तो अध्यक्ष महोदय, क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे ? जहां तक मैं समझता हूं सिद्धांत कोई एक दिन में नहीं बना करते हैं। वह तो युगों की देन हुआ करते हैं। सिद्धांत किसी संशोधन के रखने या न रखने से नहीं बनते हैं और न बिगड़ते हैं।

हमारा देश प्राचीन देश है। हमारे देश के मार्ग कोई नये मार्ग नहीं हैं कि कोई उन पर आज चलना शुरू कर दे। बड़े से बड़े पुरुष महात्मा गांधी जी ने भी यहां पर कोई नया सिद्धांत चलाने का प्रयत्न नहीं किया। यहां के बड़े से बड़े योगी स्वामी दयानन्द जी ने भी कोई नया सिद्धांत चलाने का प्रयत्न नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बोलने के लिये मजबूर हुआ कि इन छोटी छोटी बातों में इतनी लम्बी लम्बी बातें माननीय सदस्य को नहीं लाना चाहिये था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह फरमाया कि लखनऊ और बाजारों में कुछ चर्चा थी जिसको उन्होंने सुना और वह मजबूर हुये यहां संशोधन रखने के लिये। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूं कि अंग्रेजों के जमाने का यह बिगड़ा हुआ समाज आज हमें मिला है। यह मैं मानता हूं कि समाज से परिचय होना हमारे लिये बहुत आवश्यक है और उसके साथ हमारा सम्पर्क रहना भी आवश्यक है। लेकिन क्या समाज के अन्दर जो कुरीतियां या बुरी

[श्री रामनरेश शुक्ल]

भावना भर गयी हैं उनके सहारे भविष्य निर्माण करने के लिये हमें बैठना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि सदन मे बैठकर समाज के अन्दर कार्य करना बहुत कठिन है और उतना ही कठिन है जितना कि एक साहित्यकार का होता है।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन के ऊपर अपनी नजर रखें।

श्री रामनरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, जैसे कि एक साहित्यकार का कार्य कठिन है क्योंकि साहित्यकार समाज की कुरीतियों को छोड़कर साहित्य की रचना करता है उसी प्रकार से सदन में बैठ कर बाहर की बातों के सहारे पर हम भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे।

जहां तक इन एलाउन्सेज[भत्तों]का संबंध है उसके विषय में हमें केवल इतना ही कहना है कि एलाउन्सेज के होते हुये भी, इन बातों की उम्मीद होते हुये भी, हमारे नेताओं को, हमारे अगुआ लोगों को अपने निजी खर्च में से इतना अधिक खर्च करना पड़ जाता है क्योंकि यह काफी नहीं होता है और अक्सर मौकों पर उन्हें अपनी निजी सम्पत्ति को निकालना पड़ता है। मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सदन में उस कक्ष से यह लांछन लगाने का प्रयत्न किया गया है कि मन्त्रियों के मोटरों का काफी बेजा इस्तेमाल होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहूंगा कि हमारे नेतागण उज्ज्वल शीशे की भांति हैं उसमें इस प्रकार की मनोवृत्ति आपको होगी, जैसा आपका चेहरा होगा वैसी ही शक्ल आपको दिखलाई पड़ेगी।

अन्त में मैं यह कहूं कि हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी उस कक्ष से यह बतलाया कि वह कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा जिसका कि मंत्रिगण प्रयोग करना चाहते हैं। क्या मैं आपके द्वारा उनसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा प्रान्त होते हुये कौन सा ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लें कि एक देहात में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अगर इस सदन ने यह निश्चित कर दिया कि हमारे यहां मोटर कार ही इस्तेमाल हो सकती है तो फिर अगर साइकिल की जरूरत पड़ गयी या टांगे की जरूरत पड़ गयी या और किसी वाहन की जरूरत पड़ गयी या उनके ही शब्दों में बैलगाड़ी की जरूरत पड़ गई तो कौन सा परिवहन निश्चित किया जाय। इसलिये मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करके बैठना चाहूंगा कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हमें बहुत देर तक समय बरबाद करना चाहिये। हमें चाहिये कि इसको जल्दी से जल्दी पास करके जो उत्तम कार्य हमें करना है उसमें लग जायं।

श्री राजनारायण---प्रमुख महोदय, आज सदन में आने के पहले मैं सोचता था कि मुझे इन संशोधनों पर कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे अनधिकारपूर्ण तरीके से कल शाम को मालूम हुआ था कि हमारे जो संशोधन रखे गये हैं उन पर कैबिनट (मंत्रिमंडल) के सदस्यों ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उनकी गम्भीरता उन्होंने महसूस की है। मालूम नहीं कि इसमें कहां तक सत्य का अंश था। मगर जब बहुमत दल के सदस्यों द्वारा इन संशोधनों पर इस प्रकार की आपत्तियां उठाई जाती हैं और इस ढंग से उठाई जाती हैं तो उनको सुनने के बाद मुझे बाध्य होना पड़ता है यह समझाने के लिये कि संशोधन के अन्दर क्या महत्व हैं और किस गम्भीरता का वह संशोधन है। उसको वे समझ नहीं पाये हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे मिनिस्टर कार पर न जायं, मैं नहीं कहता कि हमारे मिनिस्टर हवाई जहाज पर न चलें, मैं यह भी नहीं कहता कि हमारे मिनिस्टर बैलगाड़ी पर या साइकिल पर सारे सूबे का दौरा करें और सारे सूबे की समस्याओं का समाधान इन सवारियों पर करें, मैं तो यह चाहता हूं कि मिनिस्टर लोग उन साधनों का प्रयोग करें जिनके जरिये जल्द से जल्द हमारे सूबे की गरीबी मिट जाय, जिन साधनों का प्रयोग करके हमारे सूबे की तमाम बीमारियां जल्द जल्द मिटाई जा सकें। बारबार इस प्रकार की बातें जैसी उठाई गयी हैं यह संशोधन के अर्थ को अनर्थ के रूप में परिणित कर देना है और इसलिये मैं आपके द्वारा अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि यह

सवाल माननीय मुख्य मंत्री या मंत्रियों का नहीं है वह सवाल सारे सूबे का है, सारे देश का है।

हम तो यह चाहते हैं कि सारे देश और सारे सूबेकी आर्थिक व्यवस्था एक ढंग की हो यानी बड़े से बड़े को १,००० रुपया और छोटे से छोटे को १०० रुपया माहवार की आमदनी होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण को रख कर हम ये संशोधन रख रहे हैं लेकिन उस ओर से इसका दूसरा ही मतलब लगाया जाता है। यह ठीक है कि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंत्री या मुख्य मंत्री के नाम से अगर उनके परिवहन खर्चे पर बिचार करने के लिये ही कहा जाता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं। आस्ट्रेलिया में सन् १९४७ में एक कमेटी बिठाई गई जिसमें मंत्रियों, मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों की तनख्वाह आदि पर विचार हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के जजेज़ भी थे। यह कमेटी ३ आदमियों की थी। विचार करने के बाद रिपोर्ट पेश की गई और उस पर भवन में विचार हुआ और फिर उसी के अनुसार कार्यवाही की गयी। इसलिये इस तरह की बात करना ठीक नहीं है कि अगर इस तरह की बहस की जायगी तो यह कोई अच्छी परिपाटी नहीं होगी। हमारे मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी हर्ष से सुनते हैं, उदारता से सुनते हैं और सत्य तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन के द्वारा उन तक उस सत्य को पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बहुत से मित्र विदेशी मुल्कों में घूम कर आये हैं वे न्यजीलैण्ड, अमेरिका, इंगलैंड और आस्ट्रेलिया आदि की बातें करते हैं, उनकी ओर से वहां की बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन हमारा भारतीय ढंग भी कुछ रहा है। आप विरोधी दल को क्या समझ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्या आप उनको अपना दुश्मन समझ बैठे हैं? डैमोक्रेसी (जनतंत्र) में गवर्नमेंट की जितनी रैंसपोन्सीबिलिटी (उत्तरदायित्व) होती है उतनी ही रैंस्पोंसिबिलिटी विरोधी दल की होती है। सन् १९३१ में श्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था कि जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है उतनी ही जिम्मेदारी अपोजीशन (विरोधी दल) की भी होती है। आप जरा भारतीय परंपरा की ओर भी ध्यान दें। हमारे इस सदन के बहुत से सदस्य रामायण, महाभारत और संस्कृत के अन्य ग्रन्थों के ज्ञाता हैं इसलिये उनके सामने मुझे उनमें से कुछ कहने में हिचक सी होती है। मैं भी पांच बार रामायण का पढ़ने वाला रहा हूं। १३ वर्ष की अवस्था में सन् ४२ तक जब कि दूसरे लोग जेलों में मौज का जीवन बिताते थे हम बाहर क्रांति की अलख जगाते थे। उस रामायण में रामराज्य के बारे में कहा गया है—

"बैर न कर काहू सन कोई,
राम प्रताप विषमता खोई"।।

आप रामराज्य की कल्पना तो करते हैं लेकिन जब एक विषमता के खोने के लिये प्रस्ताव आता है तो तरह तरह की बातें करके उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने स्थान को व्यास पीठ न समझें, वे अपने को अपने संशोधन तक ही सीमित रखें।

श्री राजनारायण—मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि बहुमत दल के सदस्य अधिकांश में जो बातें कहते हैं उनसे आभास होता है कि वे संशोधन के असली मतलब तक पहुंचे ही नहीं और इसीलिये वे हमारा संशोधन ठुकरा रहे हैं। इसलिये आपसे इजाजत लेते हुये मैं चाहूंगा कि भारतीय सभ्यता और परंपरा के बारे में उनको समझा दूं।

माननीय अध्यक्ष—विरोध की जो सीमा है और मुख्य प्रस्ताव का जहां तक ताल्लुक़ है उससे बाहर जाने की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण—जो संशोधन हमने पेश किया है उसमें विरोधी दल के सिद्धांत का सवाल है, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेज ने उस सिद्धांत को समझा नहीं है और वे उस संशोधन को ठुकरा रहे हैं। इसलिये मैं फिर बड़े अदब के साथ उनको समझाने के लिये इजाजत चाहूंगा।

[श्री राज नारायण]

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि विषय इस वस्तुस्थिति के बाहर नहीं जा रहा है। इसलिये मैं अपने सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि श्री राम नरेश जी के साथ रहने का कुछ मुझे भी अनुभव प्राप्त हुआ है, जिन्होंने यहां पर चर्चा की है कि हमारा संशोधन जो आया है वह कुछ बाजारू ढंग से आया है। क्या आप मुझे बाजारू ढंग की बात सुना कर समाज की रचना करना चाहते हैं ? मैंने आपके सामने जो नक्शा पेश किया है वह नक्शा सामाजिक परिवर्तन का है। जब हम आमूल परिवर्तन का आरम्भ करना चाहते हैं तो आपको दृष्टिदोष क्यों होता है ? अगर आप हमारे संशोधन को शुद्ध दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो आप समझ पायेंगे कि यह संशोधन कितना गम्भीर है।

तो खंड ४ पर विचार जारी था जो इस प्रकार है "इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय तथा रखरखाव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायगा।"

मुझे मालूम होता है कि कल रात को जो रिपोर्ट मुझे मिली वह गलत थी, वरना बहुमत दल के सदस्यों का इस तरह विरोध आरम्भ में ही नहीं उठता। क्यों आप चाहते हैं कि हमारे मंत्री लोग जो परिवहन का प्रयोग करें उस पर हम अपने विचार न प्रकट करें ? क्यों आप चाहते हैं कि हमारे मंत्री लोग अपनी कैबिनेट में बैठ कर नियम, उप-नियम बना लें और वह हाउस के सामने न आवें ? जब वह हाउस के सामने आयेंगे तो हम लोग भी उन पर अच्छी तरह से विचार करेंगे। आप बहुमत में तो हैं ही। जो नियम, उप-नियम बनाये जायेंगे उनको आप जैसे चाहेंगे पास करा लेंगे। एक बात साफ हो जायगी वह यह कि हमें भी मालूम हो जायगा कि हमारे मंत्रियों को किन सवारियों की जरूरत है और कितने खर्च की जरूरत है और तब समय समय पर हम उनके सामने प्रश्न भी कर सकेंगे और वे उनका काफी समुचित उत्तर भी दे पायेंगे। इसलिये, श्रीमान् जी, मैं आपके जरिये इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भावुकता के प्रवाह में न जाइये। इस संशोधन में सामाजिक क्रांति की आवाज उठायी गयी है। सामाजिक क्रांति करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसे जब भी मौका मिले तो वह उसके लिये आवाज उठाये। इसलिये श्रीमान् जी के जरिये मैं मुख्य मंत्री तथा प्रत्येक मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करें। हमारा संशोधन उचित है। भावुकता में जाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—समाजवादी दल के नेता जी ने अपने भाषण को समाप्त करते हुये कहा कि भावुकता में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके व्याख्यान को जब मैं सुन रहा था उस समय तो भावुकता से ही प्रेरित हो रहा था और यह समझ रहा था कि मुझे बिना इस संशोधन के मर्म में जाये हुये उनकी भावना का ही आदर करना चाहिये और तरह तरह के विषयों का विचार नहीं करना चाहिये। परन्तु इस सदन में तो हर मसला जो यहां आता है उसके ही आधार पर विचार करना पड़ता है। इसलिये उनकी जो अपीलें होती हैं वे हाउस के सभी सदस्यों के लिये होती हैं उनमें उनकी जो अपनी आन्तरिक भावनायें हैं, उनकी प्रेरणा से वे जो कुछ कहते हैं उनकी झलक दिखलाई देती है। पर फिर भी हमको तो अपने विचारों से किसी तरह सीमित होकर वैसे ही काम करना पड़ता है चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों न हो ?

मुझे इस बात को जान कर खुशी हुई कि जो यहां क्रांति करने का विचार था और है उस क्रांति का आरम्भ इस तरह से भी करने का अब विचार हुआ है कि जो आज तक विरोधी दल के नेता को बोलने नहीं मिलता था तो अब उसका श्रीगणेश किया जाय। यह क्रान्ति आरम्भ में अच्छी है और इस पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। परन्तु हमारे स्पीकर महोदय ने उसको आने का अवसर नहीं दिया। इससे इस क्रान्ति का पहला अध्याय रुक पड़ा। तब भी हमारे सामने जो संशोधन है वह बहुत छोटा सा है और वह यह है कि जो नियम बने वह यहां स्वीकार किये जायं। गर्ज यह है कि जो नियम

बनें या जो भी छोटी मोटी बातें हों वह सदैव यहां लाई जायं और उनकी मंजूरी यहां से कराई जाय। इस सदन के सदस्यों को यह मालूम है कि यहां पर बजट पेश होता है। सप्लीमेंटरी बजट पेश होता है। मंत्रियों के वेतन के खर्चे की एक एक पाई यहां पेश होती है। उसके बारे में वादविवाद करने का, उस पर विचार प्रकट करने का, उसको मंजूर या नामंजूर करने का पूरा अधिकार इस सदन को पूरी तरह से है। हम लोग तो वही पा सकते हैं जो सदन यहां से मंजूर करता है। जो मंजूर नहीं होता है वह मिल भी नहीं सकता है। इसलिये हर चीज पर हर पैसे के ऊपर कंट्रोल इस सदन का मौजूद है। परन्तु कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे यह पता लगता है कि किसी नियम या उपनियम की बात नहीं है वह तो एक धारणा है, एक अनोखी सी बात है। हमारे समाजवादी दल के नेता जी ने यह कहा कि यह चर्चा लखनऊ की गली गली में उन्होंने सुनी जिससे मजबूर होकर उनको यहां पर यह संशोधन पेश करना पड़ा। लखनऊ के लोग उन पर इस तरह से बौछार करें जब वह लखनऊ की गलियों से गुजरें जो कि उनको मजबूर करे! तो जिस बात को वह खुद उचित नहीं समझें उसको यहां भी नहीं लाना चाहिये।

कुछ यह भी कहा गया कि मैं जब विधुना गया था तो मैं मिनिस्टीरियल कार लेकर गया था। जिन साहब ने इसका जिक्र किया है उनकी स्मृति शायद सही नहीं है और वह कुछ भूल करते हैं क्योंकि मुझे इस बात का अधिकार था कि बार बार वहां जाऊं। जब कि यहां पर चुनाव हो रहा था उसके पहले भी और उसके पीछे भी अपने प्रधानमंत्री होने का जो कर्तव्य था उसको मैं बराबर निभाता रहा और आप समझ सकते हैं कि किसी दिन कहीं भी मैं जाऊं जब कि इस सदन ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी है तो यह सम्भव नहीं है कि उन कर्तव्यों को किसी तरह से मना कर सकूं या उनसे मुक्त हो सकूं। मुझे तो वह करना ही होता है। इसलिये अगर मैं मिनिस्टीरियल कार ले जाता तो उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। जहां मैं जाता हूं और जिस काम के लिये जाता हूं वहां सरकारी काम भी होता ही है, उससे किसी तरह से छुटकारा नहीं हो सकता। परन्तु मुझे जहां तक याद है ९ दिसम्बर के बाद जहां कहीं भी मैं चुनाव के सम्बन्ध में गया मैं मिनिस्टीरियल कार को नहीं ले गया और न मैंने पेट्रोल को खर्च किया। और इस बात की कोई जरूरत भी न थी कि हम उस चुनाव के खर्चे को तो उठावें और कार के खर्चे को न उठायें। चुनाव के खर्चे के साथ इसको भी हम कर सकते थे। इसलिये यह जो बातें कही गईं वह सही नहीं हैं।

कुछ यहां पर यह भी कहा गया कि मिनिस्टरों के बच्चे भी कार में बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि क्या यह भी नियम बनाने की जरूरत है कि मिनिस्टर तो उस घर में रहे और उसकी स्त्री और बच्चे उस घर में न रहें और उनको अलग करके वह अकेला रहे और कार में अपने बच्चों के साथ न जाय? अगर यही नियम बनाना चाहते हैं तब तो मालूम होता है कि उनकी धारणा जो कि साधारण बातें हैं उनके मामले में कुछ ऐसी हैं जो किसी सभ्य व्यवस्था से युक्तिसंगत नहीं है। जो जिस कर्तव्य को पूरा करता है उसके साथ निमन्त्रण भी किये जाते हैं। दूसरे देशों में भी यह सभ्यता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को निमन्त्रण दिये जाते हैं। तो क्या हम मंत्रियों से यह आशा की जाती है कि हम एक कार तो सरकारी रखेंगे ही और उसके साथ दूसरी कार भी निजी रखें अपने परिवार के लिये? राजनारायण जी यदि कृपा करें मेरे वहां ठहरने की और वह यदि रेल से आवें तो क्या उनको स्टेशन से लाने के लिये मैं दूसरी कार रखूंगा? या कभी वह मेरे से मिलने आवें और उन्हें देर हो जाय तो क्या उनको भेजने के लिये मैं दूसरी कार इस्तेमाल करूंगा? तो गवर्नमेंट हाउस और गवर्नर वग़ैरह के लिये क्या नियम होंगे और जो आपके छोटे और बड़े सेवक हैं उनके लिये क्या नियम होंगे? जब इस शरह की धारणा है तो समझ में नहीं आता कि आखिर मंत्रियों की बाबत किस तरह की बातें लोगों के ध्यान में हैं।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

एक बात को सुनकर तो कुछ तसल्ली और तसकीन होती है। एक संशोधन ऐसा था कि विरोधी दल के नेता को भी मंत्री का वेतन दिया जाय। अगर यह था तब तो मंत्रियों को रक्षा हो सकती थी। इसमें शायद यह नहीं है कि उसमें से उनकी निजी आमदनी काट दी जाय। यह हो भी क्यों ? क्योंकि विरोधी दल के नेता तो अपना जैसा चाहें स्वयं खर्च भी कर सकते हैं और उनके लिये ऐसा नियम भी क्यों बनाया जाय क्योंकि वे तो विरोधी दल के नेता ही ठहरे ? तो नियम में तो कहीं भी कोई त्रुटि आने का अवसर नहीं हो सकता है। लिहाजा इसकी बात तो समझ में आ सकती है मगर फिर भी दिक्कतें रहती हैं।

नारायणदत्त जी ने यह प्रश्न उठाया कि पहले यह क्यों नहीं रखा गया था और यह कहा गया था कि आवश्यकता नहीं है। अब यह इसलिये रखा गया कि इस बात को इसमें ज्यादा साफ कर दिया जाय बजाय इसके कि हम अगर कार रखते हैं और उसके लिए एलाउंस (भत्ता) वगैरह भी लेते हैं और जो कुछ खर्च होता है करते हैं। उसे ज्यादा सफाई के साथ यहां रखा गया कि यह कानून में आ जाय और इस बारे में इस कानून के अन्दर नियम भी बन जायें। ऐसी हालत में उस पर किसी को आपत्ति क्यों हो ? किसी ने यह आपत्ति की भी नहीं कि इसे डिलीट किया (निकाल दिया) जाय। यदि नारायणदत्त जी यह समझते थे कि यह अनावश्यक है तो उन्हें ऐसा संशोधन देना चाहिये था कि यह डिलीट किया जाय। बल्कि संशोधन तो यह है कि इसे और भी कठिन और जटिल बना दिया जाय और बन्धन और ज्यादा सख्त किये जायं। इस संशोधन का जहां तक सम्बन्ध है इसके बारे में यह भवन पहले ही अपना निश्चय कर चुका है और उसके अनुसार मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी गिरना ही चाहिये। जहां तक इन नियमों और कानूनों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वे काफी हैं और जब तक हम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मेरी राय में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड ४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

प्रमुख महोदय, मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि वे मूल बिल सामने रखेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रत्येक उपमंत्री को एक सौ पचास रुपया प्रतिमास परिवहन भत्ता दिया जायगा। मैंने अपने संशोधन के द्वारा बार बार निवेदन किया और बार बार समझाने की कोशिश की मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है प्रमुख महोदय, कि हमारे संशोधन के मूल तत्व को नहीं समझा गया। मुझे डर है कि यह जो संशोधन आपके सामने इस उपखंड को निकाल देने के लिये मैंने उपस्थित किया है, जिस तरह से हमारे बहुमत दल के सदस्यों ने हमारे पहले संशोधनों पर अपने कार्यक्रम को निर्धारित किय है, कहीं शायद वही इसका भी भविष्य न हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन बातों को प्रकट करके बहुमत दल द्वारा पहले आने वाले संशोधनों को ठुकराया गया, उनको आपके द्वारा अपने सम्मानित सदस्यों के सम्मुख उपस्थित कर दूं।

अभी अभी हमारे संशोधन के विरोध में मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि विरोधी दल को बहुत से नियम और उपनियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है। वे तो विरोधी हैं ही। मुख्य मंत्री जी के जो ये उद्गार हैं उनका भास कराना चाहता हूं। ये उद्गार जनतंत्र की पद्धति और प्रणाली के उद्गार हैं या ये तानाशाही की ओर ले जाने वाले उद्गार हैं ? मैं आपके जरिये

अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां भी डिमोक्रेसी (जनतंत्र) होगी, वहां विरोधी दल होगा। विरोधी दल के अस्तित्व को मिटाने का भाव जहां झलकता है, वह भाव ले जाता है तानाशाही की ओर, वह भाव जनतंत्र की ओर नहीं ले जाता। मैंने इसी लिये पहले अपने संशोधन पर बोलते हुये रेमजे मैकडानल्ड की बात कही थी—

The Prime Minister who was a witness before a Select Committee on the procedure for the members of the House of Commons said on February 16, 1931. "The House of Commons consists not only of a Government but of an opposition and they have therefore got functions and rights."

[प्रधान मंत्री ने, जो कि हाउस आफ़ कामन्स के सदस्यों के निमित्त प्रक्रिया विषयक विशिष्ठ समिति के समक्ष साक्षी थे, १६ फ़र्वरी १९३१ को यह कहा कि हाउस आफ़ कामन्स में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि विरोधी दल भी सम्मिलित है और इसलिये उसके भी कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं।]

डिमोक्रेसी में गवर्नमेंट के भी फंकशंस (कार्य) होते हैं और विरोधी दल के भी फंकशंस होते हैं। यह विरोधी दल का मजाक उड़ाना है कि विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही। प्रमुख महोदय, मैं निहायत अदब के साथ आपके जरिये मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनकी शोभनीय बात नहीं है।

दुश्मन नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय,
बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाय।

यह बराबर बातें आपके यहां कही गयी हैं। विरोधी दल यदि वस्तुस्थिति को प्रकाश में लाना चाहता है तो आप उसको इस तरह से अवहेलना न करें, उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें, यह जनतन्त्र के लिये शोभनीय बात नहीं है। इसलिये, प्रमुख महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मुख्य मंत्री जी से बारबार निवेदन करूंगा कि आगे जब वे हमारे संशोधनों पर अपनी अन्तिम राय देने के लिये खड़े हों, तो वे अपने उद्गारों को इस तरह से प्रकट करें जिससे जो बहुमत दल के सदस्य हैं वे जनतंत्र के उसूल से हट कर तानाशाही अख्तियार करने के रास्ते पर न बढ़ें। जब इसी सूबे के मुख्य मंत्री इस प्रकार के उद्गार निकालते हैं उस समय हमारे दिल को बहुत ठेस लगती है और हम उस ठेस से प्रभावित होकर उस आघात को सहते हुये इस हाउस के सामने प्रमुख महोदय से निवेदन करते हुये बार बार अपील करते हैं कि अब आपको इन संशोधनों को ठीक तरह से समझ कर आगे के लिये अपने को कटिबद्ध करना चाहिए। आपको देखना होगा कि इस संशोधन में जनतंत्र झलकता है या तानाशाही झलकती है। कैबिनेट चाहती है कि हम सारे अधिकार हाथ में ले लें और हाउस के सामने उपस्थित न करें। जनतंत्र में, जनाब, विरोधी दल का भी कर्तव्य होता है। कोई गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी ठेकेदार नहीं बन जाती है। गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी का भी काम है और विरोधी दल का काम है उस गवर्नमेंट को रचनात्मक सुझाव देकर ठीक कार्य कराने में योग दे। प्रमुख महोदय, आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे जितने पत्र-व्यवहार उनसे हुये हैं उनमें कहीं भी कोई भी क्या ऐसी झलक उन्होंने पायी है जिसमें अड़ंगा लगाने की हमारी नीति रही हो? हमने तो बराबर सहयोग किया मगर आपके इन उद्गारों ने हमें हमेशा ठुकराया। जब कभी कोई प्रश्न आया, चाहे वह दस गुना लगान का हो, चाहे पंचायत राज का हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, हमने आपको सुझाव दिये और कहा कि हमारा सहयोग लीजिये मगर आप हमारा सहयोग लेने के लिये आगे आये नहीं?

प्रमुख महोदय, मैं आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो संशोधन आयें उन पर इस दृष्टि से न ग़ौर करें कि यह तो विरोधी दल है ही, उनका तो काम ही विरोध करना और अड़ंगेबाजी लगाना है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री और

[श्री राज नारायण]

इस सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी जिसको विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हो चुकी है वह जब इस हाउस में विरोधी दल के रूप में नहीं थी तब भी उसकी नीति अड़ंगेबाजी की नहीं थी। वह तो अपने रचनात्मक सुझावों के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करती थी। और, प्रमुख महोदय, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, हमें मुख्य मंत्री की बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें उन सदस्यों की बातें अच्छी नहीं लगतीं जो अपनी बातें हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं और उनकी यह घपले की नीति नहीं चलने वाली है। उनको एक रास्ता चुन लेना होगा। कुछ सदस्य ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो यहां तो कुछ कहते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि पन्त जी भी अड़े हुए हैं किसी एक बात को लेकर चाहे वह सही हो या गलत हो, उसको करा ही लेना चाहते हैं। अब वह जमाना लद गया जब आप इस भवन में बैठ कर दूसरी बातें करें और इसके बाहर जाकर दूसरी बातें कहें और चाहें कि विरोधी दल को भी खुश रखें और वह जो अपने सुझाव रखें तो उनसे कहें कि तुम्हारी बातें अच्छी हैं।

प्रमुख महोदय, शासन के नाम पर ग़लत काम नहीं करना चाहिये। मैं अपना संशोधन आपके सामने उपस्थित करता हूं कि "खंड ४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय" जिसमें कि डेढ़ सौ रुपये परिवहन के लिये उपमंत्रियों के लिये देने को कहा गया है। एक उपमंत्री को डेढ़ सौ रुपये की परिवहन के लिये क्या आवश्यकता है? जब मुख्य मंत्री राज नारायण को लेने के लिये अपनी गाड़ी भेज सकते हैं तो मुख्य मंत्री हमेशा तो काम में लगे नहीं रहेंगे। जब उनकी या और मंत्रियों की गाड़ी खाली हो तो वह उपमंत्रियों के काम में आवे। इस प्रस्ताव में इसकी गन्ध कहीं से नहीं आती कि केवल विरोध के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है बल्कि हमने विरोधी पार्टी की ओर से केवल विरोध के लिये इस प्रस्ताव को नहीं रखा है। समझने के लिये, बूझने के लिये, विचार करने के लिये और विचार करके अपनी अन्तिम राय देने के लिये रखा है। अब दोनों के विचार विनिमय से जो युक्त बात आवे आप उसको मानकर के चलिये।

कल, प्रमुख महोदय, मुझसे इसी हाउस में कहा गया कि माननीय श्री सम्पूर्णानन्द ने समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तों की चर्चा करते हुये सब बातें सदस्यों को बतलाई हैं। मुझे खुशी है कि वह आज यहां विराजमान हैं। उन्हीं के जरिये से सुना है कि घात प्रतिघात, संघातवाद प्रतिवाद (युक्तवाद) और उनकी पुस्तकों में यह बातें पढ़ी भी हैं। अगर हमारी समझ में आपकी राय गलत है और उसके विरोध में अपने मत को रखा तो आप दोनों पर विचार कीजिये। अगर हम विरोधी हैं तो विरोधी दल ही रहना क्या फाइनल (अन्तिम) चीज़ है? विरोधी दल ही गवर्नमेंट बन जाता है। सन् १९२३ ई० में आप भी विरोधी रहे, जब स्वराज्य पार्टी बनी थी। उस समय भी क्या आप गैरजिम्मेदारी की बातें करते थे? मैं उनसे अपील करूंगा कि विरोधी दल के द्वारा जो संशोधन रखा गया है उस संशोधन पर गम्भीरता से विचार करें और अगर इस समय विचार करने में कोई दिक्कत होती हो, क्योंकि साढ़े बारह बजे का समय है, हमको भी काफी गरमी मालूम हो रही है, तो थोड़े समय के लिये बैठक स्थगित भी कर दें और ठंडे चित्त से शान्ति के साथ, उदार भाव से व्यापकता के साथ हमारे संशोधन पर विचार करें। कोई भी कारण नहीं है कि उपमंत्री के परिवहन के ऊपर १५० रुपया अलग से खर्च किया जाय। मंत्रियों की कार से, लखनऊ में रहते हुए, उपमंत्री भलीभांति अपना काम चला सकते हैं।

श्री शिव नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने अभी सब प्रकार के ट्रांस्पोर्ट (परिवहन) को हवाई जहाज मान लिया। उनके मान लेने के अनुसार मैं कहता हूं कि उनका जो संशोधन है उसका उन्होंने स्वयं ही खंडन कर दिया। अभी उन्होंने कहा है कि वायुयान से हमारे मंत्री लोग जा सकते हैं। कल परसों कहा

गया कि गोरखपुर में जो फायरिंग हुई (गोली चली) और फायरिंग के वक्त अगर हमारे मिनिस्टर जाना चाहेंगे तो बैलगाड़ी पर नहीं पहुंचेंगे, उनको तो प्लेन (वायुयान) या फर्स्ट क्लास कार चाहिये। विरोधी दल की ओर से डिमोक्रेसी का बहुत बखान किया गया, लेकिन मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि हर एक मेम्बर जो यहां मौजूद है वह जनता ने चुनकर यहां भेजा है, यह नहीं कि कोई जबरदस्ती लादा गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो संशोधन है यह बिल्कुल विरोधी दल के नेता के व्याख्यान ही से गिर गया है और इसके बाद इस पर और ज्यादा वादविवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन दिन से जैसी कि हमारे विरोधी दल की तरफ से वाक्य-वाण-वर्षा की जा रही है उसको सुन सुन करके मेरा चित्त स्थिर न रह सका। पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ न कहूं, लेकिन उस वाण वर्षा को सुनकर यही समझ में आया कि मैं भी कुछ बोलूं। आज हमारे विरोधी ग्रुप (समुदाय) के नेता श्री राजनारायण जी ने अपना संशोधन रखा है कि हमारे उपमंत्रियों को जो डेढ़ सौ रुपया उनके परिवहन के लिये रखा गया है, वह न दिया जाय और आपने सुझाव दिया है कि हमारे मंत्री महोदयों के पास जो कारें हैं उन्हीं से वे भी अपना काम चला सकते हैं। यह बात तो कुछ वैसी ही समझ में आती है कि आज तो यह कहा जा सकता है कि मंत्री महोदयों की कार से उपमंत्री महोदय भी अपना सफर करें और जो उसमें १५० रु० के खर्च की बचत की बात है उसका यहां सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन कल ही यह चीज फिर विरोधी ग्रुप की तरफ से रखी जा सकती है कि देखिये मंत्री और उपमंत्री महोदय एक ही कार से सफर कर रहे हैं, एक ही साथ घूम रहे हैं, व्यर्थ में पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहां व्यर्थ ही इस प्रकार आपत्ति करके अनर्गल बातें पैदा की जा रही हैं। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन लाकर हाउस के समय को बरबाद किया जा रहा है। कहा तो यह जाता है कि पैसे की बचत के लिए ऐसे सुझाव दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हाउस के काम को बढ़ा कर व्यय बढ़ाया जा रहा है। मैं तो विरोधी दल के नेता तथा अन्य मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो सदस्यों का समय नष्ट किया जा रहा है उसके स्थान पर वे इस समय को पब्लिक की सेवा में जाकर खर्च करें।

श्री गजेन्द्र सिंह---प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है) स्पीकर महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं क्या वह विषयान्तर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी---मैं उसको देख नहीं सका इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जहां तक समय की बात है आज समय की पुकार है कि बातें कम की जायं, काम अधिक किया जाय। इस तरह से बातें करके हम लोग जनता की कुछ अधिक भलाई नहीं कर सकते। अतएव हमें काम करना चाहिए और इस तरह की बातों में अपना समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिये। इसलिये हम सबको इस वाद-विवाद में अधिक समय न लगा कर अपने कामों पर ठीक से संलग्न होकर जल्दी से काम को समाप्त करके जनता के हित की बातों को करना चाहिये। मैं तो फिर अध्यक्ष महोदय के द्वारा विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह समय का ध्यान रखें, जनता की मांग को सामने रखें। इस लक्ष्य को सामने रख कर यहां पर कार्य करें।

श्री देवकीनन्दन विभव---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के संबंध में कोई विचार विमर्श करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन अभी विरोधी दल के नेता ने जो भाषण दिया है उससे मुझे प्रेरणा हुई है कि मैं उनका जवाब आपके सामने रखूं।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

आज इस संशोधन और प्रस्ताव के संबंध में कितनी ही बातें कही गयीं। कहीं एक तरफ सामाजिक क्रान्ति की बात कही गयी है और एक तरफ डेमोक्रेसी की बात कही गयी है तथा दूसरी तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी के संबंध में भी आक्षेप किया गया। मैं विरोधी दल के नेता से यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की बात आप जो कहना चाहते हैं वह, मैं समझता हूं मार्क्सवादियों को डेमोक्रेसी की बात कहते हुए कुछ ज्यादा स्वाभाविक नहीं मालूम होगा। आपने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो रुख अख्तियार किया है.... ।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य, "आप" का उपयोग इस प्रकार न करें

श्री देवकी नन्दन विभव—अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो धारणा शुरू से रखी गई है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उससे यह साफ प्रकट होता है कि उससे उनका आशय कोई भी किसी प्रकार की रचनात्मक या कांस्ट्रक्टिव आलोचना का नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी तरफ से यह रखा गया कि अब तक जो मंत्रीगण को १,५०० रुपये का वेतन दिया जाता है अब १,२०० रुपया हो। इस पर हमारा विचार था और हम आशा करते थे कि विरोधी दल के नेता इस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करेंगे। परन्तु उसके खिलाफ वह कहते हैं कि समाज में समता आनी चाहिए। यह तो स्वयं ही ऐसी प्रगति थी जो कम करके समता की ओर ले जाती थी, फिर कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिये कहा गया कि हम तो सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं, हम तो महात्मा गांधी के सिद्धान्त को रखना चाहते हैं और हम तो प्रजातन्त्रवाद के उसूलों को लाना चाहते हैं? मैं तो आपसे कहूंगा कि आज आप प्रजातन्त्रवाद के उसूल की बात करते हैं और मंत्रीगण के वेतन के सम्बन्ध में या उनकी मोटर के सम्बन्ध में या उनके मकान के सम्बन्ध में आज आप प्राचीन संस्कृति का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कभी देखा है कि रूस में क्या स्टैलिन के ऊपर आज माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू से अधिक खर्च नहीं होता है और क्या चीन में माओ पर आज हमारे पंडित जी से कम खर्च होता है और उन पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है और स्टेलिन को जो बिल्डिंग मिली हुई है क्या वह वहां की सब से ज्यादा शानदार इमारत नहीं है? क्या माओ किसी कुटिया में रहते हैं या किसी कोठरी या छप्पर में रहते हैं?

आप मार्क्सवाद की बात कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से पहले सन् २१, २२ और २३ में जब पहली बार राजनीति में आया तो मैंने भी जैसा कि स्वाभाविक होता है, कम्यूनिज्म और साम्यवाद की किताबें पढ़ीं और, जैसा कि शौक होता है, मैंने भी बाहर से मंगवा कर किताबें पढ़ीं। यही नहीं, मैं माननीय विरोधी दल के नेता को बतलाना चाहता हूं कि उस समय सन् २३ में जब कानपुर में कम्युनिस्ट कान्फ्रेन्स (साम्यवादी सम्मेलन) हुई तो मैं भी उसके संयोजकों में था। लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति थी उसके परिणामों पर हमने सोचा और इस नतीजे पर हम आये कि अगर देश में कोई पार्टी रह सकती है और देश का उद्धार कर सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और वह गांधी जी की विचारधारा से ही हो सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज यूरोप के कम्युनिस्ट भी इसी विचारधारा पर आ रहे हैं और तमाम समाजवादी, साम्यवादी और मार्क्सवादी भी इसी विचार पर आ रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमारे कुछ अधिकार हैं और हमारा कुछ स्थान है और हम रचनात्मक तरीके से इस सदन में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन दो तीन दिन से जो कुछ मैं इस सदन में सुन रहा हूं वह कोई रचनात्मक प्रगति नहीं है, वह तो कोई रचनात्मक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन के ऊपर ही अपनी दृष्टि रखें।

श्री देवकी नन्दन विभव---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कहां तक रचनात्मक कार्य की प्रगति है। एक डिप्टी मिनिस्टर के लिये यातायात के लिये १५० रुपये रखा गया है। आपकी तरफ से यानी विरोधी दल की तरफ से यह आता है कि उनको माननीय मुख्य मंत्री अपनी कार दे दें। यह कैसे संभव हो सकता है जब कि एक वक्त दोनों ही को जाना होगा तब क्या उपमंत्री जब तक लौट नहीं आयेंगे तब तक माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे रहेंगे ?

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो रचनात्मक कार्य की बात कहते हैं, विरोधी पक्ष के अधिकारों की बात कहते हैं, तो यदि आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसे तर्कों को भवन में पेश न करें। मैं अपील करता हूं कि अगर आप वास्तव में ऐसा कहते हैं, मुझे तो इस में संदेह है कि आप विरोधी दल के नेता के रूप में वैधानिक तरीके से हैं भी या नहीं।

श्री राज नारायण---प्रमुख महोदय, मैं निहायत अदब के साथ यह अपील करना चाहता हूं कि इस सदन में इस तरह के उद्गार रखना उचित नहीं है। यदि किसी शख्स को भ्रम हो कि मैं विरोधी दल का नेता वैधानिक रूप से हूं या नहीं, तो उन्हें या किसी भी सदस्य को विधान भवन में आने से पहले पढ़ लेना चाहिये उस बोर्ड को जो कि सदन के पास ही लगा हुआ है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह प्रमुख महोदय का अपमान है। इस तरह के उद्गार सदन में करने से स्पीकर महोदय का अपमान होता है।

माननीय अध्यक्ष---आप अपने शब्दों में विरोधी दल के नेता के ऊपर कोई आक्षेप न करें।

श्री देवकी नन्दन विभव---जी नहीं। मेरी भावना यह है कि मैंने अभी तक विरोधी दल के नेता के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया है। विरोधी दल के नेता---जो मैं यह कहूंगा कि मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं.....

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य को. यह मालूम होना चाहिये कि जब अध्यक्ष ने उनको विरोधी दल का नेता मान लिया तो उसको न मानना सदन का अपमान करना है। इसलिये आप अपने शब्दों को वापस ले लें।

श्री देवकी नन्दन विभव---मुझे यह मालूम नहीं था। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय ने आपको नेता विरोधी दल का मान लिया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है कि वह रचनात्मक और कांस्टीटचूशनल (वैधानिक) तरीके से अपने सुझावों को रखें और सदन के समय का दुरूपयोग इस तरह से न करें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता को कम से कम इस संशोधन को तो वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि यह संशोधन हास्यास्पद मालूम होता है, मजाक जैसा मालूम पड़ता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उपमंत्री तो नियुक्त किये जायं लेकिन उनको यातायात की सुविधा न दी जाय और मुख्य मंत्री की मोटर में उपमंत्री काम करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राजनारायण जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्री राजनारायण जी का कहना यह है कि उपमंत्रियों को १५० रुपये का जो भत्ता दिया जायगा वह न दिया जाय और इस क्लाज को यहां से निकाल दिया जाय। श्री राजनारायण जी ने जो संशोधन इस संबंध में रखा है

[श्री गजेन्द्र सिंह]

वह अत्यन्त न्यायसंगत और उपयुक्त है। जब कि हमारे देश में इस तरह से गरीबी बढ़ी हुई है और बढ़ रही है, तो इस तरह का व्यय करना ठीक नहीं मालूम होता। हमारा यह विश्वास है कि शासन का खर्चा दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से शासन का खर्च बढ़ाकर इस सूबे की जनता पर आर्थिक भार बुरी तरह से डाला जा रहा है। आपने देखा था कि जब यहां पर गवर्नर का शासन था तो दो या तीन सलाहकारों की सहायता से सूबे का शासन किया जाता था। जब सन् ३७ में कांग्रेस की सबसे पहली सरकार आयी उस वक्त केवल ६ मंत्रियों द्वारा पूरा शासन चलाया जाता था और उसके बाद सन् १९४६ में जब फिर कांग्रेस हुकूमत में आई तब ९ मंत्रियों से काम चलता था। लेकिन अब को बढ़ा ३ मंत्री और बढ़ा दिये गये है और इस तरह से मंत्रियों की संख्या १२ कर दी गयी है। इसके अलावा १२ उपमंत्री नियुक्त किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि शासन का खर्चा इस तरह से बढ़ाया जा रहा है जिस तरह से महाभारत काल में द्रौपदी का चीर बढ़ाया गया था। इस तरह से द्रौपदी के चीर की भांति शासन के खर्चे को बढ़ाते जाना इस सूबे के गरीब किसानों पर जो सुबह से शाम तक श्रम करने के बाद १२ आने या ८ आने मजदूरी पाता है उसके ऊपर बेजा बोझ बढ़ाना है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिये। एक मित्र ने यह भी कहा कि जनता के हित का ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपके द्वारा उन आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी ने जो यह सुझाव आपके सामने रखा है वह जनता के हित को दृष्टिकोण में रखते हुये ही रखा है, खासकर इस सूबे के गरीब किसानों के हित को दृष्टिकोण में रखते हुये ही किया है, क्योंकि अगर शासन का खर्च बढ़ाया जायगा तो फिर गरीब किसानों पर ही उसका भार आयेगा। उन पर टैक्स लगाया जायगा और इस तरह से जनता की कमर टूटेगी। अगर आप इस बात पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा सुझाव कितना वैधानिक है।

हमने कुछ आंकड़े लिखे हैं उनको देखिये अगर उपमंत्रियों को १०० रुपया मकान खर्च का देंगे, तो इस तरह से उनको १४,४०० रुपया एक साल में उपमंत्रियों को मकान खर्च का देंगे। इसी तरह से परिवहन के लिये अगर आप खर्च दें तो २१,६०० रुपया सालाना खर्च होगा। इसके साथ ही साथ उनको सैलरी (वेतन) भी दी जाय तो उसमें १,०८,००० रुपया खर्च होगा। इस तरह से अगर हम पूरे पांच साल का खर्चा लगायें तो ७ लाख २० हजार रुपये खर्चा होता है। इन पांच सालों में उपमंत्रियों की सैलरी और उनके मकानों का किराया और उन के परिवहन का खर्च ७ लाख २० हजार रुपया होता है। तो मैं उन आदरणीय मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने यह कहा है कि सोशलिस्ट पार्टी ने जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा है कि यह विचार आपका बिलकुल गलत है। सोशलिस्ट पार्टी ने जनता के हित को ही ध्यान में रखा है और उसको ध्यान में रखते हुये ही यह सुझाव दिया। आप इस सुझाव को मानें या न मानें, क्योंकि मानना न मानना आपका काम है, लेकिन वक्त बतायेगा कि यह किस प्रकार का सुझाव था। आप क्यों यह समझते हैं कि हम आप पर बाण चलाते हैं? मैं आपके द्वारा ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आप पर बाण नहीं चलाते हैं। हम हृदय से आप से प्रेम करते हैं। आप हमारे हृदय के टुकड़े हैं, हमारे साथी हैं। आपमें से बहुत से सज्जन हैं जो हमारे गुरू हैं और हमने आप लोगों के चरणों में बैठकर राजनीति को सीखा है और आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आप पर कोई बाण नहीं चलाते हैं। हम २३ सदस्य हैं, भला २३ सदस्य ३९० सदस्यों पर क्या बाण चलायेंगे और अगर हम चलायें भी तो आप बहुत साधारणतया उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन आपके ३९० बाण अगर हम पर छूटेंगे तो हम उसे बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। एक सज्जन ने यह भी कहा कि हम समय को

बरबाद कर रहे हैं। तो हम समय को बरबाद करते हैं या आप? हमने एक साधारण सा संशोधन पेश किया या कोई रचनात्मक सुझाव दिया लेकिन उस पर तीन तीन या पांच पांच माननीय सदस्य बोलते हैं और इस तरह से समय को बरबाद करते हैं ।

यह कहा गया है कि माओ और स्टालिन भी आलीशान स्थानों में रहते हैं। जहां तक मार्क्सिज्म का ताल्लुक है और हम सोशलिस्टों का ताल्लुक है हम तो चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड (रहन-सहन का स्तर) ऊंचा हो। मंत्रियों का भी ऊंचा हो, माननीय सदस्यों का भी ऊंचा हो, पटवारियों का भी ऊंचा हो, क्लर्कों का भी ऊंचा हो और खेत में काम करने वाले किसानों का भी रहन सहन ऊंचा हो। हर आदमी का दर्जा ऊंचा ही हो। जब इस देश के हर एक आदमी के रहन सहन का दर्जा ऊंचा होगा तो माननीय मंत्रियों के रहन सहन का दर्जा तो ऊंचा होगा ही और वे अपने ऊपर ज्यादा खर्चा कर सकेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस देश की गरीब जनता का रहन सहन का दर्जा ऊंचा नहीं है तब इस तरह से लम्पसम (इकट्ठी) रकम खर्च करना राष्ट्र के हित में नहीं है। आप कहते हैं कि मार्क्सवादी दल की प्रीचिंग्स (उपदेश) हमको न दीजिये। मैं तो कहता हूं कि आप गांधी जी को मानते हैं। उन्हीं की प्रीचिंग्स को आप मानिए। इस सदन के बाहर आप इलेक्शन (स्पीचेज चुनाव संबंधी भाषणों) में बराबर यह कहा करते थे कि कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि गांधी जी का यही कहना है। आप गांधी जी के नाम पर वोट मांगते थे । तो फिर इस सदन के अन्दर भी आप उनको मानिये। सदन के बाहर जब आप उनको अपना नेता मानते हैं तो सदन के भीतर भी उनको आप अपना नेता मानिये। विरोधी दल के नेता की ओर से जो चीज आज कही जा रही है वही उनकी आज्ञा है आपको वह माननी चाहिए। मैं आपको साफ बतला देना चाहता हूं कि जब आने वाली संतानें हमारी आपकी स्पीचेज (भाषणों) को, इस डिबेटस् को पढ़ेंगी तो वे कहेंगी कि सोशलिस्ट पार्टी ने जो सुझाव इस भवन में सामने रखा था वह न्यायसंगत था। आज जमाना भी इसी बात को कहता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन पर वे ठंडे दिल से सोचें। हमारी ओर से यह एक रचनात्मक सुझाव है। यह सुझाव देश को समृद्धिशाली बनाने वाला है। जो संशोधन श्री राजनारायण जी ने उपस्थित किया है इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग उसको स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अंतिम वक्ता जी ने यह इच्छा प्रकट की है कि यहां पर ज्यादा भा ण न दिये जायं और सदन का काम जल्दी हुआ करे। मैं आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि हम जितनी भी जल्दी हो सके काम को शीघ्रता से करें। अब मैं यह समझता हूं कि इस तरह के सदनों में यह अनिवार्य है और कभी कभी असंभव भी हो जाता है कि हम एक मत हो सकें। हम तो यहां बैठते ही इसलिये हैं कि हम सदैव एक मत नहीं हो सकते। यदि हमारी तरफ से यहां कोई विधेयक पेश हो और उसमें कोई भी त्रुटि किसी सदस्य को मालूम हो तो उसको उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये, यह उनका कर्त्तव्य है और जब तक हमको यह न लगे कि हमने जो कुछ रखा है वह ठीक नहीं है, तब तक उसको कायम रखना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। इसमें किसी तरह की कोई जिद्द की बात नहीं है बल्कि हमारी समझ में जो बात जैसी आती है वैसा हमको करना पड़ता है। इस समय तो यहां एक बहुत छोटा सा सवाल है। वह यह है कि उपमंत्रियों को १५० रु० कार एलाउन्स (मोटर भत्ता) दिया जाय या न दिया जाय। यह तो मान लिया गया, कम से कम पास हो गया कि उपमंत्री तो होंगे। अगर होंगे तो अब यह विचार करना है कि जनता की खिदमत उनको कार एलाउन्स न देकर ज्यादा अच्छी होगी या कार एलाउन्स देकर अच्छी होगी। वेतन तो उनको देना ही होगा। उनके समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिये यह वांछनीय है कि उनको कन्वेयंस एलाउन्स (परिवहन भत्ता) दिया जाय। यह तो सभी मानते हैं कि उनको कन्वेएन्स की जरूरत है।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कन्वेयंस एलाउन्स के खिलाफ इसमें एक ही तरमीम पेश की गयी है और उसका मतलब है कि "मंत्रियों की कार पर उपमंत्री लोग भी चले जाया करें"। लिहाजा उनके लिये किसी एलाउन्स की जरूरत नहीं होगी। परन्तु उनका मकान भी दूसरा होगा, काम भी अलग अलग होंगे, इसलिये यह चीज किसी तरह से चल नहीं सकती है। अगर यह हो कि उनको न दिया जाय और वे बगैर इसके काम करें तब यह तो कोई दलील हो सकती है। मगर उनको काम करना है और इसके लिये उनको कन्वेएंस की जरूरत है तो फिर बगैर कार के उनका काम नहीं चल सकता है। इसलिये उनके लिये कोई प्राविजन होना चाहिए।

हमारे यहां सन् १९४६ ई० में जो कायदे बने थे उनके मुताबिक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये १०० रुपया कन्वेएंस एलाउन्स रखा गया था और अब भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये १०० रुपया कायम है और आगे भी जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज होंगे उनको यह मिलेगा। तो उपमंत्रियों को कन्वेएंस न मिले, यह बात जो कि हम यहां पर एक उसूल कायम करने जा रहे हैं उसके खिलाफ पड़ता है। और यह १०० रुपया जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को सन् ४६ में मिलता था तो आज तो किसी भी तरह से १५० रुपये उपमंत्रियों को देना अनुचित नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री राजनारायण --श्रीमान् जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आगे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी रखे जाने वाले हैं?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और उपमंत्री दोनों मिला कर करीब १३ या १४ होंगे। अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हों, सभी उपमंत्री ही हों तो खर्चा कुछ ज्यादा होगा। लेकिन अगर कुछ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज न होंगे और कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स (उपमंत्री) होंगे, तो खर्चा कुछ कम होगा। हमने एक उसूल बना लिया है कि कुछ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी रखे जायेंगे, लेकिन अगर भवन चाहेगा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज न बना कर सबों को उपमंत्री ही बनाया जाय तो मैं उसे भी सोचने को तैयार हूं, मगर उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी बात कोई जरूरी नहीं मालूम होती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सभी मंजूर करेंगे और प्रस्तावक महोदय यदि उचित समझेंगे तो अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करते हुये, कल जो भी डिप्टी मिनिस्टरों के विषय में कहा गया आज उस पर इस भवन का ध्यान दोबारा दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस संशोधन को रखते हुये हम लोगों ने बारबार उस मूल सिद्धांत की बात कही है और कल भी कहा था कि हमारे भारतीय संविधान में उपमंत्रियों के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया गया है और यह कहीं भी नहीं है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिप्टी मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे। जब हमने संविधान की शपथ ली है और जब उसके किसी अनुच्छेद में यह चीज नहीं है तो फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि आप किस तरह से डिप्टी मिनिस्टर्स को नियुक्त करना चाहते हैं। खैर, मान लीजिये कि आपने इसके लिये भी व्यवस्था कर ली तो फिर एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना जरूरी है और वह यह है कि इसमें कन्वेएंस एलाउन्स का जिक्र किया गया है और धारा ३ में यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने की बात भी कही गयी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि परिवहन भत्ता और यात्रिक भत्ता ये दो नाम क्यों रखे गये हैं। परिवहन भत्ता या यात्रिक भत्ता जो होता है वह तो एक ही तरह का होता है। दैनिक भत्ता दूसरी चीज है लेकिन यात्रिक भत्ता और परिवहन भत्ता तो एक ही चीज है

तो यहां पर मैं समझता हूं कि परस्पर विरोधी धारायें हैं या तो परिवहन भत्ते का जिक्र होना चाहिये या यात्रिक भत्ते का जिक्र होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस सभा भवन के माननीय सदस्य इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, मुझे विश्वास है इस संशोधन को पूर्णरूप में या एकांश रूप में स्वीकार करेंगे।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के विरोध में बहुमत दल की ओर से कुछ सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये उनसे फिर मुझे आवश्यकता हुई कि मैं उनसे कुछ और अपनी ओर से निवेदन करूं। बारबार आपके द्वारा इस सदन में हमने सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है मगर आप बारबार सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति को समझने के लिये कहीं तो मास्को चले जाते हैं और कहीं माओ का जिक्र करने लगते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। सोशलिस्ट पार्टी की एक फिलासफी है, एक दर्शन है। सोशलिस्ट पार्टी ने आज मुझे दावा है कि दुनियां को एक विचार-धारा दी है। बहुमत दल की ओर से एक भाई ने कहा कि सन् १९२३ ई० में जब कम्युनिस्ट पार्टी का जलसा कानपुर में हुआ था तो उस समय वह वहां पर प्रबंधक थे। हो सकता है वहां रहे हों लेकिन सोशलिस्ट पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी को रिजेक्ट (अस्वीकृत) करती है। सोशलिस्ट पार्टी तो डंके की चोट कहती है कि कम्युनिस्टों का अनुकरण इस देश को चौपट कर देगा। आप मास्को न जाइये, आप स्टैलिन की ओर न देखिये। मैंने कभी नहीं कहा कि सदन के अन्दर स्टैलिन या माओ को सामने रख कर वादविवाद किया जाय। हमारे सामने जो आदर्श है वह अमेरिका का आदर्श नहीं है और इंग्लैण्ड का आदर्श नहीं है। आपने जब विधान बनाया था तो उसके बारे में हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि इस संविधान के अन्दर भारतीय आत्मा नहीं है। इस समय आप अमेरिका की नकल कर रहे हैं और इंग्लैण्ड की नकल कर रहे हैं। कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा और भानमती ने कुनबा जोड़ा। दूसरे मुल्कों से बहुत सी बातों को लेकर आपने इस विधान को बनाया है जिसके अन्दर भारतीय आत्मा नहीं है। अगर रूस के अन्दर आज डिक्टेटरशिप (तानाशाही) है तो क्या आप उस डिक्टेटरशिप को हिन्दुस्तान में भी कायम करना चाहते हैं? अगर आप यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं, तो फिर क्यों कम्युनिज्म की बात करते हैं? सोशलिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी जितना अपना शत्रु मानती है उतना किसी और को नहीं मानती है। मैं निहायत अदब के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप में बिलीव (विश्वास) करती है और कांग्रेस भी अब डिक्टेटर शिप की ओर चली जा रही है। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव पर और सोशलिस्ट पार्टी के संशोधन पर आपको राय कायम करनी चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म ने दुनिया में एक पद्धति को कायम किया है, डिमोक्रेटिक सोशलिज्म को कायम किया है। उसकी तरफ आपको ध्यान देने की निहायत जरूरत है। दो चीजें हुआ करती हैं। सिस्टम (संहति) और मैथड (रीति)। रूस ने सिस्टम को कायम किया है और अमेरिका ने मैथड को कायम किया है। आप अमेरिका को देखिये कि वहां की सारी राष्ट्र की सम्पत्ति ६ आदमियों के हाथ में चली गई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको सोशलिस्ट पार्टी के संशोधन को स्वीकार करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये से इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाता चाहता हूं कि वे तनिक कष्ट करें। सोशलिस्ट पार्टी के मैनीस्फेटो (घोषणा पत्र), फिलासफी (दर्शन) और एम्स तथा आबजैक्ट्स (उद्देश्य और लक्ष्य) हैं। स्टेटमेंट आफ पालिसी भी है। क्यों नहीं आप उन्हें पढ़ लेते? काउंसिलर्स रेंजिडेंस में एक आदमी दो घंटे सुबह और शाम को भी सोशलिस्ट पार्टी की किताबें बेचा करता है, तो माननीय सदस्य जरा उन्हें पढ़ें और तब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मत कायम करें।

श्री ब्रजभूषणमिश्र--मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां इस संशोधन पर विचार हो रहा है या आप अपने मत रखना चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष---आप बैठ जावें ।

श्री राजनारायण---जब हमारे संशोधन के विरोध में कुछ सम्मानित सदस्य ऐसी बातें करते हैं तो हमें लाचारी से उनका जवाब देना पड़ता है । इसलिये आपके द्वारा हमारे मित्र रामवासी जी ने जो.....

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य यह याद रखें कि दो ग़लतियां मिल कर एक सही बात नहीं हो सकती ।

श्री राजनारायण---प्रमुख महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी सदस्यों से निवेदन करना चाहती है कि वह रूस की नक़ल न करें और न वे अमेरिका और इंग्लैन्ड की ही नक़ल करें । हमारी भारतीय परम्परायें, मान्यतायें और संस्कृति हैं । आप उनको अख्तियार की जिये । अगर आप साइंटिफिक सोशलिज्म (वैज्ञानिक समाजवाद) का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि मार्क्सवाद ने भी यही कहा था । मार्क्सिज्म को गांधी जी की भी देन है और उसे लेकर चलना वैज्ञानिक बात होगी । हमारे संशोधन के विरोध में जो सज्जन इसलिये जाना चाहते हैं कि इसका संबंध मास्को से नहीं है तो उन्हें तो कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाना चाहिए। वे कांग्रेस में क्यों पड़े हुये हैं ? अगर कोई सदस्य हमारे संशोधन के विरोध में इसलिये जाना चाहते हैं कि हमारा संशोधन माओ साहब के रहन सहन से भी नहीं मिलता तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारा आदर्श माओ साहब भी नहीं है । हमने आपके सामने जो नई प्रणाली और पद्धति निकाली है उन दोनों का अविच्छिन्न संबंध करके हम इस संशोधन को आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं । आप भावावेश में न आकर वस्तुस्थिति समझने की कोशिश करें और हमारे संशोधन के समर्थन के लिये सहर्ष आगे बढ़ें ।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यदि मैं इस संशोधन को स्वीकार कर सकता तो मुझे बड़ा हर्ष होता । मगर जैसा मैंने पहले कहा मैं उसे लाभदायक नहीं समझता । इस कारण मुझे मजबूरन इसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ती है । आप यह भी कह सकते थे कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले हमारे असेम्बली के सदस्य २२८ थे और उससे पहले १२० ही थे, और अब ४३१ हैं । तो जहां तक उपमन्त्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का संबंध है और अगर १४ के लगभग इन दोनों का मिला हुआ अब भी नम्बर रहा तो पहले भी हमारे यहां १३ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे इतना सदन का फैलाव होने पर भी उसमें कोई अन्तर नहीं होता ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण---खंड ४ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं ।

प्रमुख महोदय, मूल बिल में यों लिखा है कि प्रत्येक मंत्री तथा उपमंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गई यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, मासिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा ।

प्रमुख महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मूल प्रस्ताव की कापी भी सामने नहीं रखते हैं और संशोधन भी नहीं देखते हैं। आपस में बातचीत और कानाफूसी किया करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सदन का समय व्यर्थ ही जा रहा है। एक तरफ तो हम अपने विषय को आप के द्वारा सदस्यों के सामने रखने की कोशिश करें.....

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य अगर दिलचस्प भाषण दें तो सब का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जायगा।

श्री राजनारायण---प्रमुख महोदय के आदेशानुसार में इस भाषण में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करूंगा और प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बीच में टोकने की कृपा न करेंगे और सदस्यों को भी इस तरह का आदेश दे देंगे। सवा बज रहा है कहीं यों ही न बैठना पड़े ।

प्रमुख महोदय, इस सदन के सम्मानित सदस्यों द्वारा बार बार विरोधी पक्ष पर यह आरोप लगाया जाता है कि विरोधी दल के लोग बहस बढ़ा करके सदन के कार्य क्रम को बढ़ाते हैं और इन सम्मानित सदस्यों को लखनऊ की इस पैलेशियल बिल्डिंग (विशाल भवन) में रहने के लिये बाध्य करते हैं, वरना अगर जो यहां पर आप के सामने प्रस्ताव रखे गये हैं जल्दी समाप्त हो जाते तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते। इस विषय में भी हम को मौलिक रूप से आपको संबोधित करते हुये इस सदन को बता देना है कि अगर आप विदेशों में पार्लियामेंटरी पद्धति क्या है उस पर गौर करें तो आप कहीं कहीं पायेंगे कि जब गवर्नमेंट की ओर से प्रस्ताव आने लगते हैं तो विरोधी पक्ष भी कन्सल्ट (परामर्श) किया जाता है। हमारे मुख्य मंत्री जी विरोधी पक्ष से पूछें नहीं और सदन के सामने लम्बे-चौड़े मौलिक प्रस्ताव उपस्थित कर दें और केवल ३६ घंटे का समय अमेंडमेंट (संशोधन) लाने के लिये रहे, तो अगर इतना भी समय नहीं मिल पाता है तो हमारे आप के विचारों के आदान प्रदान का कौन सा अवसर मिलता है? हमने तो मुख्य मंत्री से बार बार अपील की है कि जन-तंत्र की प्रणाली कायम करने के लिये जहां भी आप हमारा सहयोग चाहेंगे हर समय हम तैयार रहेंगे सहयोग देने के लिये और यह अपील यों ही नहीं है लेखबद्ध है। लिखित रूप में भी मुख्य मंत्री की सेवा में प्रस्तुत की गई है। इसलिये 'प्रमुख महोदय' मैं आपके द्वारा इन सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वे चार्ज (आरोप) हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम सदन का समय व्यर्थ खर्च करते हैं वह चार्ज हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। उनकी पुनरावृत्ति न हो, कोई नया प्वाइंट इसमें निकले तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---प्रमुख महोदय, आप ही के आदेशानुसार मैं अपने भाषण को दिलचस्प करना चाहता था। एक बात जो छूट गयी थी कि कैबिनेट सिस्टम (मंत्रीमंडल प्रणाली) कैसे चलता है। मैंने चाहा कि उसे भी अर्ज कर दूं। कैबिनट सिस्टम की प्रोसिडिंग (कार्यवाही) कैसे प्रोसीड (आगे बढ़ाना) करनी होती है अभी तक मैंने इस पर मुंह खोला नहीं है। इस लिये आप से आदेश प्राप्त करते हुये मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान संशोधन के नियम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह रेलीवेंट (संगत) होना चाहिए। कैबिनेट सिस्टम से और संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राजनारायण--प्रमुख महोदय, मैंने जब यह संशोधन रखा तो हमारे बहुमत दल के कुछ सदस्यों को यह भ्रांति हुई कि यह संशोधन केवल इस लिये रखा गया है कि सदन के समय का दुरुपयोग हो। हमारी यह मंशा नहीं थी और न इसलिये और भी हमारे ऊपर यह आक्षेप न लगे। हम आपके द्वारा सदन को यह एलान करके कह देना चाहते हैं कि हमारी सर्वदा कोशिश होती रही है कि जब भी इस सदन में कोई प्रस्ताव उपस्थित किये जायं पहले सही विचार विनिमय हो जाना चाहिये। अब मैं मूल प्रस्ताव पर आना चाहता हूं। खंड ४ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द 'बनाये जाने वाले' के उपरान्त शब्द 'और इस भवन द्वारा स्वीकृत' बढ़ा दिये जायं। इस संशोधन में कोई नयी बात नहीं कही गयी है। इस संशोधन में वही बात है, प्रमुख महोदय, जिसको हम बार बार आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं कि जो नियम, उपनियम राज्य सरकार बनाये उस पर इस सदन के अन्दर बहस होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार कोई ऐसे नियम-उपनियम न बना ले जो कि इस भवन के सदस्यों को आपत्तिजनक हों। इसलिये बार बार जहां मौका मिलता है वहां हम इसी बात को कहते हैं कि पहले उन पर इस सदन में विचार विनिमय हो जाय तब जाकर वह कार्यान्वित किया जाय। इसी बात को दृष्टि में रखते हुये हमने यह संशोधन आपकी सेवा में सदन के सम्मुख उपस्थित किया है। आपके द्वारा, प्रमुख महोदय, हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से हमारे पहले संशोधन ठुकराये गये हैं उसी तरह से आप इसको भी न ठुकरायें। पहले वाले संशोधनों को ठुकरा कर मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने के बावजूद भी अगर हमारे इस संशोधन को यह सदन स्वीकार कर लेता है, तो पहले का सारा दोष इस संशोधन के स्वीकृत हो जाने के बाद समाप्त हो जायेगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है क्योंकि इसी प्रकार के दो संशोधन सदन के सामने आ चुके हैं और सदन ने उनको अस्वीकार कर दिया। जो इसके संबंध में पहिले बातें कही गयीं उनको दुहराने से कोई लाभ नहीं है। मैं खेद प्रकट करता हूं कि जहां मैं पहले इसी प्रकार के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सका वहां इसे भी नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों के सम्मुख श्री राजनारायण जी के संशोधन जो उन्होंने पेश किया है उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री राजनारायण जी का संशोधन यह है कि "प्रत्येक मंत्री तथा उपमंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गयी यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।" जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है उसमें सिर्फ उन्होंने यह कहा है कि "बनाये जाने वाले नियमों" को हटा कर "इस भवन द्वारा स्वीकृत" शब्द रख दिये जायं। मैं समझता हूं कि श्री राज नारायण ने जो संशोधन पेश किया है वह उचित है, क्योंकि जो राज्य सरकार अर्थात् उसके मंत्री और उप-मंत्री स्वयं यात्रा में या दैनिक भत्ता में जो कुछ भी खर्च करेंगे वह स्वतः करेंगे और उसके साथ ही साथ वे लोग स्वतः बैठ कर उसकी तमाम बातों को तय भी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह निहायत अच्छा हो कि अगर इस संशोधन को मान लें तो उन पर यह आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने मनमाने तरीके से खर्च कर लिया। अगर वह तमाम चीजें सदन के सामने ले आते हैं तो सदन में उन पर विचार हो जायगा और अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो सदन के सदस्य भी उसे देख लेंगे। मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक होता है। इस लिये इन शब्दों के साथ मैं श्री राजनारायण जी के संशोधन की ताईद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इस चीज को अगर वे मान लेते हैं तो इससे उनका क्रेडिट बढ़ता है, मान-मर्यादा बढ़ती है, घटती नहीं है।

श्री राजनारायण--प्रमुख महोदय, मुझे विशेष इस पर कुछ नहीं कहना है। आपके द्वारा केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह संशोधन रखा गया और "सदन द्वारा स्वीकृत" होने की बात मैंने रखी तो इसके पहले हमारा एक उसूली संशोधन रखा गया था। किस भय से हमने यह संशोधन रखा, हमें अब ऐसी बात उपस्थित नहीं करनी है, मगर जैसा कि हमारे नारायण दत्त जी ने आपको बताया, प्रत्येक मंत्री तथा उपमंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गयी यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा। प्रमुख महोदय, आप यह जानते हैं और मुख्य मंत्री तथा सदन के माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि जब हमारे मंत्री, उपमंत्री दौरा करते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, तो वहां उनको बहुत सी सुविधायें सहज प्राप्त हो जाया करती हैं। अगर हम मंत्री हैं और हम किसी ज़िले में दौरे पर जाते हैं और वहां पर हमारे खाने पीने का प्रबन्ध किसी दावत में होता है तो आपके जरिये मैं जानना चाहूंगा कि उसका भी भत्ता हमें मिलता है या नहीं। इसीलिये हमने यह चाहा था कि जिस समय राज्य सरकार मंत्रियों और उपमंत्रियों के यात्रिक और दैनिक भत्तों के बारे में जो नियम बनायेगी और सदन के सामने पेश करेगी तब उस पर अच्छी तरह से विचार होगा कि वह किस दिन, किस काम और किस समय का दैनिक भत्ता लेते हैं और किसका नहीं लेते हैं। इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मैं चाहता हूं कि हमें अपनी मान-मर्यादा का विचार रखते हुये इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिये यह आवश्यक है कि ये सब बातें हाउस के सामने आवें।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, मगर राजनारायण जी ने कुछ पूछा कि जब खाना औरों से मिलता है तो भत्ते पर क्या असर पड़ता है। खाने का भत्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वह तो और जो पाकेट एक्सपेंस (जेब खर्च) होता है उसके लिये मिलता है। उसके लिये नियम बने हुये हैं। जैसे कि और सरकारी अहलकारों के लिये होते हैं, वैसे ही मंत्रियों के लिये होते है। उसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। परन्तु उन्होंने पूछा तो मैं जवाब दे सकता हूं कि जहां तक मेरा ताल्लुक़ है मैंने एक पैसा भत्ते का नहीं लिया। मैं जानता हूं कि हज़ारों रुपया इस ट्रैवलिंग एलाउंस (यात्रिक भत्ता) और डेली एलाउंस (दैनिक भत्ता) का हो सकता था, मगर मैंने एक पैसा आज तक चार्ज नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--यू० पी० मिनिस्टर्स सैलेरीज़ ऐक्ट, १९३७ एतद्द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये धारा २ में उल्लिखित करों के राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्विनियोजन की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है ।

श्री राजनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "नियम बनायेगी, जिनको विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी", रखे जायं ।

प्रमुख महोदय, मैंने यह जो संशोधन उपस्थित किया है इस संशोधन की भी मंशा वही थी जो कि पहले व्यक्त हो चुकी है । इसलिये जब कि हाउस उस मंशा को ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं है, तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष—तो आप इसको पेश नहीं करते हैं ?

श्री राजनारायण—मैंने अपने प्रस्ताव को पेश तो कर दिया मगर उसके समर्थन रूप में चूंकि मैंने पहले बहुत सी बातें कह दी हैं, इसलिये अब उनको बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुमत दल के मूड (मनोभावना) को समझ लिया है ।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो इस संबंध में जो कुछ निवेदन करना था कर चुका । अब ज्यादा समय लेना आवश्यक नहीं है । मुझे खेद है कि जैसे पहले इस चीज को नहीं मान सका अब भी वही मजबूरी है ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "नियम बनायेगी, जिनको विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी" रखे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का भाग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था करना आवश्यक है :

प्रतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम । १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०, होगा,

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

माननीय अध्यक्ष—खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक के संबंध में जो संशोधन पेश होने वाले थे, वे पहले जो खंड पास हो चुके हैं उनकी स्वीकृति के बाद अबैधानिक हो गये । इसलिये उनके ऊपर कोई भी संशोधन भवन के सामने नहीं उपस्थित हो सकता । मैं इसके संबंध में मत लेना चाहता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश मन्त्रियों और उपमन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक , १९५२ ई० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर ३० मिनट पर सदन स्थागित हुआ और २ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उपाध्यक्ष का स्वागत

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज फिर भवन के आदेश से आपका मुझे स्वागत करने और आपको यहां सुशोभित देखने का यह अवसर मिला है । इस सदन ने आपको पहले उपाध्यक्ष चुना था और अब यह हमारा सदन पहले से और बड़ा हो गया है, इसका विकास हो गया है, इसके माननीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ गयी है और हमें इस बात का गर्व है कि आप इस सदन के उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते रहेंगे । सदन का काम स्वभावतः बढ़ता जा रहा है और इसमें भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद और विवेचन का भी विस्तार होता जा रहा है । ऐसी अवस्था में हमें एक सुयोग्य और अनुभवी उपाध्यक्ष की आवश्यकता थी। आपने जीवन भर देश सेवा का ही कार्य किया है। हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में आप सदैव अग्रगणीय रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जिस भाग से मेरा विशेष संबंध है उसके आप हमारे सब से बड़े नेता रहे हैं और आपके साथ जो हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है, उसमें हमने आपके त्याग, आपके अनुभव, आपकी विद्वत्ता और कार्य कुशलता के उदाहरण अगणित बार देखे हैं । आपके सामने मुझे बहुत बातें कहना कुछ बहुत अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सौभाग्य से मेरा संबंध आपसे बहुत घनिष्ट रहा है । जिस निष्पक्षता से और जिस अपने नैसर्गिक सौम्य स्वभाव से आपने इस सदन के कार्य का संचालन किया वह इस सदन के, जो पहले सदस्य यहां विद्यमान हैं, उनको मालूम है और मैं विश्वास करता हूं कि आपके इस पद पर रहते हुये इस सदन का काम सुचारु रूप से होगा । सब को इस सदन के नियमों के अनुसार अपने विचारों को प्रकट करने का और सदन को अपने निर्णयों और निश्चयों पर पहुंचने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता रहेगा । हमारे इस सदन के हर एक सदस्य की मान मर्यादा सदैव बनी रहेगी और वे सदन के कार्य को योग्यतापूर्वक कर सकेंगे । हमारे देश की जो भिन्न भिन्न राजनैतिक संस्थाएं हैं वे सब यहां मिलजुल कर अपने देश के हित को करते हुये, देश और समाज का आदर्श सामने रखते हुये इस सदन में अपने कर्त्तव्यों को करने का सुअवसर प्राप्त करती रहेंगी । मैं आपका स्वागत करता हूं और इस सदन की और आपकी सफलता के लिये प्रार्थना करता हूं ।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आज दुनिया में और देशों में प्रजातंत्रवाद और तानाशाही के बीच जो भयंकर संघर्ष चल रहा है उसमे आपके द्वारा प्रजातंत्र की रक्षा होती रहेगी और विरोधी दल के हित आपके हाथों में सुरक्षित रहेंगे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त दल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं । हमें विश्वास है कि जब तक आप इस कुर्सी को सुशोभित करते रहेंगे तब तक हमें सदा न्याय ही मिलेगा । यह तो मेरी गुस्ताखी होगी अगर मैं आपको आपके कर्त्तव्य बताऊं । मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी की छाया में बैठकर आपके हाथों से बहुमत दल और अल्पमत दल, सब को न्याय ही मिलता रहेगा ।

उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रिगण तथा इस आदरणी सदन के माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को मुझे दूसरी बार चुनने के लिये हृदय से धन्यवाद देत

[उपाध्यक्ष]

हूं । इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों का परिचय तो मुझे पहिले से ही प्राप्त है और जो नये सदस्य यहां पधारे हैं उन लोगों का भी यथा शीघ्र परिचय मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसी मैं आशा करता हूं । मैं जानता हूं कि एक दल ने अपने कर्त्तव्य का ख्याल करते हुये केवल सिद्धान्त के रूप में इस चुनाव में कुछ विरोध का प्रदर्शन किया । यह उनका अधिकार था और मैं समझता हूं उससे हमें एक प्रकार का लाभ ही हुआ है क्योंकि वस्तुस्थिति का पता भी उससे हमें चल गया है । मैं आप सब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं इस सदन की मान-मर्यादा तथा यहां के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझूंगा । इस जन-तंत्र के शासन हो जाने के बाद हमारी विधान सभाओं को देश की भलाई और सेवा करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है । यदि हम सब लोग मिल कर देश की भलाई का विचार करते हुये सौजन्य और शांत चित्त से काम करें तो सारे देश का भी लाभ हो सकेगा और इस सदन को भी देश की सेवा करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा । मैं समझता हूं कि मुझे इस काम में आप सब से सहयोग प्राप्त होगा । मेरा यह सौभाग्य है कि मुझसे पहले इस सदन में अनेक सुयोग्य और आदरणीय अध्यक्षों ने इस कार्य के करने का क्रम बतलाया है और इस समय भी जो हमारे इस सदन के अध्यक्ष महोदय हैं वह एक सज्जन और योग्य व्यक्ति हैं उनका सत्परामर्श मुझे समय समय पर प्राप्त होता ही रहेगा और मैं आशा करता हूं कि मुझे इस सदन के प्रत्येक सदस्य का सहयोग प्राप्त होगा । मैं आप लोगों को फिर एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज़ कण्ट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज़ कंट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई० को, जिसे २२ मई, १९५२ ई० को पुर:स्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ।

उपाध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज कंट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई० को, जिसे २२ मई, १९५२ ई० को पुनःस्थापित किया गया वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्टरीज़ कण्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ.....३२३.....पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय ।

यह कानून जो मैं पेश कर रहा हूं इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कुछ ज्यादा वक्त लिया जाय । स्पीकर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेम्बली के हैं और चेयरमैन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल के हैं उनकी सैलरीज (वेतन) को मुकर्रर करने के लिये यह बिल पेश गया किया है । इसको देखने से मालूम होगा कि जहां तक कि चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाह का ताल्लुक है वह वही है जो मिनिस्टर्स के लिये रखी गयी है और जिसके लिये बहस हो चुकी है और जो बिल पास हो चुका है । उसके बाद डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन उसमें उनकी तनख्वाहें ६०० रुपया महीने रखी गयी हैं और उसके साथ जो और की तनख्वाह के बारे में प्रोवीजन (उपबन्ध) किया गया है ।

बातें हैं जैसे मकान का किराया वगैरह वह इन्हीं दफात में रखी गयी हैं । मेरे ख़याल में वह इस क़दर रीजनेबिल (उचित) और इतनी मामूली सी बात है कि जिसके ऊपर न तो मुझे कोई तकरीर करने की जरूरत है और न बहुत ज्यादा बहस की गुंजायश है । इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बिल हाउस मंजूर करे ।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय न्याय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर विचार किया जाय, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों के वेतन का विधेयक था वह दो दिन वाद-विवाद के बाद इस सदन से पास हो गया है । मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में जब कि वह विधेयक इतना जरूरी था उस पर कितने जरूरी संशोधन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पेश किये गये थे लेकिन माननीय सदस्यगण ने उसको नहीं माना तो मैं समझता हूं कि आज जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर भी हम लोगों के विरोध को व संशोधन को वे नहीं मानेंगे । लेकिन इसके बावजूद भी जब कि हम समझते हैं कि मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों के वेतन का विधेयक पास हो गया उसी तरह से यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का विधेयक भी पास हो जायगा हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हुये हमें दुख भी होता है, हमें इसका अफसोस है, लेकिन हम कुछ सिद्धांतों की वजह से मजबूर हैं।

हर मनुष्य के कुछ न कुछ अपने सिद्धांत हुआ करते हैं जिनको लेकर उसके जीवन की नैया आगे बढ़ती है। हमारे सामने भी कुछ सिद्धान्त हैं, हमारे अन्य माननीय सदस्यों के सामने भी कुछ सिद्धांन्त हैं। उन उसूलों और सिद्धांतों की हिफाज़त के लिये हम एक अर्से से लड़ते चले आ रहे हैं । आज हम जरूर विरोधी बेंचों पर बैठे हुये हैं, हम विरोधी पार्टी में हैं, लेकिन आज से कुछ दिन पहले हम सभी का एक ही सिद्धांत था, हम सभी का उद्देश्य एक था और हम सब हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ते थे। हम चाहते थे कि हमारा देश गुलामी से छटे जिससे हम हजारों वर्ष से खोई हुई स्वतंत्रता देवी का अपने देश में स्वागत कर सकें। हमारी यही आकांक्षा थी, हमारी यही कामना थी कि हम हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई कंधे से कंधा भिड़ा कर लड़ें । हमारे अन्य माननीय सदस्य भी उन दिनों को भूले नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि वे दिन हम लोगों के लिये कितने प्यारे दिन थे जब कि एक सिद्धांत की पूर्ति के लिये हम साथ साथ लड़ाई लड़ते थे । हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत हिन्दुस्तान की आजादी था । अपने उस सिद्धांत के लिये लड़ते वक्त हम लोगों ने तरह तरह की कुर्बानियां कीं । हम लोगों ने अपने सुन्दर जवानी के दिन जब कि हम ऐय्याशी में बिता सकते थे, जेलों की चहार-दीवारियों में बिताये । हम लोगों के बहुत से साथियों ने अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिये हंसते हंसते ब्रिटिश गवर्नमेंट की गोलियों का सामना किया और फांसी के तख्तों पर झूले । हम लोग अपने सिद्धांतों की हिफाजत के लिये लड़ाई लड़ते थे मगर हमारा वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसलिये हम उसी सिद्धांत और उद्देश्य को आगे पूरा करना चाहते हैं । इसलिये आज जो यह सैलरी [वेतन] बिल आया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे सामने एक प्रिंसिपुल है, एक सिद्धान्त है और उसी के आधार पर हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारा देश गरीब है । इस देश के रहने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो माननीय मंत्रीगण हैं या माननीय सदस्यगण हैं उनको यह चीज अपने सामने नहीं रखनी चाहिये कि हमारी सैलरी ज्यादा बढ़ाई जाय और उसके लिये आम जनता पर नये टैक्स बढ़ाये जायं, बल्कि मुनासिब तो यह मालूम होता है कि मौके मौके से हम बेकार रुपया न बढ़ावें । कहा जाता है कि माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री गण बहुत काफी परिश्रम करते हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्रियों को और इस सदन के माननीय सदस्यों को काफी परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन परिश्रम करना पड़ता है । लेकिन मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर ले जाना

[श्री गजेन्द्र सिंह]

चाहता हूं कि आप लोग जरा गांवों में रहने वाले मजदूर और किसानों को भी अहमियत दें जो रात दिन परिश्रम करते हैं और उनको अपनी मेहनत के अनुसार मिल भी नहीं पाता है। मिलों में काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने के बाद भरपेट भी खाना नहीं मिल पाता है। उनकी तरफ भी इस माननीय सदन को ध्यान देने की जरूरत है और इस बात को देखने की जरूरत है कि हमारे देश की हालत क्यों ऐसी है जिसको देखते हुये हम को तनख्वाह बढ़ाने की या इतनी तनख्वाह लेने की जरूरत है। शासन का खर्चा बराबर बढ़ता जाता है। अगर इसी प्रकार से हम लोग खर्च करते रहे तो लोकतन्त्र से लोगों की आस्था उठ जायगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शासन के खर्चे को हमको बहुत नहीं बढ़ाना चाहिये और कम से कम सैलरी लेने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि इसी में हमारा और हमारे देश का हित है। महात्मा गांधी ने भी तीन बातें कही थीं उनकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिये और कम से कम पैसा लेने की चेष्टा करनी चाहिये। इसलिये मैं यह कहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य जो यहां पर उपस्थित हैं वे हमारे इस विरोध को कबूल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहिले भी इसी प्रकार के प्रस्ताव का विरोध किया गया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ फिर भी उसी प्रकार के प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया। मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि यह हमारे दोस्त जेल में हमारे साथ थे और उन्होंने गरीबी का एक चित्र यहां पर खींच कर बतलाया है कि किसान बहुत गरीब हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसान और मजदूरों की तरफ ध्यान देने की निहायत जरूरत है। उसके लिये वे कहते हैं कि बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहें घटाई जायं और छोटे कर्मचारियों की बढ़ा दी जायं। मैं भी मानता हूं कि इस समय कड़ाके की धूप में किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा होगा और अपने ईख को सींचता होगा लेकिन फिर भी उसको भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। उसकी आखें अन्दर धंसी हुई हैं। और हमारे पूर्वी जिलों की हालत तो और भी खराब है। वहां तो कभी कभी किसानों को खाने को भी नहीं मिलता है। इसलिये हम लोग विदेशी हुकूमत से लड़ते थे और गुलामी को दूर किया था। हुजूरवाला, मैं यह कहता हूं कि अगर इस गरीबी को दूर करने के लिये कुबेर का खजाना भी खाली किया जाय तो जरूर करना चाहिये। मगर इस संशोधन से गरीबी को दूर करने में मदद नहीं मिलती। चन्द बड़े अफसरों का वेतन कम करने से बहुत से छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें कहां से बढ़ाई जा सकेंगी मगर यह तो प्रचार के लिये संशोधन पेश किया गया है। मगर संशोधक को याद रखना चाहिये कि इस सभा में यहां पर तो सत्य वचन कहने वाले लोग कम हैं। अगर गलत है तो यहां पर तो उनको जवाब देने वाले बहुत मिल जायंगे और उनको उत्तर मिल जायगा क्योंकि यहां पर लोग बहुत अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं। इसलिये निराधार बातें उठाने से यहां लाभ के बजाय हानि हो जायगी। वही प्रचार शस्त्र जो आप लोग कांग्रेस के विरुद्ध उठायेंगे वही आप के खिलाफ जायगा।

थोड़े से अफसरों की तनख्वाहें कम करने से अनेक कर्मचारियों के वेतन कैसे बढ़ा सकेंगे? मैं फिगर्स (आंकड़े) नहीं ला सका हूं वरना मैं बतलाता कि यहां चौकीदार, पटवारी और मास्टर कितने हैं और १,००० रू० से ऊपर पाने वाले कितने हैं। लेकिन अब मैं मोटे तौर से बतलाता हूं कि यदि वेतन में कुछ कमी होगी तो एक जिले में बहुत करके एक एस०पी०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जज की। इससे, हुजूर वाला, मेरी समझ में नहीं आता कि चौकीदार या पटवारी को १०० रुपये कैसे मिल जावेंगे। यदि आपका सिद्धांत माना जाय तो चौकीदारों की तनख्वाहें और शायद घटानी पड़ जायगी। क्योंकि आज चौकीदारों की हालत से जिला मैजिस्ट्रेट की दशा अच्छी है तो कल कहा जायगा कि चौकीदारों की रहन सहन किसानों

की रहन-सहन से अच्छी है। लिहाजा इनकी तनख्वाहें कम करनी चाहिये। लिहाजा तौल कर और समझ बूझ कर बात कहनी चाहिये ताकि आपकी दलील कल आपके ही खिलाफ न चली जाय, क्योंकि यह कहना आसान है कि बड़े लोगों के मोटरों में पेट्रोल नहीं जल रहा है बल्कि किसानों का खून जल रहा है। यह महल नहीं खड़े हैं बल्कि किसानों की हड्डियां चुनी हुई हैं। ईर्षा को उभार देना बहुत आसान है मगर उसे बाद में कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या आपके लीडर जयप्रकाश नारायण साहब या अशोक मेहता साहब हवाई जहाज से नहीं चलते हैं। वे बराबर हवाई जहाज से उड़ते हैं। किसान भूखा मरता है और एक सोशलिस्ट लीडर हवाई जहाज में उड़ता है और जरा होटल का बिल भी तो देखिये कितना पे होता है। आप दंग रह जावेंगे। मगर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वह जरूरत के लिये ऐसा करते हैं। जो दिमागी काम करगा उसे अच्छा खाना, कपड़ा और मकान देना होगा। अगर किसान के पैर में जूता भी नहीं और सोशलिस्ट लीडर हवा में उड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं है। महात्माजी ने खुद कराची में कहा था कि जब मैं अपना खाना देखता हूं तो मुझे मुल्क की गरीबी याद आ जाती है और जी कहता है कि मैं अन्याय कर रहा हूं, मुझे नहीं खाना चाहिय। लेकिन खुदा मुझे माफ करेगा अगर मैं उन्हीं ग़रीबों के लिये खाऊंगा। अगर मेरी नियत यह है कि मैं खाकर गरीबों की खिदमत कर सकूं तो यह खाना जायज होगा। अगर दरअस्ल ग़रीबों की खिदमत करने के लिये ईमानदारी से ये लोग लेते हैं तो क्षम्य है। मैं अर्ज करता हूं कि कौन किसान है जो नहीं चाहता है कि मैं अपनी औरत को अच्छे से अच्छा जेवर दूं 'कौन पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना, कपड़ा और मकान दूं, मगर नहीं हो पाता। औरत नाराज रहती है कि हमारे पति न कभी हमें अच्छे जेवर नहीं दिये। बच्चा कहता है मेरे पिता जी कभी मिठाई नहीं लाते, हालांकि वह कर्ज लेकर भी अपने परिवार को आराम देना चाहता है। ठीक वही हालत कांग्रस सरकार की है वह सबको आराम देना चाहती है। सबकी रहन सहन ऊंचा करना चाहती है मगर अभी नहीं कर पा रही है किन्तु कुछ ही दिन बाद बहुत कुछ कर लेगी। मंत्रीवृन्द अपनी तनख्वाहें घटा रहे हैं लेकिन आपकी शिकायतें बढ़ती जाती हैं।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कोई दुनियां में ऐसा कानून नहीं है जिसमें भलाई और बुराई दोनों न हों। जहां सुफेद कपड़ा पहनने से और मोटर पर चलने से ईर्षा पैदा होती है, वहां उच्चाभिलाषा भी बढ़ती है। आकाश में चिड़ियों को उड़ते हुये देखकर लोगों ने हवाई जहाज बना लिया। अगर सबके सब जंगलों में चले जायं जहां सब बराबर हैं तो ईर्षा का कोई प्रश्न ही नहीं होगा, लेकिन तरक्की भी रुक जायेगी। किन्तु जहां प्रतिद्विन्दता होती है वहां उन्नति भी होती है। जिनको आज आप धनी देख रहे हैं कल उनके बाप ग़रीब ही थे और श्री डालमियां का तो अपनी ही जिन्दगी में कई बार दिवाला निकल चुका है किन्तु आज सफल व्यापारी हैं। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि ईर्षा से बचने के लिये नुकसान मत कर लीजिये। वेतन जरूरत भर के लिये दीजिये। अगर आप कहते कि इतना खाना, कपड़ा, मकान आवश्यकता के लिये काफी है, इसलिये वेतन मत बढ़ाइये तो मैं आपके साथ होता। अगर आप यह देखें कि वेतन जरूरत से ज्यादा है कि नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि जरूरत से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। ऐसी हालत में इस संशोधन को ले आना और यह चाहना कि इससे हम प्रोपेगेंडा (प्रचार) करेंगे उचित नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ग़लत प्रोपेगेंडा काम नहीं आयेगा बल्कि इससे आप का नुकसान होगा। हम लोग चाहते हैं कि जिसके पास सुफेद कपड़ा है उसके पास सुफेद कपड़ा रहे और जिसके पास सुफेद कपड़ा नहीं है उसको भी मिले, लेकिन आप को ग़रीबी से नहीं अपितु सुफेद कपड़े से ईर्षा है इसलिये आप सुफेद कपड़ा उतरवाना चाहते हैं। किन्तु हम लोगों को दरिद्रता से नफरत है, हम गरीबी मिटाना चाहते हैं इसी लिये जनता हमारे साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वक्त से पहले देश ने स्वराज्य ले लिया है वैसे ही आशा से पहले सुधार भी कर लेगा। तब सबको आराम मिलेगा और सब लोग खुशहाल होंगे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्याय महोदय, मैं कल से यहां की कार्यवाही का निरीक्षण कर रहा हूं। सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों की यह है कि बहुमत दल हर मसले को एक जगह से छूता है और सोशलिस्ट पार्टी हर मसले को लेकर पहले भी और आज भी सारे देश की सारी समस्याओं को लेकर उनका हल निकालना चाहती है। जिस समय बहुमत दल के लोग गांधी जी का नाम लेकर आगे आते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। आपके द्वारा बहुमत दल के सदस्यों के सामने मैं गांधी जी के दो तीन उदाहरण पेश करना चाहता हूं। बहुमत दल के सदस्यों को याद होगा कि जब गांधीजी इंगलैण्ड गये थे, उस समय वहां का नियम था कि राज्य भवन के अन्दर कोई भी बिना अंग्रेजी पोशाक के नहीं जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने भारतीय परम्परा का इतना जबर्दस्त पालन किया कि उसी लंगोटी में इंगलैण्ड के बादशाह को भी उनसे मिलना पड़ा। लेकिन उसी इंगलैण्ड में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं आज उनकी शान व शौकत इस लिये कायम की जाती है ताकि हिन्दुस्तान का नाम रोशन हो जाय। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे हाई कमिश्नर के पास नौ मोटरें हैं, दो मोटर बाइसिकलें हैं और उनकी निजी मोटर कार ६० हजार रुपये की है। मैं आपके द्वारा बहुमत दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय परम्परा या भारत का सच्चा चित्र महात्मा गांधी ने अपनी लंगोटी पहन करके दिखलाया, क्या वह इन नौ-नौ मोटरों से, दो-दो मोटर बाइसिकलों से और ऊंची तनख्वाहों से प्रदर्शित होता है? दूसरी तरफ मैं अपने बहुमत दल के सदस्यों का ध्यान इस तरफ आपके द्वारा. . . .

एक सदस्य--मैं यह जानना चाहूंगा कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या वह इससे संबंधित है?

उपाध्यक्ष--वह अपने आर्गूमेंटस (युक्तियां) दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य केवल संबंधित बातें ही कहें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--गांधी जी के निवास स्थान की बात कही जाती है। आज हमारे राष्ट्रपति ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें ३०० तो नौकर हैं। उन ३०० नौकरों को देखते हुए और उतने विशाल भवन को एक तरफ देखा जाय और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की उस कुटी का ख्याल किया जाय जिसमें बड़े बड़े विदेशी लोग आते थे और महात्मा गांधी ने कभी भी इस बात की चिन्ता नहीं की. . . .

श्री बनारसी दास--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसका इस बिल से क्या कोई संबंध है?

उपाध्यक्ष--मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य बिल पर ही आयें और जिन बातों का सीधा संबंध न हो उनको न कहें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुमत दल के सदस्यों की परेशानी से खुश हुआ हूं कि मैं उनके हृदय के मार्मिक स्थानों पर आघात कर रहा हूं। ऐसी हालत में मेरी इस भूमिका का जो बिल भवन के सामने है प्रत्यक्ष संबंध है। वे जब अपनी बात होती है तब तो हमेशा महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और उनकी परम्परा की बात कहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति या गवर्नर के भवनों का सवाल आता है तो गांधी जी की चर्खा की वह कुटी और छप्पर भूल जाया करते हैं। तो हमारी पार्टी तो यह कहती है कि देश की तमाम आय, जमीन वगैरह का एक संतुलित ब्योरा तैयार किया जाय कि देश कि कितनी आमदनी है, कितने कल कारखाने हैं और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। मैंने पहले भी बताया है, कि इस सदन की हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि पांच लाख से ऊपर के जितने भी कल कारखाने हैं. . . .

उपाध्यक्ष—मै तो समझता हूं कि सोशलिस्ट प्रोग्राम के प्रचार का यह समय नहीं है। जो विधेयक आपके सामने है उसी पर आप कुछ कहें तो ठीक है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के जनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) में इन बातों की भूमिका आवश्यक है। इसीलिये मैं अपने विचार इन लाइनों में प्रकट करना चाहता हूं। अभी बहुमत दल के सदस्यों द्वारा भी एक प्रश्न उठाया गया। अगर माननीय सदस्य, श्री सीताराम शुक्ल, को यह प्रश्न उठाने की जरूरत न पड़ती तो मैं इसका जवाब न देता। मुझे डर है कि अगर उनके प्रश्न का जवाब मैंने न दिया तो हो सकता है कि जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है सदन उस विषय में किसी निश्चित राय पर न आ सके। हमारी पार्टी ने यह बताया है कि पांच लाख के ऊपर के जितने कल कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। ये मोटी-मोटी बातें हैं। मैं बहुमत दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे घबरायें नहीं। यह तो मैं जानता हूं कि उनका गिलोटिन मौजूद है जिस समय चाहेंगे हमारे हर संशोधन को ठुकरा देंगे। मैं संक्षेप में यह बतलाना चाहता था कि हमारी पार्टी ने समस्याओं को किस तरह से हल करना चाहा है। तीस एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहने देंगे। इस प्रकार जमीन का बंटवारा करने के बाद और कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद फिर हम सरकारी नौकरों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन पर आते हैं और हमारी पार्टी की निश्चित राय है कि एक हजार रुपये से अधिक किसी का वेतन न हो और इस एक हजार रुपये वेतन पाने का अधिकारी देश का राष्ट्रपति है। इसके अलावा और जितने भी वेतन हों वे सब एक हजार से नीचे ही होने चाहियें। यह मैंने कोई नई बात नहीं की। आपके नजदीक ब्रह्मा है जो कल तक आपका अंग था। उसने भी इस समस्या को हल करने की कोशिश की है और हमारे बहुमत के सदस्यों को आश्चर्य होगा कि वहां ऐसी व्यवस्था हो गयी है कि वहां अधिक से अधिक वेतन १,४०० रुपये और कम से कम ८८ रुपये है। चीन में भी १ और १३ का अनुपात है। लेकिन हमारे बहुमत दल के सदस्य यह समझते हैं कि जो चाहें मनमाना करें।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय हम महात्मा गांधी को याद दिलाते हैं उस समय हमें हमारी माननीया विजय लक्ष्मी को भी याद कर लेनी चाहिये। जोकि रूस से हवाई जहाज से स्वेडन इसलिये गयी थीं कि वहां से तीन लाख रुपये का सामान आये और उससे दूतावास की सजावट बढ़ सके। स्वेडन से फर्नीचर भी हवाई जहाज से लाया गया था। यह गांधी जी की परम्परा है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। हमने हमेशा कहा कि देश की व्यवस्था की एक पिक्चर (तस्वीर) खींचकर उसके अनुसार सारे देश की आमदनी का हिसाब लगाया जाय। और मैं तो आपके जरिये माननीय सदस्य सीता राम शुक्ल को चैलेंज (चुनौती) करता हूं कि वह बैठें, आंकड़े एकत्रित करें, राष्ट्रीयकरण करें, जमीन का बंटवारा करें और हिसाब लगायें कि कितनी आमदनी है। तो प्रति आदमी ज्यादा से ज्यादा एक हजार और कम से कम सौ देना सम्भव है और व्यवहारिक है। लेकिन हमारे बहुमत दल के सदस्य इन बातों को गवारा ही नहीं करते, सिर्फ संख्याओं की जादूगरी हमारे सामने रखना चाहते हैं। अभी इस भवन की याद ताजा है कि अभी मंत्रियों का वेतन इस भवन के सामने रखा गया। पहले कहा गया कि, १५०० मिलता था और अब १,२०० रु० कर दिया गया है। लेकिन जब फैक्ट्स (तथ्य) हम सामने रखते हैं तो मालूम होता है कि १,२०८ के १,२०० कर दिये गये हैं। लेकिन साथ ही साथ इस समय जो वेतन मिलता है उसमें यात्रा का भत्ता और दैनिक भत्ता भी जोड़ दिया गया। तो यह तनख्वाह भी तीन चार हजार के बराबर हो जाती है। तो क्या बहुमत दल अपने अंकों की जादूगरी से जनता को धोखा नहीं देना चाहता? हम चाहते हैं कि आप वस्तुथिति का मुकाबिला करें। हम निवेदन करना चाहते हैं कि बहुमत दल के सदस्य दिल में तो कुछ सोचते हैं मगर जब हाथ उठाने का सवाल आता है तो दूसरी बात करते हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दिलाना चाहता हूं कि पांच साल के बाद लाल टोपी का टिकट ही लेना होगा और आप इधर होंगे और हम उधर होंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि स्पष्ट वादिता एक अच्छा वसूल है, वह उसको अपनायें और हमारी बातों पर विचार करके अच्छा हो कि अभी से वह लाल टोपी पहनें। हम उनको पोलिटिकल सफरर (राजनीतिक पीड़ित) क़रार देकर भविष्य में उनका अच्छा खयाल रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हम समस्या का हल करना चाहते हैं कि सारे देश की सम्पति और जमीन का बटवारा कर दिया जाय और वह हम एक निश्चित योजना के अनुसार कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा १,००० और कम सेकम १०० रु० आमदनी हो। आगे जब और मौका आयेगा तो निवेदन करूंगा। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजदेव उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो विवाद चल रहा है और जो विधेयक उपस्थित है, उसके बारे में विरोधी पार्टी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उनके संबंध में मुझे कहना है। यहां पर विरोधी पार्टी, विशेष कर समाजवादी पार्टी, की तरफ से बड़े बड़े तर्क और दलीलें सुनने को मिलती हैं। आप मंत्रियों के वेतन के बारे में, मकानों के बारे मे और मोटरों के बारे में बड़ेबड़े आदर्शों की बात करते हैं लेकिन आप जानते नहीं, आदर्श की बात वही करता है जो खुद आदर्श-वादी होता है। क्या आपके नेता लोग अमरीका का सफर, रूस, चीन का सफर करने के लिये मोटर से या हवाई जहाज से नहीं जाते? क्या कभी उसमें खर्च नहीं होता? उससे किसान गरीब नहीं होते? यह आपका तर्क बिल्कुल गलत है। आप जब आज तनख्वाह के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको मालूम नहीं है कि पहले से कीमतें कितने गुना बढ़ गयी हैं। पहले जो गन्ने का भाव साढ़े पांच आने था वह एक रुपया, बारह आने के हिसाब से हो गया है? पहले जो सस्तापन था वह दिन दूना रात चौगुना मंहगा हो गया। आप अगर देखें तो एक एक चीज में जमीन आसमान का अन्तर दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने सोचा है या खाली कल्पना और आदर्श की बातें करते हैं? आप तो कल्पना और आदर्श के बहाव में ऐसे बहे जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं।

मैं जानता हूं कि जब आप तनख्वाहों के बारे में बात करते हैं, बिल के बारे में बात करते हैं तो कभी राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो कभी इधर की और कभी उधर की बात करते हैं जो यहां नहीं होनी चाहियें। मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा पूछता हूं कि क्या आपने, जो विधेयक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाहों के बारे मे पेश किया गया है, सोचा है कि उसमें जो तनख्वाहें दी गई हैं वे ज्यादा हैं। वह तो इतनी कम हैं कि किसी विचार धारा का आदमी उन्हें अधिक नहीं कह सकता। इसलिये आप इस विधेयक को जिसको तुरन्त पास होना चाहिये, इतना लम्बा क्यों बना रहे हैं। यह आप ठीक नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि लम्बे विवाद की बातें नहीं होनी चाहिये। मालूम होता है कि आपकी पार्टी ने चाहे कोई अच्छी भी बात हो उसका भी विरोध करना ठान लिया है। अगर कोई खराब चीज है तब तो उसका विरोध करना ही चाहिये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छी चीज हो और उसे अवश्य पास होना चाहिये, उसका भी विरोध करना, उसको न पास होने देना, क्या आपने यही कसौटी बना रखी है? यह तरीका ठीक नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सदन को तुरन्त पास कर देना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा पाकर इस विधेयक, जिसको माननीय न्याय मंत्री ने पेश किया है, का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु मैं यह निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं कि हमें आपके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के रूप में कोई विरोध नहीं है और जैसी कि भवन की हमेशा परम्परा

रही है, जितनी भी इज्जत कुर्सी की, चेयर की, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कभी भी हुई है, उससे भी अधिक मैं आप का आदर करना चाहता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा सारे देश की अर्थ व्यवस्था को दृष्टिकोण में रखते हुये विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस बिल में जो वेतन रखा गया है, या भत्ते रखे गये हैं या जो कुछ भी ग्रेड वगैरह रखे गये हैं, उसका विरोध करें।

जब मैंने सारे विधेयक को पढ़ा तो ऐसा लगा कि जिस सिद्धांत को यह भवन आज ही स्वीकार कर चुका है उस सिद्धांत का भी हम इस विधेयक द्वारा थोड़ा बहुत विरोध करते हैं। कल आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आदरणीय राज नारायण जी के संशोधन के जवाब में कहा था और जरा सही भी बात थी, इसी लिये विरोध भी हमारी तरफ से कम हुआ, उन्होंने कहा था कि जब हम वेतन को घटा रहे हैं, जब हम इस सिद्धांत को ले कर चल रहे हैं तो आप गांधी जी की दुहाई क्यों देते हैं क्योंकि हम वेतन घटा रहे हैं, पंद्रह सौ के स्थान पर बारह सौ कर रहे हैं, तो आप क्यों विरोध करते हैं। इसमें बहुत कुछ सच्चाई थी क्योंकि वेतन जरूर घटाये जा रहे हैं चाहे वह हमारे कथनानुसार एक हजार रुपया न था। लेकिन आज यह जो विधेयक पेश किया गया है, कल ही जिस सिद्धांत को यह भवन मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन संबंधी विधेयक में स्वीकार कर चुका है, इसमें उस सिद्धांत का विरोध किया जा रहा है। यह हो सकता है कि काम की बहुतायत की वजह से माननीय मुख्य मंत्री या माननीय अन्न मंत्री की दृष्टि में यह असंगति न आयी हो और मुझे विश्वास है कि जब मैं इस असंगति को माननीय मुख्य मंत्री और माननीय न्याय मंत्री के सामने रखूंगा तो वह इस बिल में सुधार कर लेंगे और जिस सिद्धांत को अभी कल ही माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकार करेंगे। आप देखेंगे जहां स्पीकर के वेतन का जिक्र है, जो कि पहले १,५०० रुपया था और जो अब घटाकर १,२०० रुपया किया गया है उसके बारे में तो मुझे कहना नहीं है वह ठीक ही है क्योंकि उस पर वादविवाद हो चुका है। मैं आपका और सदन का ध्यान डिप्टी स्पीकर और डिप्टी प्रेजीडेंट के बारे में जो रखा गया है उसकी तरफ दिलाऊंगा। पहले स्पीकर के ५०० माहवार और डिप्टी स्पीकर के ३००० रुपया सालाना रखे गये थे और सन् १९४६ में डिप्टी स्पीकर के २ हजार रुपया सालाना के बजाय ६ हजार रुपया सालाना कर दिये गये और डिप्टी प्रेजीडेंट का वेतन सन् १९३७ में १,००० रुपया सालाना था और वह सन् १९४६ में बढ़ा कर ६,००० रुपया सालाना कर दिया गया, यानी उस में ६ गुना वृद्धि हुई और और डिप्टी स्पीकर का तिगुना हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं समझता हूं कि शायद मंत्रिमंडल का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस विधेयक द्वारा डिप्टी स्पीकर और डिप्टी प्रेजीडेण्ट का वेतन बजाय घटाने के १,२०० रुपया सालाना बढ़ा दिया गया है जब कि हम देखते हैं कि माननीय मंत्रियों का वेतन घटाया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय का वेतन भी घटाया गया है और हम एक सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं। मैं और जरा स्पष्ट कर दूं। धारा ३ में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपध्याक्ष और उपसभापति को जो कौंसिल के होंगे उन को ६०० रुपया प्रति मास का वेतन दिया जायगा। इस तरह १०० रूपये माहवार की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही पहले कहीं पर सन् १९३७ में या सन् १९४६ में परिवहन या दैनिक भत्ते के बारे में कोई बात नहीं पाते हैं। लेकिन मेरी समझमें नहीं आता है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आगई है कि हम विधेयक में यह चीज अब करने जा रहे हैं। अगर आप हिसाब लगावें तो आप को मालूम होगा कि उस सिद्धांत के अनुसार यह ठीक नहीं बैठता। इसलिये मैं भवन से अनुरोध करूंगा और माननीय न्याय मंत्री व माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस से पहले कि यह वादविवाद आगे चले और क्लाज बाई क्लाज (खण्डशः) चले हम यह निश्चय कर लें और जहां संशोधन करना हो वह अपने उसी सिद्धांत के अनुसार कर लें।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंन्त—मैं सिर्फ एक बात बतलाने के लिये खड़ा हुआ हूं। नारायण दत्त जी ने कहा है कि इस बिल में डिप्टी स्पीकर और डिप्टी प्रेजीडेंट का वेतन बढ़ाया गया है। यह सही बात है इस में पहले ५०० रुपये थे और अब ६०० रुपयेरखे

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

गये हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि यह वेतन घटाया गया है। पहले डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी प्रेसीडेंट को ५०० रुपया तो बहैसियत डिप्टी स्पीकर के और बहैसियत डिप्टी प्रेसीडेंट के मिलते थे और उसके अलावा २०० रुपया मेम्बरी के मिलते थे और दैनिक भत्ता भी मिलता था और टी० ए० भी मिलता था। और बातों में तो परिवर्तन नहीं है मगर उनको जो ५०० रुपया डिप्टी स्पीकर का और डिप्डी प्रेसीडेंट की हैसियत से और २०० रुपया मेम्बरी के मिलकर कुल ७०० मिलते थे। और डिप्टी चेयरमैन को ५०० रुपया वेतन के और २०० रुपया अलग मिलते थे, अब जो हमने किया है उसमें डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाह अलग कर दी है, यानी उनको अब मेम्बरी की तनख्वाह नहीं मिलेगी। नतीजा यह है कि उनको १०० रुपये कम मिलेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--हमें जो बिल हिन्दी में दिया गया है और जहां पर एक्सेप्शन (अपवाद) हैं उसमें उपाध्यक्ष का नाम कहीं नहीं मिलता।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि इसको समझने में शायद कोई गलती हो मगर इसमें अगर कोई भी कमी है तो उसे ठीक करना होगा। निर्णय यह है कि उनको मेम्बरी की तनख्वाह अब नहीं मिलेगी और मेरा खयाल है कि अगर हिन्दी में तर्जुमा गलत हुआ है तो उसे ठीक कर लिया जायगा। मगर मैं समझता नहीं हूं कि कोई गलती हुई होगी, शायद छापे की गलती हुई होगी, उसे मैं देख लूंगा। निर्णय यह है कि उनको ७०० रुपये के बदले ६०० रुपये तनख्वाह मिलेगी और ५०० रुपये के बदले ६०० रुपये दिये जायं और फिर मेम्बरी की तनख्वाह उनको न दी जाय। इसलिये यह तनख्वाह बढ़ाई नहीं जा रही है। यह मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता था।

दूसरी बात यह कही गई थी कि मिनिस्टरों के लिये डेली अलाउन्स (दैनिक भत्ता) और ट्रवैलिंग अलाउन्स (यात्रिक भत्ता) नहीं था। अब बढ़ाया जा रहा है। इस पर बहुत लम्बी दलीलें हुईं। पहले इनके नियम थे। यह बात दूसरी है कि किसी ने न लिया हो। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात कैसे उनकी समझ में आई कि पहले यह नियम नहीं थे। नियम तो पहले से ही मौजूद हैं।

श्री शिवनाथ काटजू--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग दो दिन हो गये जब से वेतन संबंधी विषय पर हमारे सदन में विचार हो रहा है। हमारा देश दरिद्र है और हमारे देश में लोग दुखी हैं। लेकिन यह मालूम होता है कि इस देश का सारा दर्द सब सिमट कर इसी कोने में आ गया है और यहां जितने सदन के सदस्य हैं उनके दिल पत्थर के हैं और वह अपने कर्त्तव्यों को नहीं समझते। क्या हम नहीं जानते कि इस देश की सेवा सार्वजनिक क्षेत्र में करने के लिये जब यहां आये हैं तो किस प्रकार से सेवा करनी चाहिये। छोटी छोटी बातों पर कि वेतन दो सौ या सवा दो सौ होना चाहिये या मकान में दो या चार कमरे होने चाहिये या फोर्ड मिलनी चाहिये या ट्रक होनी चाहिये, कल से हमारे यहां विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह समस्या एक प्रकार से विशेष महत्त्व रखती है। आज के लिये ही नहीं बल्कि भविष्य को देखते हुये। हमने एक नया विधान बनाया और उसी विधान की हमने शपथ ली। उसके अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव (प्रबंधकर्त्तागण) है, जुडीशियरी (न्याय कर्त्तागण) है और उसी का लेजिस्लेचिर (विधान मंडल) भी एक अंग है। उसी के अन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग आयेंगे उनका हमारे विधान में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश का शासन हमारे विधान मंडलों के और संसद के सदस्यों पर ही निर्भर होगा। लेकिन हम किस प्रकार के लोग अपने विधान मंडलों

में और संसद में चाहते हैं वे दो तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जिनको दो सौ, तीन सौ, या हज़ार रुपया देना तो दूर रहा, वह पार्टी फंड में या गवर्नमेंट को १,००० रुपया या १,५०० रुपया मासिक दे सकते हैं, केवल इसी शर्त पर कि वह यहां के सदस्य बने रहें।

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुये।)

कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिये सौ या डेढ़ सौ या दो सौ रुपये भी बहुत होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीतरागी हैं, जो सन्यासी हैं और जिनका आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है। उन लोगों का एक विशेष स्थान है, जो सेवाभाव से राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिये कि ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय के होते हैं। जब उनको त्याग ही करना है और वे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां रोज सर फटते हैं और ठोकरें लगती हैं तो उनको सेवा के लिये क्या हमारे सेक्रेटेरियट की दीवारें ही रह गई हैं और क्या उनके लिये सिर्फ लखनऊ की गलियां ही रह गई हैं। उनके लिये और भी स्थान है जहां वे सार्वजनिक सेवा कर सकते हैं। हमको मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये विचार करना है और उनके स्थान को देखना है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग आयें वे हमेशा दुख में रहें और झंझटों में पड़े रहें? अगर उनकी यही स्थिति रहेगी तो वह देश सेवा क्या कर सकेंगे? देशवासियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि यह अपने सैनिकों और अपने सार्वजनिक सेवकों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके लिये एक बहुत बड़ी धनराशि संचित कर दी जाय, लेकिन यह तो एक बड़ी छोटी सी बात है। दो सौ रुपया सदस्यों के लिये या डिप्टी स्पीकर का वेतन कोई अधिक नहीं रखा जा रहा है। आप देखें तो इतना तो अमीनाबाद में शायद एक बारबर की दूकान रखने वाले को मिल जाता है। वह सौ दो सौ रुपया पैदा कर लेता है। यह कहना कि दो सौ रुपया दे कर देश के ऊपर बड़ा भार डाला जा रहा है मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बातें हैं। विरोधी सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वह भविष्य को देखते हुये, अपने विधान को देखते हुये कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आगे चलकर ऐसा आघात लगे कि जिसके कारण अच्छे प्रकार के व्यक्ति हमारी विधान सभाओं में न आवें या हमारी संसद से दूर रहें। इससे हमारे देश का कल्याण नहीं होगा बल्कि देश का इससे नुक्सान होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल के ऊपर बहस हो रही है और काफ़ी लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है। सिद्धान्त की बातें भी हो चुकी हैं गोकि सिद्धांत की बातें हमारी ओर से ही ज्यादा हुई हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं वे हमें कल से सलाह देते आये हैं कि हम सदन का समय नष्ट न करें और बिलों को बहुत जल्द पास कर दें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन वे सलाह तो देते हैं मैं तो उनसे आशा करता था कि वे सलाह देकर खुद बैठ जायंगे और उसमें बात अच्छी भी रहती। लेकिन वे ऐसी बातें उत्पन्न कर देते हैं इस तरह से हमारे ऊपर आक्षेप कर देते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उनसे कुछ कहें।

हमारे पूजनीय मुख्य मंत्री जी ने कल हमसे कहा कि तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहते हो हम बढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिये टैक्स लगाना पड़ेगा और उन्हें उम्मीद है कि जब टैक्स लगाया जायगा तो हम विरोधी दल वाले जो हैं वे उसका साथ देंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन्होंने हमारे कम वेतन पाने वालों के लिये यानी चपरासियों, पुलिस के सिपाहियों और क्लर्कों का वेतन बढ़ाया और उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिये प्रान्त में कोई टैक्स लगाये, मगर शर्त यह है कि वे टैक्स सिर्फ पूंजीपतियों पर ही लगाये जायं तो हम उसका स्वागत करेंगे। यह नहीं कि वह गरीबों पर ही लगा दिया जाय यानी एक हाथ से दिया जाय और दूसरे हाथ से वह ले लिया जाय। उससे तो कोई फायदा गरीबों को होने वाला

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं है, न प्रान्त के रहने वालों का ही उससे कोई फायदा होगा । जैसा कि मैंने अर्ज किया अगर ऐसा किया गया तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम आपका साथ देंगे । सूरत यही होगी कि जो टैक्स लगेगा वह पूंजीपतियों पर ही लगेगा, गरीबों पर नहीं लगेगा । रहा सवाल हमारे माननीय सदस्य बुलन्दशहर के बनारसीदास जी का । उन्होंने बड़े गौरव के साथ कहा कि हमारा फैसला तो जनता करेगी और जनता का फैसला हो गया, वह लोगों के सामने आ चुका है । मैं आज उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो चैलेंज (चुनौती) उन्होंने दिया है कि हमारा आपका फैसला जनता करेगी मैं उस चेलेंज को कबूल करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं भी इस्तीफा देता हूं और वे भी स्तीफा दे दें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से वे खड़े हो जायं । मैं यह भी कहूंगा कि किसी एक ही बार यह बात तय हो जाय ताकि रोज रोज ऐसी बातें न हुआ करें । गाजीपुर में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और मैं भी अपने यहां चुनाव के लिये तैयार हूं । एक शर्त और है कि जिस किसी मेम्बर को आप खड़ा करें वह फर्स्ट रेट (उच्चकोटि) का हो ।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य प्रस्तुत विषय पर ही बोलें । मैं समझता हूं कि यह अधिकार इस भवन को भी नहीं है कि कल के दिन को आज के दिन में परिवर्तित कर दिया जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, उस चीज को साफ करने को अगर मुझे आप आज्ञा दें दें तो बहुत अच्छा होगा । अगर फर्स्ट रेट लीडर (उच्च कोटि का नेता) को खडा किया जाय जिससे मैं भी देख लूं कि क्या नतीजा रहता है और ऐसी धमकी रोजाना न दी जाया करे और बाद को यह न कहे कि हमने एक मामूली सा कार्यकर्ता खड़ा कर दिया था । हम चाहते हैं कि हमारे सामने मुख्य मंत्री जी बोलें । वे हमें कुछ बतलायें, कुछ सलाह दें क्योंकि उनकी बातों में गम्भीरता होती है । बरसों उन्होंने भवन में बैठकर काम किया है । इस २५-३० वर्ष में उन्होंने इसके कोने कोने से परिचय प्राप्त कर लिया है । अब हमसे कोई यह आशा रखे कि जैसा मुख्य मंत्री जी कहते हैं वैसा ही हम भी कहें तो यह कैसे हो सकता है । मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । कल मुख्य मंत्री जी ने एक चुटकी ली । वे हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं हम भी चुटकी लेना सीख जायेंगे और थोड़े दिनों में चुटकी लेने लगेंगे ।

आज हमारे सामने तनख्वाह का सवाल है । हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । इसी सिद्धांत को लेकर ही तो हम कहते हैं कि किसी की तनख्वाह एक हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा जो संशोधन है वह बाद में आने वाला है उसके बारे में मैं उस समय कहूंगा । हमारे भाई शिवनाथ काटजू ने कहा कि हम लोग समय को नष्ट कर रहे हैं । हम भी चाहते हैं कि हमें बजाय और लोगों के अगर मंत्रियों की बातें सुनने को मिले तो उससे जनता का भी फायदा हो और हमें भी उससे कुछ सबक मिले और वह समय का सब से ज्यादा सदुपयोग होगा । हम तो अभी बच्चे हैं नौजवान हैं, अभी आये हैं, कुछ सीख लेंगे । और लोगों के लिये अगर दारुलशफा में एक स्कूल खोल दिया जाय तो अच्छा होगा । वे लोग वहां पर सीख लिया करेंगे । अगर नेता लोगों की बातें सुनने को मिलें तो अच्छा होगा और दूसरे जो लोग हैं अगर वे न भी बोलें तो भी अच्छा है क्योंकि उनके बोलने से भी कांग्रेस की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । कल हमारे मित्र माननीय परिपूर्णानंद जी ने अपना एक लंबा चौड़ा भाषण दिया ।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य कल का जिक्र अपने भाषण में न करें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अब मेरा जो अमेंडमेंट (संशोधन) है उसको स्वीकार किया जाय, यही मेरी प्रार्थना है । बस इतना ही कह कर बैठता हूं ।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने जो प्रश्न पेश है वह यह है कि अध्यक्ष महोदय को क्या वेतन दिया जाय । किसी शख्स को क्या वेतन दिया जाय यह प्रश्न अलग है और अधिक से अधिक आय कोई शख्स कितनी रख सकता है यह प्रश्न अलग है ।

दोनों को मिलाना उचित नहीं है उसे अलग से लेना चाहिये। अगर हमारे भाई इस प्रश्न को रखना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि उसके लिये वह एक दूसरा ही प्रस्ताव लायें और बतायें कि उसके अनुसार क्या हमारी नीति होगी। कोई भारतवासी अधिक से अधिक कितनी आय रख सकता है और उसके उपरान्त नहीं। उसमें यह देखना होगा कि हर व्यक्ति जिसको वेतन देना है उसकी निजी आमदनी क्या है आय घटती-बढ़ती रहती है इसलिये हर माह इसकी जांच करना होगा। इसके लिये एक मुहकमा कायम करना होगा जहां से उस व्यक्ति की निजी आमदनी क्या है इसकी जांच हुआ करे। तब यह देखा जाय कि उसको क्या दिया जायगा। यह एक बहुत बड़ा किस्सा है और कभी कभी हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते हैं और हम यह तय नहीं कर सकते कि हमें कितना वेतन देना है। इसलिये अगर हम उस प्रश्न को रखना चाहते हैं तो उसको अलहदा रखना चाहिये। दोनों प्रश्नों को अगर हम यहां पर मिला कर रखेंगे तो वह असली सूरत नहीं होगी। मेरी समझ में ऐसी बातों से बहुत कठिनाइयां आयेंगी। हम सभी किसी एक निर्णय पर नहीं आ सकेंगे। मैं अपने विरोधी दल के नेता से यह अनुरोध करूंगा कि उनको चाहिये कि वे ऐसे प्रश्न को जो काफी गम्भीर है और असल में सारे देश के लिये हैं उसको वे अलग रखें और किसी उचित मौके पर उसे ले आवें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री राममूर्ति---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अब इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह---श्रीमान् जी, अभी इस बिल पर विवाद चल रहा है। इसके ऊपर अभी दो चार स्पीचें हुई हैं लिहाजा हम चाहते हैं कि अभी इस पर बहस जारी रखी जाय।

माननीय अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है और इसके सिद्धान्तों के ऊपर भी दूसरे बिलों के सिलसिले में बहस हो चुकी है इसलिये भवन का समय अधिक लेना आवश्यक नहीं मालूम होता है।

श्री राममूर्ति---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से जो बहस इस विधान सभा में सुन रहा हूं उस पर मैं सोचता रहा कि आया किस उसूल के मातहत है या कोई आधार है या सिद्धान्त है या क्या चीज है जिसके मातहत यह बहसें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आखिरी वक्त तक मैं नहीं समझ सका कि इसका क्या मकसद है। मसलन यह जो बिल पेश किया गया है इसमें तो सिर्फ यह है कि इस बिल के ऊपर विचार किया जाय या न किया जाय, यानी आया हम लोग स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाह मुकर्रर करें या न करें। यह तो बहस इसके बाद होगी कि इनकी तनख्वाह क्या हो और उसके लिये तरमीमात उधर से पेश हैं। लेकिन महज उसूल के ऊपर कि स्पीकर की कुछ तनख्वाह मुकर्रर हो या न हो, यानी इस बिल पर विचार किया जाय या न किया जाय, इसपर इस किस्म की बहस को उठाना, सिद्धांत को पेश करना, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक दुरुस्त और कहां तक सही है। बहरहाल, बहसें तो हुईं। उसी के सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें भी की गयीं जिनका कोई भी ताल्लुक किसी किस्म का इस बिल से नहीं है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का अम्बेसडर होना, मास्कों में एम्बेसी (दूतावास) के लिये सामान खरीदना, प्रेसीडेंट के लिये बड़े-बड़े मकान का होना, गवर्नर के लिये बड़े बड़े मकान जो हैं या हमारे प्रधान मंत्री के लिये जो बड़े बड़े मकान हैं उन पर जो इस तरह से रुपया खर्च हो रहा है, उसका जिक्र भी किया गया। जाहिर है कि इस वक्त इनमें से कोई मसला हाउस के सामने दरपेश नहीं है।

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

जब वोट मांगने के लिये जनता के सामने गये थे तो हमारा भी एक प्रोग्राम था, कांग्रेस का प्रोग्राम था और कांग्रेस उसी उसूल के मातहत चल रही थी । आप जब वोट मांगने गये थे तो आपका भी एक प्रोग्राम था, लेकिन इस समय यहां पर जो आप उसूल की बात पेश करते हैं वह उसूल तो पहले भी था और कांग्रेस का जो प्रोग्राम है उसका पूरा नक्शा देश के सामने मौजूद था और देश को यह मालूम था कि हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं और हमारा जो उसूल है वह कहां तक तनख्वाहों को घटाने के मुआफिक है और कहां तक नहीं है और किस तरह से हम मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे । जो आज ज्यादा खर्च की दोहाई दे रहे हैं वे बराबर इस बात का हवाला दिया करते हैं कि वे जनता की भलाई करना चाहते हैं । आज स्पीकर व चेयरमैन की तनख्वाह व उनके भत्ते वगैरह की जो बातें की जा रही हैं तो वे लोग भी जनता के ही वोट से आये हैं और ५ वर्ष की हुकूमत का नकशा उनके सामने मौजूद था । लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसका नतीजा क्या हुआ । हमारे सूबे के अन्दर करीब ३०० सोशलिस्ट कांडीडेट [अभ्यर्थी] खड़े किये गये थे उसके बाद जो नतीजा हुआ वह आपके सामने है ।

हम लोगों ने देखा कि हर चीज की मुखालिफत की जाती है । मैं यह समझता हूं कि मुखालिफ पार्टी को हक है लेकिन ऐसी चीजों में इस बहस को लाना सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह अपने फरायज को समझने में गलती कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं और उसको वह पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता । हमने इसी विधान सभा में देखा था कि एलेक्शन के पहले भी हमारा विरोधी दल था उनका भी यही खयाल था कि अगर हमारी तरफ से छोटी बात भी कही जाय तो पब्लिक पर उसका अच्छा असर पड़ेगा और उससे फायदा होगा । वह यह कहा करते थे कि जो कुछ भी यहां पर कहा जायगा उसका अच्छा असर पड़ेगा और बाहर के लोगों से वोट मिल सकेगा, लेकिन आज मैं देखता हूं कि एक शख्स भी यहां पर इसको नजर नहीं आता है । इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि विरोधी दल का फर्ज है कि वह विरोध करे लेकिन उसका कुछ उसूल होना चाहिये और उसको सही तौर पर अंजाम देना चाहिये । लेकिन जो रोजमर्रा की बातें हैं और जो हो कर ही रहेंगी चाहे वह कितना भी उसका विरोध करें फिर उन पर इस तरह से वक्त को बरबाद करना कोई शान की बात नहीं हो सकती । इसलिये मैंने कहा कि यह उनका खयाल गलत है और छोटी बातों पर इस तरह से बहस करना कोई उसूल की बात नहीं है । आपको यह राइट (अधिकार) हासिल है कि किसी बात पर चाहे वह सही है आप प्वाइन्ट आउट (संकेत) करें। लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को समझना आपका फर्ज है । मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन बिलों के ऊपर बहस हुई है उनमें किसी तरह कोई उसूल की बात शामिल नहीं रही है न तो उससे कोई देश का फायदा हो सकता है और न उससे आपका ही फायदा हो सकता है ।

जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह बहस तो वाक्यात के खिलाफ है और किसी उसूल पर मुबनी नहीं है । सिर्फ इतनी बात है कि स्पीकर की तनख्वाह और चेयरमैन की तनख्वाह वही है जो पहले उनको दी जाती थी उनको किसी तरह से कोई नई तरह से नहीं दी जायगी । जो उनको मिलती थी वही मिलेगी । सिर्फ इतना सा फर्क किया गया है कि जितनी मिनिस्टर की तनख्वाह मिलेगी वही स्पीकर और चेयरमैन के लिये रखी गयी है । जहां डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का ताल्लुक है उनके लिये यह किया गया है कि उनकी तनख्वाह ६०० रुपया कर दी गयी है । पहले वह ५०० रुपया थी अब उसको ६०० रुपया कर दिया गया है । वह होलटाइम सर्वेंट (पूरे समय के लिये नौकर) नहीं होते हैं और उनको अपना पेशा करने की भी इजाजत होती है । उनको ५०० रुपया मिला करते थे अब उनको ६०० रु० कर दिया गया है । यह निहायत रीजनेबिल (उचित) और सही बात है । इसमें किसी तरह से फर्क करने की बात समझ में नहीं आ सकती है । उधर से इसकी भी मुखालिफत की गई है वह मेरी समझ में नहीं आयी कि उसकी बुनियाद क्या है और वह किस तरह से इसके

दूसरे मायने लगाते हैं कि उसकी तनख्वाह कम होनी चाहिये। बहुत सी तकरीरों का हवाला दिया गया सिर्फ उसका मतलब बदनाम करने का हो सकता है और कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं यह चाहता हूं कि इस बात को बतलाया जावे कि किस मुल्क में किस उसूल के मातहत मुखालिफ पार्टी की दलील मुनहसर है। अगर आप बाहर की बात सोच सकते हैं तो वह इंगलिस्तान की मिसाल हो सकती है। वहां पर लेबर पार्टी का जो उसूल है वह गालिबन वही है जो कि सोशलिस्ट पार्टी का कहा जाता है, लेकिन वहां भी यह नहीं देखा कि बहुत कम तनख्वाह या बिलकुल वहां उन लोगों ने न ली हो। जब वहां लेबर पार्टी बदल गई और कंजरवेटिव आये तो उन्होंने भी उसी चीज को माना जो कि लेबर मानती थी। हमारे यहां तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत पार्टी हों। हमारे जो सोशलिस्ट भाई हैं उनको यह मान लेना चाहिये कि क्या यह बात सही है कि जब यहां पर दूसरी गवर्नमेंट आयेगी तो वह सोशलिस्ट पाटी की ही आयेगी। अभी जो हिन्दुस्तान के एलेक्शन का नकशा सामने आया है कम से कम उससे यह अन्दाजा नहीं होता है कि यहां पर दूसरी पार्टी सोशलिस्टटों की आयेगी। यह सब बातें ऐसी हैं कि जो गौर करने की हैं और इसी वजह से मुझको यह सब कहना पड़ा। बार बार इस बात का हवाला दिया गया कि हम भी जेल गये और इस वजह से इसकी मुखालिफत करते हैं, मगर जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया यह सारी बातें किसी उसूल पर मुबनी नहीं हैं। लिहाजा मैं आपसे इस्तदुआ करूंगा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह बिलकुल सही है और उसको हम सब को मंजूर करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति को बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२३ ई० के अनुसार लिये जाने वाले आयकर सम्मिलित नहीं होंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड २ रखा जाय।

"२—उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति को उनकी एक हजार रुपये मासिक या उससे अधिक निजी आमदनी होने पर कोई वेतन न दिया जायगा, लेकिन जिस अध्यक्ष या सभापति की निजी आमदनी एक हजार रुपये मासिक से जितनी कम हो, उतना मासिक वेतन उन्हें दिया जायगा।"

हमारी पार्टी ने एक सिद्धांत को लेकर यह तनख्वाह मुकर्रर की है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रान्त में किसी भी मताधिकारी को एक हजार रुपये से ज्यादा न दिया जाय। उस पर काफी बहस हो चुकी है और दुतर्फा बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें कहीं जा चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्दी पास हो जाय और हो ही जायगा। मुझे भी जाना है। मैं अधिक समय न लेकर आपके सामने यह संशोधन रखता हूं और उम्मीद यह करता हूं कि हमारे विपक्षी दलवाले जो सलाह काफी समय पहले दिया करते थे वही सलाह अब मैं उन्हें देता हूं कि वह देर न करें और जल्द कार्यवाही खत्म करें।

श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जिस रूप में रखा गया है मेरे विचार से यह बहुत ही अनुचित है। इस संशोधन को देखते हुये यह पता लगाना कठिन होगा कि कितनी किसकी आमदनी है। यदि कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी हिन्दू संयुक्त परिवार का

[श्री शिवनाथ काटजू]

एक व्यक्ति होगा तो किस तरह से उनकी आमदनी का अन्दाजा लगाया जायगा। यह कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव होगा। यदि कुछ सम्पत्ति उनकी स्त्री के नाम और कुछ उनके नाम है तो यह झगड़ा कौन तय करेगा कि उसकी सम्पत्ति कितनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के झगड़े होते हैं। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आमदनी ज्यादा हुई है। इन सब बातों को देखते हुये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है वह ठीक नहीं है और इस सदन को इसे गिरा देना चाहिये।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपही से निवेदन करूंगा कि यह जो बिल प्रस्तुत है इसका सीधा सम्बन्ध आपही से है, इसलिये आप समय में उदारता के साथ कृपा करके जरा मतों के स्पष्टीकरण का अवसर दीजियेगा। मैं तो इस समय बोलना नहीं चाहता था मगर जब कुछ शंकायें प्रस्तुत की गईं माननीय न्याय मंत्री की ओर से, तब कर्तव्य ने प्रेरित किया कि अगर मैं वस्तुस्थिति को प्रकट न करूं तो शायद माननीय न्याय मंत्री महोदय, जो गवर्नमेंट में नये आये हैं, वह इसे सम्यक रूप से समझ सकने में असमर्थ रहेंगे। न्याय मंत्री महोदय चाहते हैं कि उनको बताया जाय कि सोशलिस्ट पार्टी अपना आदर्श कहां से लेती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, विषय और व्यापक है। मैं न्याय मंत्री महोदय को पहले से राजनीति में जानता नहीं था, वर्ना यदि उनसे पहले विचार विनिमय हो गया होता तो इस सदन में इस तरह का प्रश्न न करते। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों हुई अब हमको यहां से चलना चाहिये कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई इस सवाल को भी आप की सेवा में थोड़े में अर्ज कर दूं। कांग्रेस जब सन् १८८५ में बनाई गयी तो ह्यूम के ये विचार थे कि हिन्दुस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोगों को एक स्थान पर जुटा कर एक ऐसी संस्था बनावें जिससे जनता के खयालात का पता सरकार को लगता रहे। धीरे धीरे सन् १८८५ की कांग्रेस बढ़ती गयी। महात्मा गांधी का नेतृत्व आया। सन् १९२१ का आन्दोलन हुआ, उसके बाद सन् १९३० और १९३२ का आन्दोलन हुआ। मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य को मैं इस समय इन बातों के लिये समय नहीं दे सकता। उस वक्त जवाब देने का समय था। मैं इस बात को क्षमा चाहूंगा और मुझे खेद है कि बार बार मुझे टोकना पड़ता है। मैं सदन से कह देना चाहता हूं कि सदन में बहुत से आंकड़े पेश हैं। मैं भी कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य डेढ़ लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि एक मिनट भी अपव्यय होता है तो श्रम के डेढ़ लाख मिनट व्यर्थ होते हैं और ६ करोड़ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन का समय नष्ट होता है। मैं इस सदन की प्रतिष्ठा ऐसी चाहता हूं कि न केवल अपने सूबे में ही बल्कि अपने देश में यह सदन इस विषय में इतना ऊंचा हो कि यहां के सम्बन्ध में यह उदाहरण दिया जाय कि यहां एक मिनट का समय भी नष्ट नहीं किया जाता। इसलिये मुझे टोकना पड़ता है और लाचारी है। मैं इसके लिये सदन से क्षमा मांगते हुये माननीय सदस्य से कहूंगा कि यदि इस संशोधन के सम्बन्ध में कोई नया विषय हो तो उसके बारे में वे जिक्र कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--माननीय प्रमुख महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि न्याय मंत्री की ओर से शंकायें प्रस्तुत हैं। न्याय मंत्री इस प्रस्ताव के मूल प्रस्तावक हैं। इसलिये न्याय मंत्री की शंकाओं का समाधान होना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष--मैं इसके लिये समय नहीं दे सकता। मैं आपसे कह चुका हूं कि काफी जिक्र इसके बारे में हो चुका है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बात घुट्टी दिन में एक ही बार दी जाती है, बार बार नहीं दी जाती है। बार बार देने से कै होने की

आशंका रहती है। इसलिये माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें कि अपने सिद्धान्त बार बार न दुहराएं।

श्री राजनारायण—प्रमुख महोदय, मैं फिर आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि कुछ थोड़ा समय हमें दें ताकि जो मौलिक शंकायें हैं...

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन को लेते हुये कहें।

श्री राजनारायण—विरोधी दल की ओर से जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह यह हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति को उनको एक हजार रुपये मासिक या उससे अधिक निजी आमदनी होने पर कोई वेतन न दिया जायगा। प्रमुख महोदय, पहले ही वाद-विवाद लम्बा हो चुका था, काफी बातें प्रकाश में लाई गई थीं, हर पहलू को कहा गया था, मगर अफसोस कि हमारे न्याय मंत्री महोदय ने उन पहलुओं पर गौर करने की कृपा नहीं की। सोशलिस्ट पार्टी एक हजार की लिमिट क्यों करती है, इसलिये करती है, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी देखती है कि देश की आर्थिक आय क्या है और देश के मीन्स आफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) क्या हैं। जमीन से अन्न पैदा होता है। कल कारखाने से कपड़ा पैदा होता है, खानों से सोना, चांदी, लोहा और अबरक पदा होता है। यह जो उत्पादन के साधन हैं आज वे व्यक्तिगत हाथों में हैं। व्यक्तिगत हाथों से इन साधनों को छीनने की सोशलिस्ट पार्टी की पूरी प्लानिंग है और पूरी योजना है। उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये हम चाहते हैं कि एक हजार रुपया से ज्यादा कोई न ले सके, जैसा कि मदन मोहन जी ने बताया कि जिस उद्योग-धंधे में तीन लाख तक कैपिटल (पूंजी) लगे, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, उसको हम एलाऊ करेंगे। मगर वह किन उद्योगों को ? चीनी, लोहा, कोयला, कपड़ा ऐसे उद्योगों को नहीं। ऐसे उद्योग जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनको किसी भी व्यक्ति के हाथ में हम नहीं रहने देना चाहते। आप कहेंगे कि ३ लाख हम क्यों छोड़ते हैं। ३ लाख हम इसलिये छोड़ते हैं कि अगर आप हिसाब लगायें तो आपको मालूम होगा कि ३ लाख से १ हजार रुपये प्रतिमास की आमदनी आती है। इसी तरह से हमने जमीन का भी प्रबन्ध किया है। ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हम किसी भी खेतिहर परिवार के हाथ में नहीं रहने देना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि ३० एकड़ क्यों रखा। १० मन के हिसाब से आप ३० एकड़ की पैदावार जोड़िये तो करीब ५ हजार रुपये के होती है। इस हिसाब से अगर बढ़िया खाद और सिंचाई हो तो खेती की व्यवस्था भी दो साल के अन्दर इतनी हो जायगी कि १ हजार रुपये मासिक आय खेती से होने लगेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ़ आर्डर। (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है) मैं श्रीमान् जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी भूमि व्यवस्था और सारे उद्योग-धंधे और तमाम दलील और बहस सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों को बताने में बार बार दोहरायी जाती हैं। हर प्रश्न पर वही चीजें घुमा फिरा कर दोहरायी जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विषय को वहीं तक रखें जहां तक यह विषय है और उससे आगे न जायं।

श्री राजनारायण—मेरे साथी श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पहले ही कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि इस विवाद को बढ़ायें। इसलिये आाप देखेंगे कि जब मदन मोहन जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया था तो एक शब्द भी नहीं बोले थे। मगर जब हमें यह शंका पैदा होती है कि हमारे बहुमत दल के माननीय सदस्य और हमारे न्याय मंत्री जी, जो मूल प्रस्तावक हैं, वही हमारे संशोधन को समझने में ग़लती कर रहे हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है, कि हम उनको बतावें।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि मदन मोहन जी के पेश्तर न्याय मंत्री ने भले ही शंका की हो, उनके बोलने के पश्चात् उन्होंने कोई शंका नहीं खड़ी की। जो शंका खड़ी की, काटजू साहब ने की। उनका उत्तर माननीय सदस्य दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—तो प्रमुख महोदय, हम १ हजार रुपये क्यों कहते हैं। यह न समझें कि हम अपने प्रमुख महोदय और आदरणीय मंत्री महोदयों के लिये ही १ हजार रख रहे हों, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में १ हजार की सीमा हमने निर्धारित की है। कोई भी व्यक्ति १ हजार रुपये से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं प्राप्त कर सकता है। जब १ हजार की सीमा हम सब जगह रखते हैं तो आप क्यों हममें छूट चाहते हैं।

अब काटजू साहब की बातों का मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आता। वह तो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। विरोधी पक्ष जिस तरह से बात रखता है वह तो समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जो संशोधन सदन के सामने हैं उसको जरा ठंडे दिल से विचार करके देखें। आपने तो एक रट लगा दी है कि विरोधी पक्ष समय नष्ट करना चाहता है। जो बात रखते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर न्याय मंत्री को आप घंटा दो घंटे का समय दे दें और वह बतायें १ हजार रुपये से ज्यादा क्यों लेना चाहते हैं। बार बार वह कहते हैं कि १,२०० और १,००० एक ही बात है। तो मैं कहता हूं कि फिर आप मान क्यों नहीं लेते? १,२०० से क्यों चिपटे हुये हैं? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, परन्तु अपने विचारों को छिपाना भी नहीं चाहता। इसलिये बहुमत दल के सदस्यों को जितनी भी शंकायें हों मैं आपके जरिये उन शंकाओं का समाधान करना चाहूंगा।

इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने अपने आदर्श को कहां से लिया? "सोशलिज्म इज दि टोटल सम आफ ह्यूमननालिज" (मानव ज्ञान का सम्पूर्ण समुच्चय समाजवाद है।) जहां जहां से भी विकसित समाज की चरमावस्था की जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं सबका समुच्चय समाजवाद है। वह हिन्दोस्तान का हो, चाहे अमरीका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे चीन का हो, कहीं का हो।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य फिर मदों को दुहरा रहे हैं। आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

रेलों की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि रेलों की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के लिये यह नामांकन हुए हैं—

वेस्टर्न रेलवे के लिये श्री महावीर प्रसाद—प्रस्तावक हैं श्री मंगला प्रसाद और समर्थक हैं श्री जवाहरलाल रोहतगी।

सेंट्रल रेलवे के लिये श्री बेनी सिंह—प्रस्तावक हैं श्री मंगला प्रसाद और समर्थक हैं श्री जवाहरलाल रोहतगी।

नार्थ—ईस्टर्न रेलवे के लिये दो माननीय सदस्यों के नामांकन हुये हैं।

१—श्री भगवती प्रसाद दुबे। प्रस्तावक श्री मंगला प्रसाद और समर्थक श्री जवाहर लाल जी।

२—श्री नारायण दत्त जी तिवारी। प्रस्तावक श्री जगन्नाथ मल्ल और समर्थक श्री रामनारायण त्रिपाठी।

यदि कोई माननीय सदस्य इसमें से अपना नाम वापस न लें तो नार्थ--ईस्टर्न रेलवे के सम्बन्ध में चुनाव होगा और वापस लेने का समय आज पांच बजे तक है । इसलिये मैंने इसकी सूचना दी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय अध्यक्ष—अब विधेयक पर विवाद जारी रहेगा।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी पक्ष के नेता पर यह प्रकट करना चाहता हूं कि प्रातःकाल से उनके सिद्धान्त की बात सुनते सुनते मैं एक प्रकार से थक सा गया हूं। मैं उनके सामने यह प्रकट करना चाहता हूं कि वह किसी तरह से भी हस्ती हार गये, अब उन्हें "गज बांट" के लिये व्यर्थ अड़ंगा नहीं लगाना चाहिये । जहां तक सिद्धान्त के वाक्य हैं, यह पूर्ण संविधान से सम्बन्धित हैं। मैं इतना मानने के लिये तैयार हूं कि विरोधी पक्ष के पास भी कोई अर्थ दर्शन है, लेकिन तो भी उसका इतना प्रचार नहीं होना चाहिये कि जनता के अमूल्य समय का हम इस तरीके से खिलवाड़ करें।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन के ऊपर नजर रखें।

श्री रामलखन मिश्र—इस संशोधन के रखने से जनरुचि खराब होती है । इसमें कोई अतिशयवाद नहीं है कि रुपये का मूल्य तीन या चार आने हो गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा देंगे । जैसी भूमिका हमारे समाजवादी नेता रखते हैं मैं थोड़े से शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस देश में भी एक अर्थ-प्रणाली थी और उस अर्थ प्रणाली में कपिल, कणाद, गौतम आदि ने कहा है कि "न तु दंडो न च दंडक:"। न कोई दंड पाने वाला, न दंड देने वाला था । यहां गोपालकृष्ण गोखल, पूज्य बापू, महामना मालवीय हो गये हैं। यहां खिचड़ी और सतुआ जैसे त्यौहार होते थे, लेकिन यह संसार का सिरमौर था । हमारे विरोधी पक्ष का सिद्धान्त संसार प्रसिद्ध है, मगर उन्हें आदर्शवाद का प्रचार नहीं करना चाहिये और यहां के इतिहास को देखना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके अन्दर केवल मुर्छा है, विवेक कहीं भी नहीं है। प्रातःकाल से, एक तो विरोधी पक्ष के सदस्य इस सदन के अन्तर्गत एक विरोधी रेखा उत्पन्न करना चाहते हैं..

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य आम बहस नहीं कर सकते। । मैं चाहता हूं कि वह संशोधन पर ही बोलें अन्यथा स्थान ग्रहण करें।

श्री रामलखन मिश्र—मैं अधिक न कह कर अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे विरोधी पक्ष के सदस्य कहते हैं, मैं अनुभव करता हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मैं उनके सामने करबद्ध प्रार्थना तो नहीं कर सकता लेकिन मैं उन्हें इतना सुझाव देना चाहता हूं कि वे अधिक शब्द चित्र न बनाया करें।

श्री बसन्त लाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिरोधी दल की तरफ से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में जो संशोधन आया हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं।

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

मैं आपके द्वारा विरोधी दल के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी विषय का एक संशोधन कल भी हमारे माननीय मंत्री महोदय के वेतन के संबंध में उनकी ओर से आया था। उसमें भी उन्होंने निजी आमदनी के ऊपर ही जोर दिया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे निजी आमदनी के मानी क्या लगाते हैं? जब हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय यहां पर बैठकर काम करते हैं इस सदन के अन्दर, तो मेरी समझ में नहीं आता कि बाहर से कैसे उनकी निजी आमदनी और कोई हो सकती है? यदि उन के घरों पर होने वाली आमदनी को ही वे निजी आमदनी समझते हैं तो यह तो बात समझ में आने वाली नहीं। या तो वह निजी शब्द का मतलब यह लगाते हों कि कदाचित उन के परिवार के सदस्यों द्वारा जो आमदनी होती है वही उन की निजी आमदनी है तो यह बात न्यायसंगत नहीं है। एक व्यक्ति जो सदन के अन्दर बैठ कर काम किया करें और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा होने वाली आमदनी को यदि उस की निजी आमदनी कह दिया जाय तो भी यह मेरी समझ में उचित नहीं। यह बार बार कहा जाता है कि वह जनता के हित में यह संशोधन रखते हैं। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि इस सदन के अन्दर लगभग ४३० सदस्य हैं जो नित्यप्रति बैठ कर नाना प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हैं। उन को वेतन भी मिलता है और एलाउन्स भी, जो जनता ही का धन है। इसलिये जो समय नष्ट किया जाता है उसका ध्यान विरोधी दल को उचित रूप से रखना चाहिये। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि जो एलाउन्स सदस्यों को रोज दिया जाता है उस का क्या औसत पड़ता है। कल हमारे विरोधी दल के नेता ने एक बात यह भी कही थी कि भले ही एक प्रश्न पर एक दिन के बजाय दो, तीन और चार दिन लग जायं। मेरी समझ में यह तो जनहित की बात नहीं।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य कल की बहस का जवाब आज नहीं दे सकते।

श्री बसन्त लाल शर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, वह संशोधन बिलकुल इससे मिलता जुलता था जिसके ऊपर बहस हो करके वह स्वीकृत हो गया था। इसलिये मैंने उस का हवाला दे दिया। खैर, मुझे तो यह कहना है कि वे भी इस तथ्य को मान चुके हैं कि एक हजार रुपया वेतन दिया जाय तो फिर केवल निजी आमदनी के संबंध में ही मुझे उन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना है कि जब अध्यक्ष महोदय अथवा उपाध्यक्ष महोदय इस सदन में बैठ कर चौबीस घंटे काम करेंगे तो उनकी निजी आमदनी बाहर से और कोई भी नहीं हो सकती है। जब वह एक हजार रुपये को स्वीकार कर चुके हैं और बार-बार इसी को दोहरा रहे हैं कि १२ सौ ही पर इस पक्ष के लोग क्यों चिपके हुये हैं। तो मैं उन से अनुरोध करता हूं कि जब कि मंहगाई इतनी बढ़ गयी है जिसके उदाहरण हमारे बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा दिये जा चुके हैं और वह स्वयं भी जानते हैं तो वे ही क्यों नहीं इस २०० रु० अधिक को मान लेते? वह यह भी कहते हैं कि हम दो सौ रुपये का अन्तर कोई अन्तर नहीं समझते तो फिर सवाल ही क्या रह गया? अतएव यह संशोधन बिलकुल निरर्थक है। यह कतई नहीं माना जाना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा---मैं श्री उपाध्याय जी के इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं उस बहुमत पार्टी का सदस्य न समझा जाऊं इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं क्योंकि मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार हूं। कल से आज तक बराबर १ और १० के अनुपात के बारे में सुनता आया हूं। इसलिये उस से ऊब कर मुझे बोलना पड़ा है। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से १ और १० के अनुपात की बात नई नहीं है बल्कि पहले से चली आती है जब चुनाव क्षेत्र में कोई पार्टी भी नहीं आई थी तभी से उन का यह पक्ष (तर्क) जारी है। हमने हिन्दुस्तान में आज तक किसी भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य को यह कहते हुये नहीं सुना है कि किसी भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ने अपने अनुपात को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाया हो। मैं जिला

हमीरपुर का रहने वाला हूं। सोशलिस्ट पार्टी के सब से अधिक धनवान सदस्य वहां पर हैं और उनमें कुछ लोग वकील भी हैं जिनकी आमदनी चार हजार तक होगी और जो जनता को भूलभुलैयों में डालने की कोशिश किया करते हैं। हमने और वहां के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां की जनता को सावधान किया कि आप उनकी भूलभुलैयों में न फंसें और जरा आप ध्यान से देखें कि क्या उन में से कोई भी ऐसा है जो अपनी बातों को स्वयं ही कार्यरूप में परिणत करने को तैयार है। दूसरी बात ३० एकड़ जमीन के बारे में है। मैं जानता हूं..

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य इस संशोधन पर ही बोलें। एकड़ या जमीन का सवाल नहीं है। वेतन का सवाल है।

श्री जोरावर वर्मा—मैं इसलिये विनय करना चाहता था कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वही सिद्धांत लगभग रोज ही प्रदर्शित किया जाता है। इसलिये जब बहुमत पार्टी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है और उस पर काफी बहस हो चुकी है तो मैं चाहता हूं कि सदन का अधिक समय नष्ट न करके इसको मूल रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं श्रीमान की आज्ञा चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद बन्द करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय।

माननीय अध्यक्ष—कीजिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब वादविवाद बन्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विरोध में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने कम समय इस पर नष्ट किया, लेकिन माननीय काटजू साहब ने एक बात उठाई। उन का कहना था कि यह कैसे पता चलेगा कि एक हजार से किस को आमदनी कम है और किसको ज्यादा है। यह चीज कोई मुश्किल नहीं है। सब जानते हैं कि यह काम इनकम टैक्स विभाग का है और कोई ऐसे ज्यादा आदमी भी नहीं हैं कि जिन के बारे में आप को मालूम करना है और इसलिये यह कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर वह इसी वजह से चाहते हैं कि हमारा संशोधन गिर जाय तो मैं उन को विश्वास दिलाये देता हूं कि मैं ही इस बात की छानबीन करा दूंगा कि एक हजार से किस की आमदनी ज्यादा है और किस की कम है। इस की चिन्ता वह न करें और मैं क्या कहूं? कहा जाता है कि हजरतगंज में २०० और २५० रुपये तो नाई पैदा कर लेते हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि कहां वह इतनी आमदनी कर लेते हैं। वह बड़ी जगह के रहने वाले हैं। इसलिये वह बड़ी तनख्वाह की बात सोचते हैं। हम लोग गरीब हैं और मजदूर पार्टी के ही लोग हैं और पहले हम कांग्रेस में ही थे। जब करांची में प्रस्ताव पास हुआ था तो उस वक्त फैसला हो चुका था कि हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी की तनख्वाह ५०० रुपये से ज्यादा नहीं होगी। पहली कांग्रेसी हुकूमत जो सन् १९३७ ई० में आई उसने इसको माना। इसके बाद १,५०० रुपये हुये और आज १,२०० रुपये हुये।

हम एक सिद्धांत को लेकर आये हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय की तनख्वाह प्रांत भर में किसी से भी कम न हो लेकिन वह कुछ भी हो मगर एक हजार रुपये से ज्यादा न हो। मेरा सिद्धांतिक मत है इसलिये यह चीज मैंने हाउस के सामने रखी। जहां तक शुक्ला

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जी ने कहावत कही कि "हाथी जब हार गया तो फिर गज बांकों के लिये क्या"। मैं उनका नाम तो नहीं जानता इस लिये पूरा नाम नहीं ले सकता। उनको शायद मालूम नहीं है कि हाथी के मरने के बाद भी उसके दांत बड़े कीमती होते हैं। अगर हमारा प्रस्ताव गिर भी गया तो हम समझते हैं कि कोई हर्ज नहीं है। हमारे मंत्री महोदय इसको सोचेंगे और इस पर बिचार करेंगे। हो सकता है कि ऐसा मौका आजाय कि वह इधर हों और हम उधर हों तो हमारे मंत्री महोदय को याद आयेगा कि उन दिनों उन्होंने अपनी तनख्वाह १,२०० रुपये करने के लिये कहा था। वह दिन दूर नहीं है। हाथी के बारे में जो कहावत उन्होंने कही है वह गलत है।

माननीय शर्मा जी ने भी कुछ कहा हमारे मित्र श्री जोरावर वर्मा जी ने बतलाया कि उनके यहां सोशलिस्ट पार्टी के लोग अमीर हैं। चार-चार, छै-छै हजार रुपये की उनकी आमदनी है। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धांत है वह यह है कि अगर चपरासी का वेतन १०० रुपये होगा तो हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े अफसर का वेतन एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। इसी सिद्धांत को लेकर हमने यह रखा था और लोगों ने जो कुछ भी कहा समय नष्ट किया। हाउस का इतना मूल्यवान समय नष्ट होगया। हमारे हाउस के सदस्यों को १० रुपये रोज एलाउन्स (भत्ता) के मिलते हैं। इस तरह से ४३०० रुपये रोज का खर्चा है और भी बहुत से खर्चे हैं। यह हम सब मानते हैं। लेकिन हमारे सिद्धांत का सवाल है क्योंकि यह प्रोसीडिंग्स छपती हैं हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि जब सोशलिस्ट पार्टी आई तो उन्होंने अपना सिद्धांत रखकर यह कहा था कि हमारी तनख्वाह एक और दस के रेशियो (अनुपात) से होनी चाहिये। अगर कम से कम १०० रुपये तनख्वाह है तो बड़े से बड़े अफसर की तनख्वाह एक हजार रुपये होनी चाहिये। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि न्याय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और १,२०० रुपये के बजाय १,००० रुपये अध्यक्ष की तनख्वाह मुकर्रर करेंगे।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम कि हाउस के सामने इस वक्त पेश है उसके माने यह होते हैं कि अगर कोई आदमी नौकरी में रखा जाय तो, मैं सभापति के लिये ही नहीं कह रहा हूं बल्कि आम तौर पर कह रहा हूं, पहले उसकी निजी आमदनी की तहकीकात करा ली जाय तब उसको तनख्वाह मिलनी चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी के इस उसूल पर अमल करने से तो ज्यादा अच्छा यह होगा कि पहले सरकार सब की निजी आमदनी पर कब्जा कर ले। उसके बाद १,००० रुपये या ५०० रुपये जो मुनासिब समझे वह मुकर्रर कर दें। वरना किसी शख्स को नौकरी में रखने पर उसकी निजी आमदनी की तहकीकात कराने में बड़ी दिक्कत होगी और कितनी घटी और कितनी बढ़ी इसके मालूम करने में भी बड़ी दिक्कत होगी। किसी के पास जायदाद विरासत में आ गई तो उसमें बड़ी गड़बड़ी होगी। मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा जहां इस तरह से हो कि पहले निजी आमदनी की तहकीकात की जाय उसके बाद तनख्वाह मुकर्रर हो। मैंने देखा कि पोलिटीकल प्रोग्राम (राजनीतिक कार्यक्रम) ऐसा हो १०० रुपये से कम या १,००० रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं होगी। और उसको एक प्रोग्राम बनाकर जैसे और बहुत बड़े प्रोग्राम हैं उनको हम लाये जैसे कि हम लोग ला रहे हैं, उनको वे भी चालू कर सकते हैं। लेकिन किसी बिल में इसका एक प्राविजन (अनुबन्ध) दाखिल करना कि किसी को जगह देने के पहले उसकी तहकीकात कीजिये कि उसकी आमदनी निजी क्या है, उसके बाद तनख्वाह मुकर्रर कीजिये यह प्राविजन समझ में नहीं आता। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि न कोई प्रेसीडेंस इसके लिये और न कोई उसूल है जिसके मातहत यहां रखा जा सके। उसूलन चाहे वह बात सही हो, लेकिन उसका इस्तेमाल यहां पर गलत जगह पर होगा। तो बहरहाल जहां तक तनख्वाह का सवाल है। हमने तनख्वाह बढ़ायी नहीं है। हमने तो तनख्वाह १२०० की है। पहले हमारी तनख्वाह १,५०० रु० थी उसको घटाकर हमने १२०० रुपये की है। उसमें जो वालन्टरी कट (ऐच्छिक ह्रास) हम खुद लगाये हुये थे और जो हम ले सकते थे उसको हमने मुस्तकिल करके

कट करा लिया और हमने उसको मुस्तकिल बना दिया है। जो तनख्वाह हमने अपने ऊपर ली है वही अपने माननीय अध्यक्ष के लिये रखी है और यह जो संशोधन है वह किसी उसूल पर नहीं आ सकता। लिहाजा मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह अमेंडमेंट जो है वह नामंजूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड २ रखा जाय --

"२--उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद् के सभापति को उनको एक हजार रुपये मासिक या उससे अधिक निजी आमदनी होने पर कोई वेतन न दिया जायगा, लेकिन जिस अध्यक्ष या सभापति की निजी आमदनी एक हजार रुपये मासिक से जितनी कम हो, उतना मासिक वेतन उन्हें दिया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप-सभापति को ६ सौ रुपये प्रतिमास का वेतन दिया जायगा।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३ रखा जाय---

"३--उत्तर प्रदेश विधान सभा के उस उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उस उपसभापति को जिसकी निजी आय १,००० रुपये मासिक से अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस उपाध्यक्ष या उप-सभापति की निजी आय १,००० रुपये मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपये मासिक हो सके, लेकिन मासिक वेतन ४०० रुपये मासिक से अधिक न होगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि अध्यक्ष के वेतन का संबंध है हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था और हम चाहते थे कि हमारा एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि देश के किसी भी व्यक्ति की आमदनी १ हजार रुपये से ज्यादा न हो और किसी भी व्यक्ति की आमदनी १०० रु० से कम न हो। हम चाहते हैं कि आज देश को जो आम जनता है और उसमें जो विषमता आज विद्यमान है वह मिटा दी जाय। हम देखते हैं कि एक आदमी तो ८ आना रोज पैदा करता है और एक आदमी लाखों रुपया पैदा करता है, इस प्रकार यह जो समाज में एक अन्तर की खाई है वह पाट दी जाय। इसी कारण से हमने यह सिद्धांत बनाया है और हम समझते हैं कि यह सिद्धांत निहायत अच्छा है। दुनिया में अगर हम देखें तो हम उन्हीं सिद्धांतों पर पहुंचेंगे, क्योंकि ईश्वर की जो भी देन है वह अपने बेटों के लिये सब बराबर ही है। सूर्य की रोशनी सब को बराबर मिलती है, नदियों का पानी सब को बराबर मिलता है, वायु सब को बराबर मिलती है, अग्नि की तपन भी सबको बराबर मिलती है। मतलब यह कि ईश्वर प्रदत्त जितनी भी वस्तुयें हैं वे सब लोगों को बराबर ही मिलती हैं। जो भी भगवान की बनायी हुई वस्तु है वह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो मूर्ख हो या विद्वान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिये बराबर है। सभी ईश्वर के बेटे हैं इसलिये ईश्वर प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं वे सब के लिये बराबर हैं। जब यह समता ईश्वर की ओर से है तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि समाज में कुछ आदमी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति

[श्री गजेन्द्र सिंह]

पर कब्जा किये हुये हैं और उसके दूसरे अंग बहुत परेशान हैं और तबाह हो रहे हैं। इस प्रकार उनको वह न्याय नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जिस तरह से समानता का न्याय लेकर ईश्वर के यहां से पैदा हुआ है यही न्याय उसको समाज में दिलाना हमारा उद्देश्य है। उस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने के लिये सब से पहले हम लोगों को यह चाहिये कि हम लोग जो यहां सदन में बैठे हुये हैं जो अपने सूबे की जनता के नेता हैं, जो सूबे की जनता के भाग्य विधाता हैं और यहां पर कानून बनाने के लिये आये हैं वे ऐसा कानून बना सकें जो तमाम सूबे में लागू हो सके। इसलिये हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस कानून को इस सदन में बैठकर कर बनावें और वह कानून हम सबसे पहले इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं, जितने माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं, उन सब के ऊपर लागू करें और धीरे धीरे समाज के हर अंग पर लागू करें। इसलिये हम यह चाहते हैं और हमने यह प्रस्ताव रखा है कि जहां तक उपाध्यक्ष के वेतन का ताल्लुक है वह ४०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष के लिये हमने १,००० रुपये वेतन इसलिये रखा है कि उनको काम काफी करना पड़ता है, लेकिन जहां तक उपाध्यक्ष का ताल्लुक है उनको कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता है। इसलिये ४००रु० उनके लिये काफी है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस संशोधन को पसन्द करेंगे।

श्री सियाराम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के मेम्बरों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता ने अभी यह बतलाया है कि ईश्वर की दी हुई जितनी भी चीजें हैं वे सब को बराबर मिलती हैं, जैसे सूरज की रोशनी, नदियों का पानी हर आदमी को मिलता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, मूर्ख हो या होशियार हो सबको बराबर ही मिलता है। जब आप इसको मानते हैं कि ईश्वर की दी हुई चीजें सब को बराबर मिलती हैं तो फिर आपने इस बिल के अन्दर क्यों इतना डिफरेंस (अन्तर) रखा कि किसी को तो १०० रु० दिया जाय और किसी को १,००० रुपया दिया जाय? मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब उनका ध्येय यह है कि किसी की तनख्वाह १,००० से अधिक न हो और किसी की तनख्वाह १०० रुपये से कम न हो तो फिर उन्होंने इतना डिफरेंस क्यों रखा है? यह तो कोई सही सिद्धांत की बात नहीं मालूम पड़ती है। उनकी ओर से तो यहां पर इस तरह की बहस होनी चाहिए कि चाहे बड़े हों या छोटे, सब की तनख्वाहें एक ही होनी चाहिए। यहां पर बहस इस बिनां पर हो रही है कि खर्चा किस तरह से कम किया जाय। एक सदस्य ने कहा था कि गांधी जी जब इंगलैंड गये थे तो वे लंगोटी पहन कर ही गये थे। महात्मा गांधी का निजी त्याग था जिसके बल वे इस तरह के काम कर दिखलाते थे जो कोई भी नहीं कर सकता था। विरोधी दल के सदस्य कोई इस तरह का त्याग शुरू करें जिससे हम लोग भी प्रभावित हो कर वैसा ही करना शुरू करदें। बहस करते समय बतलाया गया है कि १२ व १३ उपमंत्री लोग होंगे उनकी तनख्वाह क्या होगी।

माननीय अध्यक्ष---माननीय सदस्य के सामने मंत्रियों की तनख्वाह का प्रस्ताव नहीं है वह संशोधन के ऊपर ही नजर रखें।

श्री सियाराम---मैं समझता हूं कि इसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन दौरान उसी के सिलसिले में है। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से अब अध्यक्ष महोदय की तनख्वाह १,००० रु० रखने की बात कही गयी है और उपाध्यक्ष के लिये ४०० रु० की बात कही गयी है। हमारी तरफ से माननीय अध्यक्ष के लिये १,२०० रु० वेतन रखा गया है और उपाध्यक्ष के लिये ६०० रु० वेतन रखा गया है। अगर विरोधी साथी इस बात के ऊपर ध्यान दें कि इस भवन के अन्दर ४३० मेम्बर हैं, अगर वे अपनी बहस थोड़ी कम कर देंगे तो क्या इससे काफी बचत न हो जायगी? इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय विरोधी सदस्य गण इस बात के ऊपर

बिचार करें कि बहस कम हो और इससे थोड़ी बचत दिखा कर जनता की सेवा करने की कोशिश करें। इस तरह से निजी त्याग से वे हम सदस्यों को भी प्रभावित करेंगे और जनता की सेवा भी शुरू कर देंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन के प्रस्तावक ने यह कहा कि हम सब लोगों को बराबर परमात्मा की तरफ से वैसे ही धूप और जल मिलता है परन्तु वह इस बात को भूल गये कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है :

कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जो जस करि सो तस फल चाखा।

रामझरोखे बैठके सबका मुजरा लेय,
जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा देय।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं चतुर्विधम् कर्मणः फलम्।

एक वेद का भी मंत्र है कल मैंने उसको पढ़ा था आज उसको नहीं पढ़ूंगा। यह जितनी कथा वेद, पुराण और रामायण की हैं सब यही कहते हैं कि अगर आप उस संस्कृति को चलाना चाहते हैं तो उसी जगह आपको जाना होगा। आप कोई ऐसी जगह बतायें जहां पर वहां के प्रधान मंत्री और उस प्रधान मंत्री के अरदली को एक ही तरह का वेतन मिलता हो या दोनों का एक ही तरह का सनमान किया जाता हो।

आप संशोधन पेश कीजिये उसके मुताल्लिक़ जो बहुत रेलैवेंट बातें हैं वही कहनी चाहिये। दो दिन से इस पर वादविवाद हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा वादविवाद होने की क्या आवश्यकता होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जरा सोच समझ कर वादविवाद कीजिये।

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत है उसे पढ़ने से मालूम होता है कि समाजवादी दल, जिसकी ओर से यह पेश है, वह सिद्धांत की ओट में कुछ दूसरा ही शिकार खेलना चाहता है। संशोधन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के उस उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उस उप-सभापति को जिसकी निजी आय १,००० रु० मासिक से अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। लेकिन आगे वह कहते हैं जिस उपाध्यक्ष या उप-सभापति की निजी आय १,००० रुपये मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपये मासिक हो सके लेकिन मासिक वेतन ४०० रुपये मासिक से अधिक न होगा। मेरा कहना है कि यह संशोधन ही आउट आफ आर्डर (नियम प्रतिकूल) है। क्योंकि उसके ऊपरी भाग में १,००० रुपये देने की बात कही गयी है और नीचे वाले भाग में ४०० रुपये। पर यदि किसी की आमदनी २०० रु० हो तो जिस सिद्धांत को यह प्रतिपादित करता है उसके अनुसार उसे ८०० रुपये और देने चाहिये। लेकिन नीचे के अंश में जब कुल ४०० रु० मासिक वेतन देने की बात कही जाती है तो उस अंश से इस संशोधन का खोखलापन सिद्ध हो जाता है। इस तरह समाजवादी दल की ओर से जो आवान्तर बातें कही जा रही हैं मैं उन्हें सुनता आ रहा हूं। मैं इस हाउस का अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल इस संशोधन में जो इररेलेवेंट (असंगत) बात है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राजनारायण--प्रमुख महोदय, मैं ऐसा चाहता था कि बहस बन्द हो।

श्री रामकृष्ण शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष महोदय को प्रमुख महोदय कहकर सम्बोधित कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष--अध्यक्ष ही कहना चाहिये, लेकिन प्रमुख कहने में कोई अपमानजनक बात नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रमुख शब्द अध्यक्ष से अधिक सम्मानित है। इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी का अनुवाद हमारे हिसाब से साम्यवादी नहीं होता। अगर वह कांग्रेस का भी अनुवाद करने लगें तो वह धपले में पड़ जावेंगे। प्रमुख तो बड़ा अच्छा शब्द है और अकसर पार्लियामेंट में इसका प्रयोग होता है।

माननीय अध्यक्ष--लेकिन यहां की प्रथा "अध्यक्ष महोदय" सम्बोधित करने की है और उसका उपयोग अधिक अच्छा होगा।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि बहस तो यहां पर खत्म हो जाती है जब हमारे मूल प्रस्तावक न्याय मंत्री जी ने कहा कि इस संशोधन को मानने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि सोशलिस्ट पार्टी अपनी आमदनी के जितने जरिये हैं सबका समाजीकरण करने के लिये तैयार हो। तो मैं आपके जरिये निहायत अदब से अपने माननीय न्याय मंत्री महोदय को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी सहर्ष आमदनी के जरिये को समाजीकरण करने के लिये तैयार है।

माननीय श्री सैयद अली जहीर--आन ए प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर (श्रीमान् जी, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा होता हूं)। मैंने यह कभी अर्ज नहीं किया कि मैं उनके किसी संशोधन को मानने के लिये तैयार हूं। मैंने यह कहा कि जिस तरह से उन्होंने संशोधन पेश किया है वह काबिलेअमल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो उनको करना यह चाहिये कि वह यहां नहीं, बल्कि बाहर मुल्क में एक प्रोग्राम बनाकर उसे कंस्टीट्यूशनली (वैधानिक रूप में) लावें और उसके बाद अगर वह पास हो जाय तो उसके ऊपर अमल हो सकता है।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये न्याय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सवाल केन्द्र पर न छोड़ दिया जाय। यह सवाल सूबे में ही हल हो सकता है। सूबे की जमीन के लिये आप बड़ी आसानी से कानून बना करके एक सोशलिस्ट की जमीन ले सकते हैं और कांग्रेसाइट की भी जमीन ले सकते हैं आप बहुत ही आसानी से कानून बना करके शुगर इंडस्टरी को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) कर सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से कानून बना करके सूबे के अन्दर जितने उद्योग धंधे हैं उनका समाजीकरण कर सकते हैं। आप को कोई बाधा नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, विरोधी दल की ओर से मैं न्याय मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी भी वे इस तरह का स्टेप (कदम) उठायेंगे तो हमारा सहर्ष सहयोग उनको मिलता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ले फेस का एक कोटेशन (उद्धरण) देना चाहता हूं--

"Technical procedure should be discouraged in Legislative bodies. Rules should be applied and interpreted so as to permit majority to *accomplish* its ultimate purpose within a reasonable time, but only after allowing minority reasonable opportunity to express its views on the general issue."

[पारिभाषिक प्रक्रिया को विधान निर्मात्री संस्थाओं में हतोत्साह करना चाहिये। नियम इस प्रकार लागू होने चाहिये और उनका निर्वचन इस प्रकार करना चाहिये जिससे कि बहुमत दल अपना अंतिम उद्देश्य उचित समय के अन्दर, रख सके लेकिन यह अल्पमत को सामान्य वाद विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर देने के उपरान्त ही प्राप्त होना चाहिये।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जनरल ईश्यू (सामान्य वाद विषय) हमारे सामने विद्यमान हैं, मगर मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह बिल पास हो जाय। मैं भी चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय।

माननीय अध्यक्ष——माननीय सदस्य ग़लत बात कह रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी पास करें। यह भवन की इच्छा है, जैसा वह चाहे करें। परन्तु जो यहां के नियम बने हैं उनसे मैं बाध्य हूं। माननीय सदस्य को एक सिद्धांत के कहने का एक दफा अधिकार हो सकता है, दो दफा कहने का अधिकार हो सकता है लेकिन बार बार कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को सदन के नियम बता देना चाहता हूं।

हमारा नियम १८२ "Rules to be observed while speaking and answering questions." "(भाषण करते तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम) के संबंध में यह है। इसका भाग (७) इस प्रकार है।

"He shall not use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the Assembly."

[सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के उद्देश्य से अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग न करेगा।]

इसके बाद १८४ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं——

"The Speaker after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who proceeds in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate may direct him to discontinue his speech."

[अध्यक्ष ऐसे सदस्य के व्यवहार की ओर जो विवाद में बार बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त युक्तियों की व्यर्थ पुनरावृत्ति करता रहे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को भाषण समाप्त करने का निदेश कर सकता है।]

जहां माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि डिबेट में पूरी पूरी स्वतंत्रता उनको हो वे अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक यहां प्रकट करें वहां किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही बात को जिस के विषय में वह बोल चुका हो, पचास दफा दोहराता रहे। फिर भी मैंने यहां पर माननीय सदस्यों को, चूंकि वे पहले पहल यहां आये हैं, इसका मौका दिया। कई बार उन्हें पुनरुक्ति करने पर नहीं रोका। जिसकी मेडेन स्पीच (पहला भाषण) होती है उसको मैं अधिक मौका देता रहा हूं। लेकिन जो मेडेन स्पीच दे कर उतीर्ण हो चुके हैं और जो कई दफा बोल चुके हैं उनको वह स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है कि वह बार-बार उसी चीज को दोहरायें। यदि माननीय सदस्य इंग्लैण्ड की प्रथा देखें एक कोटेशन (उद्धरण) माननीय सदस्य ने दे दिया मैं भी कई कोटेशन्स इस प्रश्न पर दे सकता हूं। बहुमत (मेजारिटी) का अधिकार जल्दजल्द अपना मत और कार्यक्रम स्वीकृत कराने का है, मेरा अधिकार नहीं है, अध्यक्ष का अधिकार नहीं है, मेजारिटी इस बात को चाहती है और दूसरी तरफ माइनारिटी चाहती है कि उनके विचार भवन के सामने स्वतंत्रता पूर्वक पूरी तरह से आ जायं। इन दोनों में सामंजस्य पैदा करना मेरा कर्त्तव्य है और इस सामंजस्य के लिये ये नियम बने हुये हैं। इसलिये मैं तो बोलने का बहुत मौका देता हूं, लेकिन समय समय पर मुझे बहुत लाचारी और दुख के साथ कहना पड़ता है, जबकि संकेत की अवहेलना होती है कि माननीय सदस्य अपने स्थान को ग्रहण करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमावली की प्रति हिन्दी में मिल गयी है और हमारे भवन की भाषा हिन्दी है। इसलिये कोई भी सदस्य जब नियम का उद्धरण करे तो वह हिन्दी की नियमावली का उद्धरण होना चाहिये। श्रीमान् जी ने अंग्रेजी में पढ़ा है। मुझे कहने का अधिकार तो नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि नियमावली हिन्दी में ही पढ़नी चाहिये ताकि सब सदस्यों की समझ में आ जाय।

माननीय अध्यक्ष—इस वक्त मेरे पास अंग्रेजी में थी, इसलिये पढ कर सुना दिया। लेकिन इस भवन में कभी-कभी अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। फिर भी मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, जिस नियम की ओर आपने हम सबका ध्यान आकर्षित कराया मैं निहायत अदब के साथ उसके विषय में आपके सामने कुछ अपनी शंकायें रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—अब इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—मैं बहस नहीं कर रहा हूं। कुछ शंकाओं के बारे में आपसे कह रहा हूं। आज यहां पर एक तरह के कई प्रस्ताव आ गये इसलिये हो सकता है कि एक ही तरह के कई प्रस्ताव आने से उसका रिपीटीशन (पुनरुक्ति) हो जाय। मगर क्या एक प्रस्ताव के ऊपर एक बार बहस हो या भिन्न भिन्न प्रस्ताव आयें और एक तरह के आयें तो भिन्न भिन्न अवसर पर जब नयी आशंकायें पैदा हों तो उसका विचार होना चाहिये या नहीं?

माननीय अध्यक्ष—कम से कम तनख्वाह १०० रुपये हो और १० गुना उसका अधिकतम हो, यह सिद्धांत है, चाहे वह किसी प्रस्ताव से संलग्न हो कर आये। इस प्रकार के आर्गमेंट्स (तर्क) जो हैं वे रिपीट (पुनरुक्ति) नहीं होने चाहिये। जब यह सिद्धांत है कि आर्गमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिये तो बार बार उसी प्रकार के विषय पर उसी तरह की बहस दूसरे प्रस्ताव के ऊपर या दूसरे संशोधन के ऊपर नहीं आनी चाहिये अगर माननीय सदस्य सदन में संयम रखना चाहते हैं। अगर समय का अपव्यय न करना चाहते हों तो बार-बार अपने सिद्धांतों को न दोहरायें। अब से पहिले कई बार १,००० के संबंध में सिद्धांत का प्रवचन हो चुका है। अब वह सिद्धांत फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ६०० से ४०० किये जाय, इसके ऊपर बोलना अनुचित न होगा। तो इस तरह की सलाह देने की जरूरत हो सकती है। लेकिन मैं इसमें भी कुछ विषयांतर होने को ढील देता हूं क्योंकि कुछ नये माननीय सदस्य अभी यहां की पद्धति के बारे में अनभिज्ञ हैं। लेकिन मैं भवन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि मुझे लाचारी से भवन का कीमती समय बचाने के लिये माननीय सदस्य को कहना पड़ेगा कि अपने एक ही सिद्धांत को दो, तीन, चार दफा दोहराने का प्रयत्न न करें।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गयी है। हमारे न्याय मंत्री ने क्या नयी शंकायें पैदा नहीं कीं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग (व्यवस्था) पर किसी किस्म की बहस होना मैं सर्वथा अनुचित समझता हूं। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता को यह जानना चाहिये कि हमारे अध्यक्ष की रूलिंग हो जाने के बाद हर शख्स का यह फर्ज है कि उसके मुताबिक अमल करे और उसमें विवाद पैदा करने की कोशिश न करें।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य को कोई शंका हो तो उसका समाधान हो जायगा, यह स्थान नहीं है। मेरे कमरे में आकर पूछ लें।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, क्या आपने यह रूलिंग दी थी?

माननीय अध्यक्ष—रूलिंग का सवाल नहीं है। मैं अब आपको प्रश्न पूछने का समय नहीं देना चाहता।

श्री नफ़ीसुल हसन का विधान सभा से त्याग-पत्र

माननीय अध्यक्ष—अब कल कार्यवाही जारी रहेगी। मुझे कुछ सूचना देनी है, वह मैं इस वक्त दूंगा।

श्रीमान् नफ़ीसुल हसन साहब ने इस विधान सभा से इस्तीफा दिया और है उनका त्याग-पत्र इस प्रकार है—

"श्रीमान्,

मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे। एक लम्बे समय से विधान सभा से मेरा सम्पर्क रहा है और उसके कार्यालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों से हर समय मुझे सहयोग और सहायता प्राप्त होती रही है। उसके लिये मैं आपके द्वारा उन सबको धन्यवाद देता हूं।"

(इसके पश्चात् सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२७ मई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६२ पर)

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७।

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करना आवश्यक है ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७।

२—इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो, "Case", "suit", or "proceeding" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में दिये गये हैं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में एक नई धारा ७७ (क) का रक्खा जाना।

३—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ७७ के बाद नई धारा ७७-ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"77-A. (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted under section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at any hearing, the remaining *Panches* may, notwithstanding anything contained in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, however, that at least three *Panches* including the Chairman, are present, and provided further that at least one of the *Panches* present is able to record evidence and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have been invalid by reason merely that all the five Panches forming the Bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandis* apply to an inquiry made by a Panchayati Adalat under section 68".

निर्णय, डिग्री और आज्ञा की वैधता।

४—यदि इस अधिनियम के आरम्भ के बाद निम्नलिखित के वैध या विधि के अनुकूल होने का प्रश्न उठे—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग पंचायती अदालत द्वारा सुनवाई (ट्रायल) का, अथवा

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४९ के अधीन किसी केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग में पंचायती अदालत द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये तथा उक्त प्रारम्भ से पूर्व किसी समर्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णित न हुआ कोई निर्णय, डिक्री या आज्ञा के, अथवा

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ६३ के अधीन पंचायती अदालत द्वारा की गयी कोई जांच;

तो उसका अवधारण इस प्रकार होगा मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर प्रचलित थे जिनका इस विषय में कोई महत्व हो (ऐट आल मैटीरियल डेट्स)।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामला, वाद या कार्यवाही (केस, सूट और प्रोसीडिंग) पर विचार तथा निर्णय पांच पंचों की बेंच द्वारा किया जायगा। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पांचों पंच किसी-किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्रायः एक या दो पंच अनुपस्थित ही रहे। नियमों के अधीन एकइयता (कोरम) निश्चित करके इस कठिनाई को दूर करने का उपाय सोचा गया।

माननीय हाई कोर्ट ने अपने हाल के एक निर्णय में यह निश्चय किया कि उक्त नियम का निर्माण साधिकार नहीं है।

अतएव विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उक्त व्यवस्था को करने का विचार है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहन लाल गौतम,
मंत्री,
स्थानिक स्वशासन।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६३ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, १९५२ ई०, में संशोधन करने तथा कुछ पदों के सम्बन्ध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे।

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, १९५२ ई०, में संशोधन किया जाय तथा कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और आरम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई०, होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में "प्रतिकर भत्ता" (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) का तात्पर्य यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान के किराये का भत्ता या परिवहन भत्ता से है और उसमें वह परिवहन भी सम्मिलित है जिसकी व्यवस्था और रखरखाव राज्य के व्यय से किया जाय।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण।

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण कि वह निम्नलिखित किसी पद पर अध्यासीन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होगा, अर्थात् :

(१) उत्तर प्रदेश सरकार के उप मंत्री का पद, अथवा

(२) कोई ऐसा पद जो पूर्णकालिक पद न हो और जिसके लिये कोई वेतन या शुल्क न दिया जाता हो।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट सं० ४, १९५२ ई० की धारा २ का संशोधन।

४—(१) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण अधिनियम, १९५२ ई० (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा २ की संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) किया जायगा,

(२) पुनर्संख्यात उपधारा (१) के वाक्यखंड (क) में—

(क) शब्द "पद" के बाद अर्द्ध विराम (कामा) लगा दिया जाय,

(ख) शब्द "जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो," निकाल दिये जायंगे, और

(ग) उस पुनर्संख्यात उपधारा (१) के साथ प्रतिबन्धात्मक खंड (प्राविज़ो) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यासीन व्यक्ति को उस पर लागू किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार केवल प्रतिकर भत्ता (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) मिलता हो"

(३) मूल ऐक्ट की धारा २ की उपधारा (१) के बाद को एक नयी उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक आज्ञा, जब तक वह कोई ऐसी आज्ञा न हो जिसके द्वारा अध्यासीन व्यक्ति को ऐसी दरों पर यात्रिक भत्ता या दैनिक भत्ता लेने की अनुमति दी गयी हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए उसके सदस्यों के लिए नियत दरों से अधिक न हो, विधान सभा के समक्ष नियुक्ति के बाद यथासंभव शीघ्र कम से कम तीन दिन तक रक्खी जायगी और ऐसे परिष्कार (मोडिफ़िकेशन) के अधीन होगी जिसे विधान सभा उस सत्र (सेशन) में करे जिसमें वह उक्त प्रकार रक्खी गयी हो। ऐसा परिष्कार उस दिनांक से सप्रभाव होगा जिस पर वह किया जाय।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५२ ई० का निरसन (रिपील)।

५—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ एतद्द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि उसमें निर्दिष्ट लाभप्रद पदों पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे। अधिनियम की धारा २ के खंड (क) में निर्दिष्ट पदों के सम्बन्ध में यह घोषणा आरम्भ में अप्रैल,

१९५२ ई०, तक ही सप्रभाव थी। बाद में यह अवधि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२, द्वारा ३० जून, १९५२ ई०, तक बढ़ा दी गयी। यह आवश्यक है कि इन उपबन्धों को स्थायी रूप से बनाये रक्खा जाय और इस विधेयक में तदनुसार व्यवस्था कर दी गयी है।

इस अवसर का उपयोग यह घोषित करने के लिये भी किया गया है कि उपमंत्री के पद पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पद के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६३ पर)

उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

लगान के नक़दी में परिवर्तन करने से सम्बन्धित कुछ व्यवहारों के नियमन का विधेयक

यह आवश्यक है कि लगान के नक़दी में परिवर्तन करने के लिए कुछ व्यवहारों का नियमन किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर शब्द और पद "कमिश्नर", "क्षेत्रपति", "लगान", "बन्दोबस्त अधिकारी" और "काश्तकार" का वही अर्थ होगा, जो यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रम से "Commissioner", 'Land Holder", Rent" "Settlement Officer", और "tenant", का है।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ की धारा ८७ के अधीन नक़दी लगान में परिवर्तन करने की आज्ञा का वैध होना।

३—धारा ४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए,

(क) जिन्सी लगान को, या

(ख) खड़ी फ़स्ल के अनुमान या कूत (एस्टीमेट आ२ अप्रेजमेंट) पर आधारित लगान को, या

(ग) बोई हुई फ़सल के अनुसार घटने-बढ़ने वाले लगान को

अथवा अंशतः उक्त प्रकारों में से किसी एक पर और अंशतः किसी दूसरे पर निर्भर लगान को निश्चित नक़दी लगान में परिवर्तन करने के लिए १ अप्रैल, १९५०, के बाद निवेशित, किसी व्यवहार (प्रोसीडिंग) में यू० पी० लैण्ड रेवेयू ऐक्ट १९०१ की धारा ८७ की उपधारा (२) और (३) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अभिप्रेत उपयोग में किसी बन्दोबस्त अधिकारी (सेटलमेंट आफ़िसर) द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दी गयी कोई आज्ञा केवल इस कारण अवैध न होगी कि उक्त आज्ञा देने के पूर्व क्षेत्रपति (लैण्ड होल्डर) को उपस्थित होने तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ ।

आज्ञा का पुनर्विलोकन (रिव्यू)।

४—यदि उक्त प्रकार की कोई आज्ञा दी गई हो और वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम हो गयी हो, तो क्षेत्रपति, यदि उसका यह दावा हो कि उक्त प्रकार निश्चित किया गया नक़दी लगान उस धनराशि से कम है जो प्रचलित मंडल के दरों (सर्किल रेट्स) के अनुसार देय होगी तो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर सम्बद्ध बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) को उक्त आज्ञा के पुनर्विलोकन (रिव्यू) के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

प्रार्थना-पत्र के साथ आज्ञा की प्रतिलिपि का होना

५—धारा ४ के अधीन पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्र के साथ उस आज्ञा की प्रति दी जायगी जिसका पुनर्विलोकन अभीष्ट हो और इसके साथ-साथ प्रचलित मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) का तथा क्षेत्रपति द्वारा अभियाचित (क्लेम्ड) नक़दी लगान का ब्यौरा भी दिया होगा।

काश्तकार को जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस)।

६—यदि प्रार्थना-पत्र उपबन्धित आकार में दिया गया हो, और धारा ४ के अधीन उसके लिए दी हुई अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और काश्तकार के नाम सूचना (नोटिस) जारी करने की आज्ञा देगा।

प्रार्थना-पत्र का निस्तारण

७—यदि काश्तकार उपस्थित हो और उसकी सुनवाई के बाद बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) को ऐसा प्रतीत हो कि निश्चित किया हुआ नक़दी लगान :

(१) उस धनराशि से कम नहीं है जो मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) के अनुसार गणना करके निकाली गयी है, तो वह प्रार्थना-पत्र को ख़ारिज कर देगा,

(२) उपर्युक्त धनराशि से कम है तो वह आज्ञा का पुनर्विलोकन (रिव्यू) करेगा और उन सिद्धान्तों के अनुसार, जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, की धारा ८७ के अधीन व्यवहारों में लागू होते हैं, निश्चित नक़दी लगान को घटा या बढ़ा देगा।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१

निश्चित नक़दी लगान का वैध होना।

८—किसी विधि (ला) में किसी बात के होते हुए भी धारा ३ में अभिदिष्ट आज्ञा के द्वारा निश्चित किया गया नक़दी लगान या यदि उक्त प्रकार निश्चित किया हुआ नक़दी लगान धारा ७ के उपबन्धों के अनुसार बढ़ा दिया गया हो, तो बढ़ाया हुआ लगान, सब प्रयोजनों और सब अवसरों के लिये, खाते का नक़दी लगान समझा जायगा।

लगान की प्रारम्भिक आज्ञा के दिनांक से आज्ञा का सप्रभाव होना।

९—धारा ७ के अधीन नक़दी लगान को घटाने या बढ़ाने वाली आज्ञा उस दिनांक से सप्रभाव होगी जिस पर पुनर्विलोकित की जाने वाली आज्ञा दी गयी हो।

लगान में अन्तर को काश्तकारों से वसूली।

१०—यदि बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) ने निश्चित नक़दी लगान को घटाया या बढ़ाया हो, तो क्षेत्रपति, किसी विधि, आज्ञा या डिक्री में विपरीत बात के रहते हुए भी, इस बात का अधिकारी होगा कि इस प्रकार बढ़ाया हुआ निश्चित लगान या उसका कोई ऐसा भाग, जो वसूल न हुआ हो, काश्तकार से वसूल कर सके।

अपील

११—कोई व्यक्ति जो धारा ७ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध (ऐग्रीन्ड) हो, उक्त आज्ञा से ६० दिन के भीतर कमिश्नर के सामने अपील कर सकता है और अपील में दी गयी कमिश्नर की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी ।

नियम

१२—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपील, प्रार्थना-पत्र तथा अन्य व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपील, और प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क ।

———

अनुसूची

———

[देखिए धारा (१)]

क्षेत्र जिन पर यह अधिनियम लागू न होगा—

(१) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र ।

(२) बनारस जिले का कसवार राजा परगना ।

(३) कोई क्षेत्र, जो ३० नवम्बर, १९४९ ई०, को निम्नलिखित के अन्तर्गत रहा हो :

(१) बनारस स्टेट (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट ।

(२) रामपुर स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट ।

(३) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल स्टेट ।

(४) देहरादून जिले का जौनसार-भावर परगना और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र ।

———

उद्देश्य और कारण

परगनाधिकारियों ने लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८७ के अधीन लगान के नक़दी में परिवर्तन के लिए सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (असिस्टेंट सेटिलमेंट आफ़िसर) का काम करते हुए, कुछ ज़िलों में असावधानी के कारण व्यवहारों में क्षेत्रपतियों को बिना फ़ीस के बनाये, आज्ञाएं दे दी हैं। इसके कारण काश्तकारों को बड़ी कठिनता हुई है, क्योंकि क्षेत्रपतियों ने उक्त आज्ञा की वैधता पर आक्षेप किया है और जिन्सी लगान की अदायगी के लिए वाद प्रस्तुत किये हैं। यह विचार है कि उक्त आज्ञा का वैधीकरण किया जाय और क्षेत्रपतियों को उक्त आज्ञा के पुनर्विलोकन (रिव्यू) कराने की अनुमति दी जाय।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८६ पर)

उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८।

यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई०, को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए,

विधेयक

प्रस्तावना यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८।

यह उचित है कि आगे दिये गये प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई०, में संशोधन किया जाय,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधक) अधिनियम, १९५२ ई०, होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ के बड़े शीर्षक में संशोधन।

२—यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० (जो आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के बड़े शीर्षक (long title) में

(क) शब्द "to provide for the licensing of sugar factories" निकाल दिये जायंगे; और

(ख) शब्द 'in' और 'factories' के बीच आने वाले शब्द such के स्थान पर शब्द sugar रख दिया जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १ १९३८ की प्रस्तावना में संशोधन।

३—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में :

(क) शब्द 'to provide for the licensing of Sugar factories and निकाल दिये जायंगे; और

(ख) शब्द 'in' और 'factories' के बीच आने वाले शब्द 'such' के स्थान पर शब्द sugar रख दिया जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ की धारा १ में संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "and shall remain in force until the 30th June 1952" निकाल दिये जायंगे।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ के अध्याय ३ का निकाल दिया जाना।

५—मूल अधिनियम का अध्याय ३ निकाल दिया जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ की धारा २६ का निकाल दिया जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जायगी।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ की धारा २७ में संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (१) और (२) निकाल दी जायंगी।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३८ की धारा ३० में संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (२) में :

(क) खंड (c) निकाल दिया जायगा,

(ख) खंड (d) निकाल दिया जायगा,

(ग) खंड (e) में शब्द और अंक 'sections 13 (1) and 19 (5)' के स्थान पर शब्द और अंक 'section 19 (5)' रख दिये जायंगे, और

(घ) खंड (f) में शब्द और अंक 'sections 13 and 23' के स्थान पर शब्द और अंक 'section 23' रख दिये जायंगे।

उद्देश्य और कारण

संसद ने इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन) ऐक्ट, १९५१ ई०, नामक एक अधिनियम पारित किया है, जो ८ मई सन् १९५२ ई० से प्रचलित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के लागू होने से यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई०, के कुछ उपबन्ध अब निष्प्रभाव हो गये हैं। इन उपबन्धों को निकाल देने तथा संशोधित अधिनियम को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह,
उद्योग मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२३ एल० ए०—१९५२—८५०